खण्ड-262, अंक-6
गुरूवार, 14 माघ, शक संवत् 1887
(3 फरवरी, 1966 ई0)

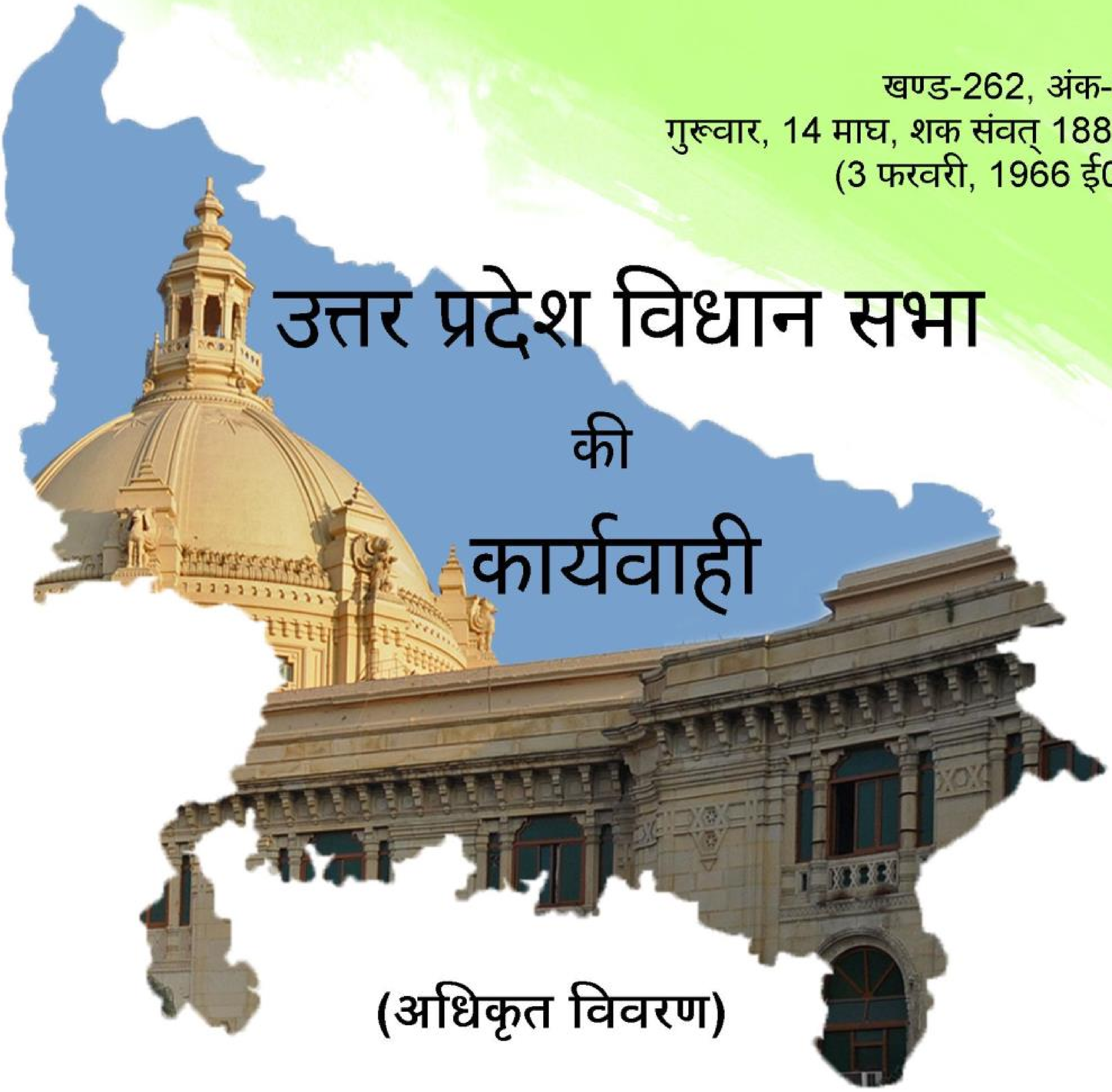

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४५१–४५५
प्रश्नोत्तर	४५५–४८४
गृह मंत्री द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तरों के प्रति असंतोष	४८४–४८५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुमति नहीं दी गई)	४८५
कानपुर की शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपने अयोग्य विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठाने तथा उत्तीर्ण छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने के संबंध में नियम ५२के अन्तर्गत सूचनायें	४८५–४८६
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	४८६–४८७
नदौता ग्राम में डाकुओं द्वारा बारातियों के अपहरण के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४८७–४८८
उत्तर प्रदेश विद्युत् -कर विधेयक, १९६६ (पुरः स्थापित किया गया) ..	४८८
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	४८८–४९८
उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	४९९–५४०
नत्थियां	५४१–५७७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ३ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलामटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतालसिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मून्नूसिंह, श्री
मुमताजमुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफा खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्यम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामर्मूति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर

उत्तर प्रदेश सभा

सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होतीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३ फरवरी १९६६

तारांकित प्रश्न

ए० एम० आई० ई० सेक्शन—बी की डिग्री तथा डिप्लोमा होल्डर्स

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या यह सत्य है कि AMIE. Sec. B. की डिग्री केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही प्राप्त करते हैं और वे ५० प्रतिशत कम अंक प्राप्त कर असफल घोषित कर दिये जाते हैं? यदि हां, तो यह देखते हुए कि B. E. डिग्री होल्डर्स को कोई पुराना तजुर्बा न होने पर उन्हें सहायक इंजीनियर तुरन्त बना दिया जाता है, उपरोक्त AMIE. Sec. B डिग्री होल्डर्स को प्रमोशन न देने के कारण क्या है ?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

एम० ए० आई० ई० सेक्शन बी की डिग्री दि इन्स्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स (इन्डिया) द्वारा प्रदान की जाती है जो एक चारटर्ड संस्था (chartered body) है। डिप्लोमा होल्डर्स के अतिरिक्त अन्य लोग भी जो निर्धारित योग्यता रखते हों, ए० एम० आई० ई० की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यह सही है कि ए० एम० आई० ई० सेक्शन ए और बी में पास होने के लिए न्यूनतम अंक (योग में) ५० ०/० होने चाहिये । जहां प्राविधिक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, ए० एम० आई० ई० सेक्शन बी की डिग्री होल्डर्स को लेक्चरर्स के पद पर नियुक्ति के योग्य समझा जाता है जिसका वेतन-क्रम सहायक इन्जीनियर के वेतन क्रम के बराबर होता है।

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या डिप्लोमा होल्डर्स के लिये उत्तर प्रदेश सरकार १२०—२५० के ग्रेड को परिवर्तित करेगी जैसा कि अन्य प्रदेशों में है?

डाक्टर सीताराम—

प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा होल्डर्स को विभिन्न ग्रेड में नियुक्त किया जाता है। यह ग्रेड उनके पदों से सम्बन्धित कर्तव्यों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों की निजी योग्यता तथा अनुभव पर निर्भर होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

कृपया पहले मुझे एक स्पष्टीकरण दे दें। मुझे जो उत्तर दिया गया है, उसमें है, ए० एम० आई० ई० सेक्शन 'बी' की डिग्री होल्डर्स को लेक्चरर्स के पद पर नियुक्त के योग्य समझा जाता है जिसका वेतन क्रम सहायक इंजीनियर के वेतन-क्रम के बराबर होता है, किन्तु माननीय मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया है उसमें है, "नियुक्त किया जाता है, तो क्या ठीक है?

डाक्टर सीताराम—

"समझा जाता है" यही मतलब है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, इसमें एक बड़ा नीति का प्रश्न है, वह यह है कि जो हमारे यहां जी० टी० आई० हैं, जिसमें हम ओवरसियर आदि क. ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको ओवरसियर बनाते हैं। यदि किसी ने ए० एम० आई० ई० की डिग्री ओवरसियर बनने के बाद प्राप्त कर ली तो उसे आप इंजीनियर नहीं बनाते हैं, जब कि सब जगह उसको मान्यता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप उनको प्रमोशन क्यों नहीं देते हैं? आप उनको असिस्टेंट इंजीनियर क्यों नहीं बनाते हैं?

डाक्टर सीताराम—

जहां तक अभी प्रश्नोत्तर में बताया गया है, यह टैक्निकल एजूकेशन डिपार्टमेंट का सवाल है। नियुक्तियों में ए० एम० आई० ई०, सेक्शन "बी" पास किये हुये ओवरसियर जो हैं, लेक्चरर के पद पर लिये जाते हैं, लेकिन जहां तक और डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध है, यह कहना ठीक नहीं होगा कि जितने एम० ए० आई० ई० लोग हैं उनको असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर लिया जाता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि इसी प्रकार की योग्यता के जो डिप्लोमा होल्डर्स और ए० एम० आई० ई० सेक्शन 'बी' की डिग्री पास किये हुये हैं, उन को बैचलर आफ इंजीनियर की डिग्री के बराबर दिल्ली और आंध्र प्रदेश आदि में मान्यता है और उनको ए० ई० का ग्रेड दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—

जहां तक और प्रदेशों का सम्बन्ध है, यह तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक यू०-पी० का सम्बन्ध है, टेक्निकल एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और पावर डिपार्टमेन्ट में जो यह एग्जामिनेशन पास करते हैं, उनको असिस्टेंट इंजीनियर के बराबर माना जाता है, लेकिन जहां तक पी० डब्लू० डी० का सम्बन्ध है, यह बात उस विभाग में अभी विचाराधीन है। किन्तु जहां तक इरीगेशन और ट्रांसपोर्ट का सम्बन्ध है, वे लोग उस डिग्री को अपनी डिग्री के बराबर नहीं मानते।

श्री हरीश कुमारगंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी से सदन को अवगत करायेंगे कि ए० एम० आई० ई० सेक्शन बी० और डिप्लोमा जो कोई पास करते हैं उनको दिल्ली, मद्रास, आन्ध्र तथा और भी दूसरे भारत के प्रान्तों में असिस्टेंट इंजीनियर का ग्रेड दिया जाता है? तो उसको यहां भी लागू करने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

डाक्टर सीताराम--

जहां तक लागू करने की बात है अभी मैंने प्रश्नोत्तर में बताया कि ३ विभागों ने इसको मान लिया है। एक विभाग के यह विचाराधीन है। २ विभाग इसको मानने के लिये तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि इनको प्रेक्टिकल अनुभव नहीं होता। इसलिये वे इसको मान्यता देने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो व्यक्ति रुड़की या दूसरे स्थानों से बी० ई० की डिग्री लेते हैं उनको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता परन्तु उन को असिस्टेंट इंजीनियर तुरन्त बना दिया जाता है, लेकिन ये डिप्लोमा होल्डर नौकरी करते रहते हैं, इनको अनुभव ज्यादा होता है तो फिर इन अनुभवी व्यक्तियों को असिस्टेंट इंजीनियर न बनाने का क्या कारण है? और बी० ई० डिग्री प्राप्त करने वालों को बगैर तजुर्बा हुये असिस्टेंट इंजीनियर बनाने का क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम—

जो बी० ई० की डिग्री प्राप्त करते हैं उनको काफी अनुभव होता है क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में उसी सिलेबस से शिक्षा दी जाती है लेकिन जहां तक ए० एम० आई० ई० पास होते हैं वे नौकरी तो करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त प्रेक्टिकल अनुभव नहीं होता। जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके मुताबिक उनको कम अनुभव होता है। जब तक वे सी० परीक्षा नहीं पास कर लेते हैं तब तक कोई अनुभव उनको नहीं होता है। इसलिये इस प्रदेश के इर्रीगेशन और ट्रान्सपोर्ट विभाग ने उसको मान्यता नहीं दी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार केन्द्र से इस विषय में पूर्ण जानकारी करेगी कि इस प्रकार से उनको ग्रेड बढ़ाने जा रही है और इसी योग्यता के व्यक्तियों को इस प्रदेश में भी देने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—

यह उन की राय का प्रश्न है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार केन्द्र से इस बात की जानकारी प्राप्त कर के वह ग्रेड यहां भी लागू करने का आश्वासन देगी?

डाक्टर सीताराम—

टेक्नीकल एजूकेशन डिपार्टमेंट किसी अन्य विभाग को प्रेस नहीं कर सकता। सिर्फ उनको राय दे सकता है।

विधायकों को उद्योग विभाग से ऋण

*३—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि विधान मंडल के ऐसे कौन-कौन सदस्य हैं जिनको उद्योग विभाग द्वारा कर्जा दिया गया है तथा यह बतायेंगी कि :

(अ) कर्ज कितना है?

(ब) कब दिया गया था?

(स) यदि अदा करने की अवधि पूर्ण हो गई है, तो रकम अदा हुई अथवा नहीं?

(द) यदि नहीं अदा हुई, तो क्यों तथा वसूली के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

वांछित सूचना सदन की मेज पर परिशिष्ट 'अ' के रूप में रख दी गई है। यह सूचना १९६२ से अगस्त, १९६५ तक की है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४१ पर)

बड़ी गैबीनाथ वाराणसी सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

*४—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करगे कि बड़ी गैबी नाथ, वाराणसी के सहायतार्थ लाटरी खोलने के सम्बन्ध में वाराणसी की जनता ने जिलाधिकारियों तथा गृह मन्त्री एवं मुख्य मन्त्री को दिसम्बर, सन् १९६४ व जनवरी, सन् १९६५ में रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। एक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। उस पर जांच पड़ताल की जा रही है।

बांदा जिले में उद्योग ऋण विषयक रिट

*५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में उद्योग विभाग की ओर से सन् १९५८, १९५९ तथा १९६० में किन-किन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है? उनकी वसूलयाबी के खिलाफ कितने व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर की है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९५८, १९५९ तथा १९६० में ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट "अ" के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

अब तक केवल ७ व्यक्तियों ने रिट दायर की है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५४२–५४६ पर)

अलीगढ़ जेल में भूख हड़ताल

*६—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल अलीगढ़ में गत जुलाई से कुछ कैदियों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है? यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से तक भूख-हड़ताल चलने के क्या कारण हैं और विभाग ने इस विषय पर क्या कार्यवाही की?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी हां। दो बन्दियों ने अनशन किया था। एक ने २ जुलाई से और दूसरे ने ५ जुलाई, १९६५ से। इन दोनों ने अपना अपना अनशन २७ सितम्बर, १९६५ को समाप्त कर दिया था।

इसका कारण उसकी कुछ ऐसी मांग थी जो नियमानुसार या प्रशासकीय या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से पूरी नहीं हो सकती थी। विभाग ने इस विषय पर नियमानुसार सब आवश्यक कार्यवाही की।

बद्रीनाथ सड़क की खराब हालत

*७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले (उत्तराखंड) के अन्तर्गत बद्रीनाथ मोटर सड़क पर जोशीमठ में बिड़ला भवन के सामने से व सिंहधार स्टेशन वाली मोटर सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है या डी०जी०बी०आर० (फौज) के मातहत हैं?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

यह सड़क डी०जी०बी०आर० के मातहत है।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार इस संबंधित सड़क की, जो कि जोशीमठ में बिड़ला भवन के सामने से जाती है और जिसे बदरीनाथ रोड कहते हैं, दुर्दशा का ज्ञान है और क्या सरकार उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेगी ताकि भविष्य में इस सड़क की हालत दुरुस्त की जा सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

भारत सरकार को लिखा गया है कि वह इन सड़कों को वापस ले ले और यह प्रश्न विचाराधीन है।

स्वर्णकार विस्थापित छात्रों की प्राविधिक शिक्षा व्यवस्था

*८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बतायेगी कि राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय प्राविधिक संस्थानों में स्वर्णकार विस्थापित छात्रों के लिये कितने स्थान सुरक्षित हैं तथा उन पर कितने स्वर्णकार छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

स्वर्णकार विस्थापित छात्रों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण तथा राजकीय प्राविधिक संस्थानों में १०७४ स्थान सुरक्षित हैं। इस समय कुल ३८३ स्वर्णकार छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मंत्री जी इस बात की जानकारी देंगे कि प्रदेश में आज तक कितने स्वर्णकार विस्थापित परिवार ऐसे हैं और उस में कितने ऐसे छात्र हैं जिनको औद्योगिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है ?

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा व्यापक प्रश्न है और इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इस सूचना को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक तथा प्राविधिकि संस्थानों में स्वर्णकार छात्रों के लिये १०७४ स्थान सुरक्षित हैं, क्या मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिनके फलस्वरूप केवल ३८३ छात्रों को ही प्रशिक्षण दिया जा सका है ?

डाक्टर सीताराम—

१०७४ रिजर्व सीटों के लिये ४६१ कैन्डीडेट्स ने आवेदन-पत्र दिया था जिसमें से ३९३ को एडमिट किया गया। उन में से १० छोड़ कर चले गये। इस प्रकार ३८३ छात्र यह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक रिजर्वेशन का प्रश्न है, पोलिटेक्निक्स में जितनी भी वैकेंसी होती हैं उनमें ५ फीसदी उनका रिजर्वेशन है। इसके अलावा आई०टी०आई० में दस रिजर्वेशन हैं। इस को देखते हुए ८६ फीसदी, जितने आवेदन पत्र आये उस में से, एडमीशन उन को दिया गया। बाकी १४ फीसदी के आवेदन पत्र चूंकि वे थर्ड डिवीजन हाई स्कूल थे, इसलिये इस बिना पर उन का एडमीशन पालीटेक्निक्स में नहीं हुआ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इस बात को देखते हुए कि केवल ३८३ छात्रों को आपने प्रवेश दिया है, जो बाकी स्थान रिक्त हैं उन स्थानों पर आपने अन्य छात्रों की भरती की है?

डाक्टर सीताराम—

वे जगहें खाली नहीं हैं। उनमें अन्य विद्यार्थियों को लिया गया है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १०७४ स्थानों के लिये केवल ४६१ लोगों ने आवेदन-पत्र दिया है, यह इस बात को बताता है कि लोगों को इसका पूरा पता नहीं है कि उनके लिये यह स्थान सुरक्षित हैं?

श्री अध्यक्ष—

सूचना प्रसारित करने के लिये आपने क्या किया ?

डाक्टर सीताराम—

जिलों में जिलाधीश तथा अन्य अधिकारियों को और उनके द्वारा सभी को यह सूचना प्रसारित कर दी गयी है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

यह स्पष्ट है कि जानकारी न होने के कारण ही इसके लिये लोग आवेदन पत्र न दे सके। तो क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिला स्तर पर और सभी संस्थाओं में इस प्रकार की सूचना प्रसारित करवा दी जाय ?

डाक्टर सीताराम—

इसके लिये आदेश हैं कि जिलाधीश इस तरह के स्वर्णकार जिनके मां-बाप रोजगार से बंचित रह गये उनके आवेदन-पत्रों को जिलों में भेजें।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यह देखते हुए कि स्वर्णकार विस्थापित छात्रों के लिये जब २७४ स्थान सुरक्षित कर दिये हैं तो क्या वजह है कि आपने हाई स्कूल थर्ड डिवीजन की कंडीशन उनके प्रवेश के लिये लगा दी है ?

श्री अध्यक्ष—

अयोग्य नहीं रहने चाहिये किसी पोस्ट पर यह तो उचित है।

पाकिस्तान बार्डर पर दौरे का खर्च

*९—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, अक्तूबर, तथा उसके बाद पाकिस्तान बार्डर (पश्चिमी पाकिस्तान) जहां लड़ाई हुई कौन-कौन मंत्री तथा अन्य लोग मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के खर्चे पर वहां गये और उनके आने-जाने इत्यादि पर प्रांतीय सरकार का क्या क्या व्यय हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थ 'ग' आगे पृष्ठ ५४७ पर)

*१०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[२रे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

सचिवालय में क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने कृपा करेगी कि सन् १९६२ में मुख्य सचिवालय के कर्मचारियों का एक स्पेशल क्वालिफाइंग एक्जामिनेशन हुआ था ? यदि हां, तो उसके परीक्षाफल को अब तक घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां । सन् १९६२ में सचिवालय के उन अस्थायी अवर वर्ग सहायकों के लिये जिनकी १ जुलाई, १९५७ को १ साल की सर्विस पूरी नहीं हुई थी एक अर्हकारी (स्पेशल क्वालीफाइंग) परीक्षा हुई थी इस अर्हकारी परीक्षा में केवल ६ परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए परन्तु यही अभ्यर्थी उसी वर्ष आयोजित अवर वर्ग की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में भी बाहरी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण हुए । बाहरी अभ्यर्थी के रूप में लिया जाना उनके हित में था अतः उनको उसी रूप में लिया गया । अर्हकारी परीक्षा के फलस्वरूप किसी अभ्यर्थी को न लिये जाने के कारण उसका परीक्षाफल घोषित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह भी सच है कि सन् १९५७ में जब इसी प्रकार का क्वालीफाइंग इक्जामिनेशन हुआ था तो उसका रिजल्ट कर्मचारियों के कैरेक्टर रोल को देखकर घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो सन् १९६२ के उपरोक्त परीक्षाफल को उनके करेक्टर रोल को देखकर अब तक घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं । कर्मचारियों को परीक्षा भी पास करनी पड़ी थी । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सच है कि सन् १९६४ म भी अवर वर्ग के कर्मचारियों का स्पेशल क्वालीफाइंग टेस्ट हुआ था किन्तु उसे बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया है । यदि हां. तो इसका क्या कारण है और जिन कर्मचारियों ने परीक्षा फीस दी है क्या उनको परीक्षा फीस वापस कर दी जायगी या दूसरे होने वाले इम्तहान के लिये सुरक्षित रखी जायगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

परीक्षा तो हुई परन्तु लोक सेवा आयोग को यह पता चला कि इस परीक्षा में कुल कर्मचारियों ने अनुचित साधनों (unfair means) का प्रयोग किया, अतः आयोग ने उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया । शेष प्रश्न आयोग के विचाराधीन है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सन् ६२ में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंटल और पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ था उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के हिसाब से लोगों को लेने और डिपार्टमेंटल इम्तहान का रिजल्ट घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उत्तर में कारण बिलकुल स्पष्ट दिया हुआ है कि ६ लड़के बिलकुल पास हुये थे, कर्मचारी और यह उनके इंटेरेस्ट में था कि वह बाहर के कैंडीडेट होकर आते । बाहर से भी इम्तहान हुआ था, तो ये लड़के उसमें बैठे और उन्होंने बाहर से आना पसन्द किया, लिहाजा ६ ले लिये गये । आगे कोई लड़का रहा नहीं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५७ में जिस प्रणाली को अपनाया गया था उसको सन् ६२ में न अपनाने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की । उसने कहा कि सन् ५७ वाली प्रथा गलत थी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह कहा गया कि कुछ लोगों ने गलत तरीके इस्तेमाल किये । मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गलत तरीके इस्तेमाल किये, नकल आदि की, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और जिन्होंने नकल नहीं की उनका रिल्ट क्यों नहीं घोषित किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२० कर्मचारियों को जिन्होंने गलत मीन्स इस्तेमाल किये थे उनको २ साल के लिये डिबार किया गया । कमीशन का कहना था कि मास स्केल पर नकल हुई है, इसलिये पूरे एग्जामिनेशन को ही उन्होंने नहीं माना । अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि दोबारा परीक्षा ली जाय या नहीं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जिन अधिकारियों की देखरेख में यह परीक्षा हुई जिसमें कि मास स्केल पर नकल हुई, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह तो पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि उन्होंने गलत मीन्स अख्तियार किये, इसकी जांच नहीं की गयी कि उन्होंने किये या नहीं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

जब सन् ५७ में एक नीति निर्धारित कर ली गयी थी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन तथा कैरेक्टर रोल के बेसिस पर उनको पास कर दिया जाय, तो इस नीति को सन् ६२ तथा ६४ में क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसका उत्तर तो मैंने दे दिया कि कमीशन उसके लिये रजामन्द नहीं था ।

*१४–१५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[२रे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पोलीटेक्निक प्रशिक्षण के लिये चुने गये अभ्यर्थी

*१६—श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में हरिजन व समाज कल्याण विभाग द्वारा जो वित्तीय वर्ष में पोलीटेक्निक प्रशिक्षण खोले गये हैं उसमें कुल कितने छात्र लिये गये हैं और उनमें से कितने हरिजन तथा कितने बैकवर्ड क्लास के हैं ? जो उम्मीदवार छात्र चुने गये हैं उनकी शैक्षिक योग्यतायें (अलग-अलग डिवीजन के साथ) क्या क्या हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

कुल ५१ छात्र लिये गये जिनमें २१ अनुसूचित तथा ७ पिछड़ी जाति के हैं । अनुसूचित व पिछड़ी जाति के छात्रों की शैक्षिक योग्यताओं की सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५४८–५४९ पर)

*१७—श्री रामअवध—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो उम्मीदवार चुने गये हैं वे किस आधार पर चुने गये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उम्मीदवारों का चुनाव प्रादेशिक प्राविधिक बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है । मुख्य आधार शैक्षिक योग्यता है जो क्रमवार संलग्न सूची २ में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५४९–५५० पर)

हरदोई से श्री जयसुख का प्रार्थना-पत्र

*१८—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई, थाना पाली गांव, रूपापुर मजरा, बाबरपुर में १९ ब्राह्मणों के खिलाफ जो १०७ का मुकदमा "सरकार बनाम गोपीनाथ" के नाम चला था वह गत १२ अक्तूबर, १९६५ को शाहाबाद ए० एस० डी० एम० की अदालत से खारिज कर दिया गया और क्या हरदोई जिले के कुछ नागरिकों की ओर से उक्त विषय पर कोई पेटीशन सरकार को प्रश्नकर्त्ता द्वारा गत सप्ताह (नवम्बर, १९६५) में सचिवालय में दी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके बारे में क्या किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । धारा १०७ जा० फौ० का मुकदमा खारिज हुआ था ।

इस संबंध में हरदोई के श्री जयसुख का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २-११-६५ को प्राप्त हुआ था । जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी पहले ग्राम रूपापुर में रहता था पर लगभग डेढ़ वर्ष से ग्राम हनखुदा में रहता है और उसे विपक्षी पार्टी से कोई खतरा नहीं है । प्रार्थी से यह कह दिया गया है कि यदि वह ग्राम रूपापुर में रहना चाहे तो उसको पूरी रक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा । इस संबंध में आवश्यक आदेश थानाध्यक्ष पाली को दिये गये हैं ।

गोंडा में रेलवे कर्मचारी और विधायक के बीच मारपीट

*१९—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत सप्ताह गोंडा स्टेशन पर एक हरिजन विधायक पर स्थानीय अधिकारियों में से कुछ के इशारे पर स्थानीय कुलियों और कुछ गुंडों ने हमला कर बुरी तरह घायल किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ५–१०–६५ को गोंडा रेलवे स्टेशन के बाहर एक हरिजन विधायक तथा कुछ स्थानीय रेलवे कर्मचारियों के बीच झगड़ा व मारपीट की घटना हुई जिसके फलस्वरूप विधायक को दो साधारण चोटें आईं । यह घटना किसी स्थानीय अधिकारी के इशारे पर नहीं हुई । अभियुक्त का चालान कर दिया गया है तथा अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

*२०—श्री झारखण्डे राय—

क्या गृह मंत्री को पता है कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब उक्त विधायक "जवानों" के स्वागत के एक समारोह में भीतर जाने का प्रयास कर रहे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त घटना उस समय हुई जब विधायक जवानों के स्वागत के समारोह के समय रेलवे प्लेटफार्म पर जाने के लिये आये थे ।

*२१—श्री अनीसुर्रहमान तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[२ रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मेरठ क्षेत्र में गन्ना-क्रय केन्द्रों के अन्तर्गत ग्राम

*२२—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६४-६५ में खांडसारी अधिकारी, मेरठ के सर्किल में रिजर्व एरिया में सरकारी नीतियों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को नया पावर क्रशर लाइसेंस दिया गया ? यदि हां तो किसे और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । निर्दिष्ट वर्ष में एक लाइसेंस जिला मेरठ के ग्राम असीलपुर में एक खांडसारी इकाई चलाने के लिये कुतुबपुर जिला मुजफ्फरनगर के सर्व श्री वर्मा ब्रदर्स खंडसारी क्लर्क को इस वजह से दिया गया था कि ग्राम असीलपुर के मुक्त क्षेत्र में होने की गलत रिपोर्ट लाइसेंसिंग अथारिटी को दे दी गई थी ।

*२३—श्री राममूर्ति 'अंचल' (अनुपस्थित)—

क्या सरकार वर्ष १९६४-६५ सीजन की मेरठ सर्किल की शुगर फैक्ट्रियों के लिये रिजर्व ग्रामों की अधिकृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । निर्दिष्ट वर्ष के लिये मेरठ जिले की आठ चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र के ग्रामों की अधिकृत सूची तथा मेरठ खंड के विभिन्न गन्ना क्रय केंद्रों में लगे ग्रामों की सूची† की एक एक प्रति सदन की मेज पर रक्खी है ।

जौनपुर जिले में गलत चालान करने के सिलसिले में थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्यवाही

*२४—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि अपर जिला दंडाधिकारी जौनपुर के न्यायालय से अभियोग सं० ३७८-१९६४, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत जौनपुर जिले के थाना बादशाहपुर से चलाया गया था, उसमें अभियुक्त धनी पासी के पुत्र आद्या, थाना शाहगंज, ग्राम सवेली, जिला जौनपुर को इस कारण दोष मुक्त कर दिया कि अभियुक्त डकैती के समय जौनपुर जिला कारागार में अन्य अभियोग के सिलसिले में दंड भुगत रहा था ? यदि हां, तो यह गल्ती किस की थी और इस प्रकार गलत कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, यह सत्य है कि आद्या का चालान थाना बादशाहपुर की पुलिस द्वारा उक्त डकैती में किया गया था और घटना की तिथि को उसके जेल में होने के कारण न्यायालय द्वारा उसे मुक्त कर दिया गया था ।

---

†छापी नहीं गई ।

इस डकैती की घटना की जांच थानाध्यक्ष बादशाहपुर न की थी और उन्होंने ही आद्या का चालान किया था। इस संबंध में जांच कर्त्ता के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

*२५—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर के प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी श्री डी० पी० श्रीवास्तव के न्यायालय से अभियोग सं० १०४—सन् १९६५ ई० भारतीय दंड संहिता की धारा ३९५/३९७ के मुख्य अभियुक्त मुन्नू उर्फ रामदत्त उर्फ रामअवध को इस आधार पर दोष मुक्त कर दिया कि अभियुक्त डकैती के समय थाना बदलापुर, जौनपुर द्वारा चलाये गये अन्य अभियोग में जौनपुर, जिला कारागार में बन्द था ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने ऐसी गलत कार्यवाही की ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सत्य है कि मुन्नु उर्फ रामदत्त उर्फ रामअवध जिसका चालान भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत थाना सराय खाजा से किया गया था, न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया किन्तु न्यायालय के निर्णय पत्र से यह ज्ञात होता है कि मुन्नू को इस कारण से दोष मुक्त किया गया था कि जिस गवाह ने उसे कार्यवाही शिनाख्त में पहचाना था उसने उसे न्यायालय में नहीं पहचाना।

थानाध्यक्ष के विरुद्ध इस मामले की विवेचना में त्रुटि पाये जाने के कारण विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विभागीय कार्यवाही के आदेश कब दिये गये और क्या दिये गये तथा जो कार्यवाही की गयी उसका विवरण बता दें ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, पहिले वैभागिक आदेश दिये गये कि दरोगा के खिलाफ वहां की लोकल आथारिटीज ही उचित ऐक्शन ले लें। पर बाद में उसको नाकाफी समझा गया। उनके खिलाफ डिपार्टमेन्टल ऐक्शन लिया जायेगा। सजा वहीं से सजेस्ट होगी और उसके बाद सरकार देखेगी कि जो दंड सजेस्ट किया गया है वह होना चाहिये या नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, यह उत्तर नहीं आया कि आदेश कब दिया गया प्रश्न मिलने के बाद या पहिले ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पहिले वहां के अधिकारियों ने मिस-कान्डक्ट की एन्टरी दी। यह बताया गया था कि दो वर्ष का मामला था और जिन्होंने प्रारम्भिक जांच की थी वे मर गये हैं। और अब जिस पर कार्यवाही हो रही है वह बाद को जांच हुई थी और चूंकि अदालत ने यह नहीं कहा तथा मिस कान्डक्ट एन्टरी की बात विभाग ने कही थी, उस पर गवर्नमेंट ने यह कहा कि यह कम है। इस पर और कार्यवाही की जाय और इसको ज्यादा सजा दी जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, यह दूसरा आदेश जो दिया है वह कब दिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह १-२-१९६६ को दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मुकदमे का निर्णय किस तारीख को लिया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२४–३–१९६५ को आदेश द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च ६५ में जब फैसला हुआ, तो इतनी देर लगभग आठ-नौ महीने तक इस थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने का कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने बताया कि अदालत ने थानेदार को दोषी नहीं बताया था. . . .

श्री अध्यक्ष—

वह बतला रहे हैं कि क्या कारण था बिलम्ब का । वे बतला रहे है कि जजमैन्ट में कोई ऐसी बात नहीं थी । वहां तो एस० पी० की तजवीज थी और उसी की रिपोर्ट यहां आई । यह उनका कहना है. . . .

श्री मैनेजरसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आये दिन पुलिस प्रशासन के खिलाफ इस तरह के आरोप आये हैं कि बेगुनाह लोक डकैती में फंसाये गये हैं । चन्द दिन पहले हाउस में सवाल आया कि आदमी जेल में था और मार दिया गया । जौनपुर में भी ऐसे केसेज हुये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री की वजह से ये वारदातें हो रही है और जौनपुर में हो रही हैं । और इनके लाड़ले थे शालिग्राम शर्मा, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी. . . .

श्री अध्यक्ष—

यह व्यक्तिगत आरोप है, प्रश्न नहीं है इस किस्म का प्रश्न नहीं होना चाहिये जिसमें व्यक्तिगत आरोप हों । जो घटना से सम्बन्धित हों वे पूछ लीजिये ।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये सारे कुकर्म श्री शालिग्राम शर्मा, डी० वाई० एस० पी० के कार्यालय में गृह मंत्री के इशारे पर हुये हैं ? क्या सरकार इस पर न्यायिक जांच बैठायेगी कि जौनपुर में जो इस प्रकार के कार्य हुये उसमें गृह मंत्री का कितना हाथ था ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह सचमुच बड़े महत्व का प्रश्न है । गृह मंत्री से सम्बन्धित ऐसी बातें सुन कर शर्म से सर झुक जाता है ।

श्री मैनेजरसिंह—

होम मिनिस्टर के क्षेत्र में जब इस प्रकार के कार्य होते है तो क्या वे इस प्रकार कह देने से दोष से मुक्त हो जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह, आप बैठ जावें ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

२५–१२–६२ को यह डकैती हुई जब मैं गृह मंत्री नहीं था । न मैं तब मैं गृह मंत्री था जब एक अपराधी ने बतलाया कि यह छूटा हुआ ज उस समय जेल में बन्द था, उस अपराधी के साथ डकैती में शरीक था । उस आदमी को डकैती में और असलहा के जुर्म में सजा हो चुकी है । हरगोविन्द सिंह उस गृह मंत्री नहीं थे और न उनकी वजह से ये बातें हुई हैं । हां, मैनेजर सिंह के कारण वह जेल में रहा हो तो मैं नहीं जानता हूं ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जब माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह आ गया कि उस आदमी का ऐसे केस में गलत चालान किया गया जिसमें उसे २० साल तक की सजा हो सकती थी, तो उस थानेदार को नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिस थानेदार ने जांच की थी वह मर गये। बाद को दूसरे थानेदार को जांच मिली। इसलिये वहां के विभागीय अधिकारियों ने यह कहा कि इस थानेदार का दोष कम था तो इसे मिस-कान्डक्ट की एंट्री दी जाय। इस पर सरकार ने कहा कि यह सजा कम है, अधिक होनी चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

चार्ज-शीट उस मरे थानेदार ने दी थी या जिन्दे वाले ने ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चार्ज-शीट उसने दी जो इस समय जिन्दा है।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

हां, क्या है ?

श्री लखपतराम शर्मा—

जिस किसी अभियुक्त के खिलाफ पुलिस तफतीश करती है तो कानूनन अभियुक्त का बयान अदालत में चार्ज-शीट पेश करने से पहले होता है। जब दरोगा ने कोर्ट में चार्ज-शीट पेश की तो जेल में बन्द अभियुक्त का बयान लिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह बात ठीक है, लेकिन यह क्रास-एग्जामिनेशन है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह अभियुक्त करार दे दिया गया, तो क्या सब-इंस्पैक्टर ने उसकी गिरफ्तारी के पहले यह जानने की कोशिश की कि यह जेल में किस तारीख से बन्द था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बयान लिया गया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि मैं जेल में बन्द था। चालान हुआ ३-१२-६४ को और यह जेल में था २१-९-६२ से १२-१-६३ तक। इस थानेदार को कसूर से छोड़ने की कोई मंशा सरकार की नहीं है। सरकार ने कहा कि मिस-कन्डक्ट की सजा कम है, अधिक होनी चाहिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जिस व्यक्ति को छोड़ा गया उसको मुकदमा चलाने से पहले कितने आदमियों यानी गवाहों से शिनाख्त कराई गई कि यह भी डकैती के समय मौजूद था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उस की जेल में ५ आदमियों ने शिनाख्त की थी कि यह भी डकैती में शामिल था।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी ने जेल के रजिस्टर को दिखलाया था और यह मालूम किया था कि यह मुल्जिम बदलापुर थाने की डकैती म जेल में बन्द था। डकैती जिसमें चालान किया गया वह ११–१२ मार्च, १९६४ की रात्रि में डकैती में पड़ी थी, जब कि वह १४-१०-६३ से १६-४-६४ तक जेल में बन्द था। क्या डकैती के दिन वह जेल में बन्द था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, हम जो प्रश्न पूछते है और सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया जाता है, उससे हमारा यह मतलब भी होता है कि सरकारी अधिकारी जो जन जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको दंड दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि पहली मर्तबा यह जवाब क्यों नहीं दिया गया कि वह जेल में उस वक्त बंद था। इस पर भी यह कहा जाता है कि पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की रक्षा करता है। इससे बढ़ कर लज्जा की बात और क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कमटरी है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस दरोगा ने शिनाख्त की कार्यवाही करायी उसने यह लिखा कि "दौराने तफ्तीश मुल्जिम नं० १—मुन्ना शिरकत जुर्म में पाया गया। उसकी जेल गाजीपुर में कार्यवाही शिनाख्त हुई और ५ गवाहों में से एक गवाह ने सही पहचाना, जबकि चेहरे पर १० चिप्पियां लगायी गयी थीं"। इस शिनाख्त की कार्यवाही के बाद चार्जशीट लगायी गयी। और उस समय वह जेल में बन्द था। ऐसी स्थिति में उस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह उत्तर में कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही की गयी और उस पर यहां से कुछ हुक्म भेजा गया। इसलिये कि जब यह सवाल पूछा गया उसके बाद इसकी छानबीन की गयी। वहां से जवाब आया तब मालूम हुआ। आपने जो यह कहा कि पहले क्यों नहीं बतलाया गया। आप अपने सवाल को पढ़ लें, उसमें यह है कि किस बिना पर अदालत ने उसको छोड़ा। उसको अदालत ने इस बिना पर छोड़ा है कि जिस आदमी ने पहले शिनाख्त की थी उसने अदालत में शनाख्त नहीं की। अदालत ने इस बिना पर नहीं छोड़ा है कि वह डकैती के दिन जेल में था, इसलिये शर्म की बात उन के लिये हो सकती है, हमारे लिये नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो आप से उनके प्रश्न का उत्तर देने को नहीं कहा था....

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

ऐसी बात पर माननीय मंत्री जी पुलिस की वकालत करते हैं और ऐसा उत्तर वह अपनी पाकेट में छिपाये रखते हैं (शेम शेम)

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मूल प्रश्न में लिखा है कि अभियुक्त डकैती के समय थाना बदलापुर, जौनपुर द्वारा चलाये गये अन्य अभियोग में जौनपुर, जिला कारागार में बन्द था। लेकिन उन्होंने जानबूझ कर उत्तर में इसको छिपाया है और वह अपनी लाड़ली पुलिस की पीठ थपथपाना चाहते हैं और वह प्रजातन्त्र की यह बातें करते हैं और हमारे ऊपर इस तरह से आक्षेप करते हैं, यह बहुत गलत बात है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आप ने अपनी राय कुछ प्रकट नहीं की कि उन्होंने सही किया या गलत किया, आप अपना मत दे दें।

श्री अध्यक्ष—

राय इस तरह से प्रकट करने का कोई कायदा नहीं है। मैं इसलिये यहां नहीं हूं कि बताता रहूं कि क्या गलत है, क्या सही है, यह तो सदन समझेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जब वह इस तरह की गलत चीजें करते हैं तो उन्हें फिर कौन समझायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

एक बात आप ध्यान में रखें कि अध्यक्ष पद से या इस पीठ से मेरे लिये यह शोभा नहीं देता कि मैं किसी को बताऊं कि तुम ऐसा करते हो, क्यों ऐसा करते हो। यह तो यहां के प्रश्नों और उत्तरों से ही अन्दाजा लगाया जा सकता है, जो भी कार्यवाही को पढ़ेगा वह अन्दाजा लगाये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मुकदमे का निर्णय कब हुआ था और पहले यह जानकारी कब हुई कि यह अभियुक्त निरपराध पकड़ा गया है और उनकी ओर से अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश कब दिये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ज्यों ही सरकार को मालूम हुआ थानेदार को ससपेंड किया गया और वह इस वक्त भी ससपेंड है।

श्री अध्यक्ष—

यह बतायें कि वह कब से ससपेंड है ?

(माननीय मंत्री जी के उत्तर न देने पर शोर)

श्री अध्यक्ष—

अभी उत्तर आ जायगा वह देख रहे हैं। वातावरण क्षुब्ध न हो।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय गृह मंत्री जी ने प्रश्न २४ के उत्तर में कहा था कि उस समय वह गृह मंत्री नहीं थे। तो प्रश्न संख्या २५ में जो यह मुन्नू पकड़ा गया है उस समय वह गृह मंत्री थे या नहीं ? यह दूसरा चालान जो मुन्नू का हुआ उसको सालिगराम, डि० वाई० एस० पी० ने पकड़ा है। माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि जिस समय अभियुक्त का चालान किया गया वह जेल में था। प्रश्न २४ के उत्तर में उन्होंने कहा कि जब वह किस्सा हुआ उस समय उनका कार्यकाल नहीं था। तो क्या अब वे त्यागपत्र देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जब मेरे पास यह सवाल आया और इसके जवाब की स्वीकृति के लिये आया तब मुझे यह मालूम हुआ और उसी वक्त मैंने दरोगा को ससपेन्ड कर दिया।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह नहीं था। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न २४ के उत्तर में यह कहा कि जब यह किस्सा हुआ मेरा कार्यकाल नहीं था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या श्री मुन्नू को गिरफ्तार आपके कार्यकाल में किया गया? यदि हां तो क्या आप त्यागपत्र देने के लिये तैयार हैं?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि इस अभियुक्त को जेल में ५ आदमियों में शिनाख्त की क्योंकि बिना शिनाख्त कार्यवाही के अदालत में कोई मुकदमा पेश नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूं कि अगर उस व्यक्ति को झूठा फंसाया तो वहां के एस० पी०, थानेदार और जिन व्यक्तियों ने झूठी शिनाख्त की, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया या नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जहां तक हमारी सूचना है, उन व्यक्तियों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

प्रश्न संख्या २४ और २५ के माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर सुनने के पश्चात् मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की जांच करवाने के लिये तैयार है कि जौनपुर जेल से कैदियों को छोड़ दिया जाता है ताकि वे बाहर कार्यवाहियां करते रहें और वापस आ जायें?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें सर्व प्रथम यह कब मालूम हुआ कि अभियुक्त बेकार में मुकदमे में फांस दिया गया और उस थानेदार के विरुद्ध कब आदेश प्रसारित हुए?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बता दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, इन्होंने कोई तारीख नहीं बतायी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप तारीख भी बता दीजिये कि कब आपने सस्पैन्शन किया और आर्डर दिया? ८ दिसम्बर, १९६५ को २५वां सवाल आया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, यह बात नहीं है। जितने कत्ल और डकैतियों के मुकदमों में सजायें होती हैं या जो भी ऐसे फैसले होते हैं, उनकी रिपोर्ट सरकार के पास आती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के आदमियों को कब मालूम हुआ कि अभियुक्त को निरपराध फ़ांसा गया था?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आती है। इस सत्र के पहले भी यह सवाल आया था।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल ८ दिसम्बर, १९६५ को आपके पास भेजा गया था।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न दो मर्तबा आ चुका है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस प्रश्न के उपस्थित होने के पूर्व इस विभाग के अधिकारियों ने उस सब इन्सपेक्टर को कोई सजा नहीं दी थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कह दिया जब मुझे मालूम हुआ तब सस्पेंड किया है।

जौनपुर के सेशन्स जज द्वारा पुलिस उपाधीक्षक श्री सालिगराम शर्मा व चिकित्साधिकारी, श्री एस० सी० भट्टाचार्य की आलोचना

*२६—कुंवर श्रीपालसिंह —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसका ध्यान जौनपुर जिले के स्थानापन्न सत्र न्यायाधीश श्री कैशालनाथ इंडले के आपराधिक अपील सं० २२२–१९६४, दिनांक ९ मार्च, १९६५ की ओर गया है, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने जौनपुर के पुलिस उपाधीक्षक श्री सालिग राम शर्मा तथा कारागार एवं पुलिस औषधालय के चिकित्साधिकारी, श्री एस०सी० भट्टाचार्य को शपथ लेकर असत्य एवं कपोल-कल्पित साक्ष्य देने का अपराधी ठहराया है तथा अपने निर्णय की एक प्रति सरकार को भी उचित कार्यवाही हेतु भेजी है। यदि हां, तो अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां।

जांच कराने पर मालूम हुआ कि माननीय जज ने जो नोटिस सी०आर०पी० सी० के धारा ४७९ए(५) के अन्तर्गत श्री सालिग राम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक तथा श्री एस०सी० भट्टाचार्य, कारागार एवं पुलिस औषधालय के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जारी किये थे उसमें नोटिस जारी होने के बाद श्री के०एन०राय, एस०डी० एम० की अतिरिक्त साक्ष्य हुई और उसके बाद माननीय जज ने उपरोक्त नोटिस को रद्द कर दिया। अतः इस संबंध में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इसके संदर्भ में जब तक मैं कुछ निवेदन न कर दूं तब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न के रूप में कर दें कि क्या यह सत्य है कि.....

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या यह सत्य है कि यह मुकदमा जिसके बारे में यह जजमेंट का उद्धरण दिया गया था एक रोडवेज के पुलिस ड्राइवर के खिलाफ था, वह रोडवेज की गाड़ी लेकर के आ रहा था और यह डी०एस०पी० साहब थाना सराय खाजा में उस को रोक करके पीटे और चोट कर के बन्द कर दिया। उन रोडवेज वालों ने हड़ताल की थी ? क्या इस की सूचना है मंत्री जी को ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

इस प्रश्न का संबंध मुझ से तो नहीं है । यह तो एन्फाइंटमेंट डिपार्टमेंट से है, इसलिये मैंने इसको देखा नहीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जब उसको थाने में बन्द किया, रोडवेज वालों ने हड़ताल की तो हड़ताल करने के बाद...

श्री अध्यक्ष—

आप का मतलब यह है कि थाने में बन्द होने के कारण हड़ताल हुई थी ?

कुंवर श्रीपालसिंह—

जी हां। उस के बाद डी०एस०पी० साहब गये भट्टाचार्य के पास और इन से उन्होंने कहा कि तुम हमें चोट यहां हाथ में दिखलाओ । उस ड्राइवर को मारा और फरजी बचत के लिये चोट लगवाई ।

श्री अध्यक्ष—

तो आप पूछिये कि क्या यह बात सही है या नहीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

तथ्यों को सदन की नोटिस में लाने का एक तरीका यह है कि आप प्रश्न कीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान माननीय जज, श्री कैलाश चन्द्र अंडेला के जजमेंट के पैरा दो पर गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री शर्मा ने अपने हाथ में एक चोट की श्री भट्टाचार्य से तस्दीक करा के झूठी गवाही दी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, उस को देखा है। लेकिन अंडेला साहब ने, जो जज साहब थे, उन्होंने इसका नोटिस दिया और उसके बाद इस नोटिस को डिस्चार्ज कर दिया और उस चोट को कोरोबरेट किया एक मैजिस्ट्रेट के बयान में। पहले वह मैजिस्ट्रेट अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे इसलिये अदालत ने नोटिस दे दिया । इसके बाद जब मैजिस्ट्रेट बयान देने आये और कहा कि श्री सालिगराम शर्मा को चोट लगी है तो उसी अदालत ने उस नोटिस को वेकेट कर दिया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो सेशन्स केस में ऐक्यूज्ड का ऐक्विटल हुआ उसका आधार यही था कि यह चोट श्री भट्टाचार्य ने और श्री शर्मा ने मिल कर के फैब्रीकेट कर के बनायी और उन्होंने उसके

आधार पर नोटिस दिया। नोटिस के बारे में प्रश्न इस में नहीं था और नोटिस के पहलू को अलग रख कर नैतिकता के आधार पर यह प्रश्न होता है कि यह दोनों अधिकारी इस हद तक जा सकते हैं। तो इस नैतिकता के आधार पर, उस टेक्नीकैलिटी को छोड़ कर कि क्या हुआ, उन के खिलाफ कोई स्टेप सरकार लेने के लिये तैयार है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इसको एग्जामिन करायेंगे। अगर दोषी पाये जायेंगे तो जरूर एक्शन लेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जजमेंट में दो चीजें कही गयी हैं। नोटिस की बात कही गयी है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। दूसरी बात यह कही गयी है कि इस जजमेंट की एक कापी एप्रोप्रियेट एक्शन के लिये सरकार के पास भेज दी जाय। तो इसके ऊपर क्या सरकार ने अब तक किया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस जजमेंट को हम चेंजवा रहे हैं। अगर दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या जजमेंट को भी जांचने का हक सरकार को हो गया है ? इस तरह से तो सीधा-सीधा पुलिस राज्य हो गया। अगर इनसे कुछ नहीं कहते हैं तो सत्यानाश कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये ५ दिन बहस होगी बजट पर। पुलिस विभाग का अनुदान आयेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष

*२७—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर), श्री लखीसिंह (जिला मथुरा), श्री विजयसिंह (जिला जालौन) तथा श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन जिलों से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में तथा मुख्य मंत्री कोष में कुल कितना धन, सोना, रुपया या अन्य सामग्री ३० नवम्बर, १९६५ तक प्राप्त हुई और प्राथमिकता के आधार पर इनके नाम क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में ही धन एकत्रित किया जाता है। ३० नवम्बर, १९६५ तक राज्य में प्राप्त धन एवं सोना की जिलेवार सूची संलग्न है। जहां तक अन्य सामग्री का प्रश्न है, काफी मात्रा में प्राप्त हुई तथा जिलाधीशों द्वारा उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् को भेजी जा चुकी हैं। इसकी सूची देना श्रमसाध्य है तथा उससे कोई लाभ न होगा।

प्राथमिकता के आधार पर प्रथम तीन जिलों का नाम इस प्रकार है लखनऊ, कानपुर, तथा गोरखपुर।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५१–५५२ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इलाहाबाद में मुईनुद्दीन की हत्या की जांच

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर में दिनांक ५–६ नवम्बर की रात्रि को मुईनुद्दीन नाम के आदमी को पुलिस के आदमियों ने गोली से मार कर इस्लामिया कालेज, जो अटाला मुहल्ले में है, फेंक दिया ? यदि हां, तो यह घटना क्या थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का विवरण संलग्न है। मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५५३ पर)

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मृतक मुईनुद्दीन की मां ने कोई शिकायती-पत्र सरकार के पास नवम्बर, १९६५ में भेजा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मृतक मुईनुद्दीन की मां के २ प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुये थे। इनमें पुलिस द्वारा कथित ज्यादतियों के बारे में शिकायत की गई थी और यह कहा गया था कि पुलिस उनके पुत्र को पकड़ कर ले गई और उसका कत्ल कर डाला।

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार उपरोक्त घटना की जांच (सी०आई०डी०) खुफिया पुलिस द्वारा कराकर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा हो रही है, अतः इस समय सी०आई०डी० द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में हरिजनों को सहायता

*३१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया में हरिजनों की सहायता के लिये १९६३–६४, १९६४–६५ (दिसम्बर तक) में कौन-कौन से प्रमुख कार्य किये गये ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना (अ) में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५५४–५५६ पर)

*३२—श्री उग्रसेन—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाई स्कूल तक के छात्रों की कुल छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष उक्त वर्षों में अलग-अलग कितनी दी गई ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना (अ) में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५५६ पर)

अलीगढ़ जिले में होमगार्ड्स को भत्ता

*३३—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ, तहसील अलीगढ़ में कितने होमगार्ड्स ने पुल तथा रेल की पटरी १ सितम्बर, १९६५ से १८ नवम्बर, १९६५तक पैट्रोलिंग्स किया और कितने दिन ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सूचना गोपनीय है, अतः इसे देना जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में न होगा।

*३४—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि जो होमगार्डस हाथरस जंकशन (एन०ई० रेलवे) से अरासौली स्टेशन रेल और पुलों के रक्षार्थ तैनात हैं उनको अभी तक न तो कोई दैनिक भत्ता मिला, न खाने का कोई भत्ता मिला है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हाथरस जंकशन से अगसौली तक रेल की पटरी और पुलों की रक्षार्थ जो होम गार्ड्स ड्यूटी पर लगाये गये थे उनमें से केवल १० होम गार्डस को, जो अपने क्षेत्र से बाहर गये हुए हैं, ड्यूटी भत्ते के ३९२ रुपये ५० पैसे भुगतान हेतु अवशेष हैं।

*३५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि रती का नगला स्टेशन के होमगार्ड्स ने तार काटने वाले को पकड़ा है ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। आगे प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष काशीपुर से जटपुरा ग्रामवासियों का झगड़ा

*३६—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि दिनांक ३१ जुलाई, १९६५ को दो बजे रात इंचार्ज थाना काशीपुर में कुछ बदमाशों को साथ लेकर ग्राम जटपुरा, थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद की एक गल्ले की आढ़त पर डाका डाला और वहां के चौकीदार इत्यादि ने थानेदार को और दो बदमाशों को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस अधिकारी को भेजी ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का विवरण संलग्न है मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५५७ पर)

सचिवालय में हरिजन अधिकारी

*३७—श्री रघुवीरसहाय कंथवार—

२९ अप्रैल, १९६५ के तारांकित प्रश्न सं० ९८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह क्या मुख्य सचिव शाखा में हरिजन संरक्षण नहीं रखा गया ? यदि हां, तो ६६ अधिकारियों में केवल एक हरिजन रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। हरिजन संरक्षण किसी शाला के आधार पर नहीं वरन् सेवाओं के आधार पर जहां कहीं ऐसा संरक्षण आवश्यक है, किया जाता है।

छाता तहसील में अपराध की घटनायें

*३८—श्री लखीसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् १९६५ से १५ सितम्बर, १९६५ तक मथुरा जिले की छाता तहसील में कितने कत्ल व डकैती हुई और इनमें कितने पंचायत के प्रधान तथा कितने पुरुष और औरतें हैं और इन औरतों से कितने रुपये का जेवर कातिलों ने लूटा है तथा यह हत्यायें दिन में हुई हैं या रात को और इन हत्याओं का कारण क्या है और यह हत्या किस-किस गांव तथा किस-किस थाने के अन्तर्गत हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जुलाई, सन् १९६५ से १५ सितम्बर १९६५ तक मथुरा जिले की छाता तहसील में हत्या की पांच घटनायें हुईं। इनमें कोई मृतक ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं था। इनके बारे में वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है। उक्त अवधि में इस तहसील में डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५५८ पर)

*३९—श्री लखीसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन हत्याओं का पता लगाने के लिये पुलिस ने क्या-क्या प्रयास किये ? क्या यह सत्य है कि ग्राम जाव की भगवती देवी के कत्ल के आरोप में छाता थाने की पुलिस ने २० रोज मुल्जिमों को थाने में रखा था ? यदि हां, तो उनके क्या नाम थे और वे कौन गांव के थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन हत्याओं का पता लगाने के लिये पुलिस ने प्रत्येक संभव प्रयत्न किये। एक मामले में तो अभियुक्त ने कुएं में कूद कर आत्म हत्या करली। २ मामलों में पुलिस ने अपराधियों का चालान किया तथा २ मामलों में पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगानी पड़ी। श्रीमती भगवती देवी के कत्ल के मामले में पुलिस ने न तो किसी को बन्दी बनाया और न किसी व्यक्ति को थाने पर रोका।

संडीला में पाकिस्तानी झंडा

*४०—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर १९६५ के अन्तिम अथवा नवम्बर १९६५ के प्रथम सप्ताह में संडीला जिला हरदोई में पाकिस्तानी झंडा बरामद हुआ ? यदि, हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा १२४ ए, १५३, १५३ ए तथा डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स, १९६२ के नियम ४१-६ ए तथा ४१-५ के अधीन मकदमा चल रहा है।

हरदोई जिले में थाना इंचार्जों के विरुद्ध इस्तगासे के मुकदमें

*४१—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में किन पुलिस इंस्पेक्टरों (थाना इंचार्जों) के खिलाफ इस्तगासे के मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला हरदोई में जिन थाना इंचार्जों के विरुद्ध इस्तगासे के मुकदमें चल रहे हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं —

१—श्री बिपिनबिहारी मिश्र, भूतपूर्व इंचार्ज थाना सांडी ।
२—श्री सूरज सिंह, भूतपूर्व थाना इंचार्ज कोतवाली ।
३—श्री श्याम सिंह, थाना इंचार्ज टडियावां ।
४—श्री बद्री प्रसाद वर्मा, भूतपूर्व इंचार्ज थाना बेनीगंज ।
५—श्री कुन्दन सिंह, भूतपूर्व इंचार्ज थाना सांडी ।

*४२—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

मैनेजर हायर सेकेन्डरी स्कूल, कादम्बरी के विरुद्ध धन दुरुपयोग की शिकायत

*४३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कादम्बरी कानन पिंडरा, वाराणसी को रीइम्बर्समेंट आफ लास स्कीम, जनवरी, सन्, १९६४ लगायत जून, १९६४ तक हरिजन वेलफेयर स्कीम में हरिजन छात्रों का १६६ रुपया ३२ पैसा, कक्षा १२ के तीन छात्रों का मैनेजर ने २ जुलाई, १९६४ को जिला हरिजन कल्याण आफिस, वाराणसी के नाम का अपने नाम से बनवाकर स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कैश करा लिये और उन रुपयों को मेंन्टेनेन्स कैशबुक, जो विद्यालय का है, उसमें जमा नहीं किया है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । विद्यालय के समस्त कागजात एक मुकदमें के सिलसिले में न्यायालय में है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि उक्त धन कैशबुक में जमा किया गया अथवा नहीं ।

*४४—श्री ऊदल—

क्या इस सम्बन्ध में जगदीश सिंह, गांव जमापुर, थाना फूलपुर, वाराणसी ने एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, वाराणसी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, वाराणसी को ५ नवम्बर, १९६५ को दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, मैनेजमेंट के आपसी झगड़े का मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण समस्त कागजात न्यायालय में हैं । अतः कोई कार्यवाही संभव नहीं है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जामों में छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत

*४५—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामो, जिला सुल्तानपुर में १९६५-६६ के लिये किन-किन लड़कों के कितने-कितने रुपये मासिक

छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तथा किन-किन लड़कों को छात्रवृत्ति का फार्म भरने पर भी छात्रवृत्ति नहीं मिली, उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५५९–५६० पर)

*४६—श्री भगवानदीन—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त स्कूल में सन् १९६३–६४ में क्या कोई ऐसे भी हरिजन छात्र थे जिनके कक्षा ५ में करीब ६० प्रतिशत अंक होने पर भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । १९६३–६४ में उपरोक्त स्कूल में कक्षा ६ में केवल उन छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिल सकी जिनको ५वीं कक्षा में ६८ प्रतिशत तथा उसके ऊपर के अंक प्राप्त हुये थे । अतः ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेन्ट्रल रोडवेज वर्कशाप कानपुर के कर्मचारियों पर फायरिंग

*४७—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ नवम्बर, १९६५ को कानपुर स्थित सेन्ट्रल रोडवेज वर्कशाप के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई ? इसका क्या कारण था ? गोली चलाने के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों को चोटें आयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

गोली चलाने के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

विष्णुपुरा विद्यालय के प्रबन्ध की जांच

*४८—श्री मन्नालाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अगस्त, १९६५ में गोरखपुर जिला स्थित विष्णुपुरा नामक स्थान पर जन-जातियों के लिये आश्रम प्रकार का विद्यालय चल रहा है ? उसके प्रबन्ध में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच डी० पी० ओ० द्वारा की गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । जांच जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की गई थी । खाने-पीने, अध्ययन तथा रहन-सहन की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ त्रुटियां प्रकाश में आईं जिनको दूर करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर दी गई है ?

*४९—श्री मन्नालाल—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित विद्यालय से सहायक अधीक्षक उक्त विद्यालय में कब से काम कर रहे हैं तथा इस अवधि में उनके लिये स्थानान्तरण आदेश कितनी बार दिया गया और हर बार उसे रोक देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम---

सहायक अवीक्षक उक्त विद्यालय में ९ फरवरी, १९६२ से काम कर रहे हैं। इस अवधि में तीन बार उनके स्थानान्तरण के आदेश किये गये। जनहित में स्थानान्तरण स्थगित करने पड़े।

बुलन्दशहर जिले से जवानों को दीपावली उपहार

*५०---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दीपावली के अवसर पर सीमा पर तैनात जवानों को दीपावली का उपहार भेंट करने के लिये बुलन्दशहर जिले के कौन-कौन राजकीय अधिकारी सीमा पर गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जिला नागरिक समिति बुलन्दशहर की ओर से दीपावली के अवसर पर सीमा पर तैनात जवानों को दीपावली का उपहार भेंट करने के लिये बुलन्दशहर जिले के निम्नलिखित राजकीय अधिकारी सीमा पर गये थे---

(१) श्री मोहन चन्द्र जोशी---जिला नियोजन अधिकारी एवं मंत्री, जिला नागरिक समिति, बुलन्दशहर।
(२) श्री चन्द्र भाल सिंह गौड़--क्षेत्राधिकारी, बुलन्दशहर।
(३) श्री श्याम नारायण सेठ---क्षेत्राधिकारी, सिकन्द्राबाद।
(४) श्री नवीन चन्द्र---जिला सूचना अधिकारी।
(५) श्री सुरेन्द्र नारायण रायजादा---स्टाफ आफीसर होम गार्ड।

*५१-५२---श्री राम किशोरत्रिपाठी तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां---

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १५-१६ के अन्तर्गत संशोधित रूप में निर्धारित किये गये।]

गाजीपुर जिले में उद्योग सहायता

*५३---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गाजीपुर जिले में १९६३-६४ व १९६४-६५ में पांच हजार रुपये या इससे अधिक धन किन-किन उद्योगों के लिये किन-किन लोगों को दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५६२ पर)

*५४---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार गाजीपुर जिले में कोई दीर्घ उद्योग लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां क्या उद्योग लगाना चाहती है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी---

जी हां। गाजीपुर में एक सहकारी चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*५५---श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

[३ रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

एशियन बैडमिन्टन प्रतियोगिता

*५६—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६५ में होने वाले एशियन बैडमिन्टन प्रतियोगिता में सरकार ने क्या आर्थिक सहयोग प्रदान किया और उसके प्रबन्ध में किस प्रकार का सरकार का हाथ था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*५७-५८—श्री विजयसिंह—

[पुनर्विचार पर हटा दिये गये।]

बिनावर थाने में बन्दूक के लाइसेन्स

*५९—श्री रामचरण शाह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के थाना बिनावर में १ जनवरी, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६५ तक किस-किस व्यक्ति को बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बदायूं जिले के थाना बिनावर में १ जनवरी, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६५ तक ३९ व्यक्तियों को बन्दूक के लाइसेंस दिये गये। उनके नाम की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५६३-५६४ पर)

हथियार बनाने का कारखाना

*६०—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री रामचरण शाह—

क्या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में बन्दूक बनाने के कारखाने के निर्माण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी पूरी रूप रेखा क्या है ? कारखाना कहां खोला जायगा तथा निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, एक छोटे हथियार बनाने का कारखाना खोलने का प्रस्ताव है।

अभी भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। उनकी अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् कारखाने की रूपरेखा तैयार की जायगी।

गन्ना यूनियन, फैजाबाद

*६१—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना यूनियन, फैजाबाद में कितने किसान शेयर होल्डर हो चुके हैं और उनका कुल कितना रुपया शेयर का जमा हो चुका है ?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना यूनियन, फैजाबाद में कुल ३६,८६३ सदस्य शेयर होल्डर्स हो चुके थे और उनका कुल शेयर धन रु० ३,३९,६३२.८२ पैसे समिति में जमा है। उक्त शेयर होल्डरों की संख्या में से १५,३४६ सदस्य कतिपय कारणों से सदस्यता से खारिज किये जा चुके हैं।

*६२—श्री महादेव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना यूनियन, फैजाबाद में कितने किसानों को उनके शेयर की पास बुक दी जा चुकी है ?

डाक्टर सीताराम—

शेयर की कोई पास बुक नहीं होती बल्कि शेयर सार्टिफिकेट होता है। कुल ११,१८६ शेयर पूरे हो चुके हैं। ६,६७२ शेयर सार्टिफिकेट सदस्यों में वितरित किये जा चुके हैं। शेष ४,५१४ पूरे हिस्सों के शेयर सर्टिफिकेट बनाये जा रहे हैं और शीघ्र ही बांट दिये जावेंगे।

सहकारी उद्योग

*६३—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि सहकारिता के आधार पर कौन-कौन उद्योग उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से चल रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शमसाबाद बर्तन उद्योग को सहायता

*६४—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री प्रयाग जिले के शमसाबाद बर्तन उद्योग निर्माण सहकारी समिति तहसील सिराथू के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) गत ४ वर्षों में इसे कितना अनुदान सहायता या कर्ज सरकार द्वारा दिया गया ?

(२) समिति के पदाधिकारियों का चुनाव कब से नहीं हुआ तथा नियमानुसार कब होना चाहिये ? तथा

(३) क्या मंत्री जी गत तीन वर्षों की बैलेंस शीट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार द्वारा चार वर्षों में इस समिति को ८,००० रु० कार्यशील पूंजी हेतु ऋण ब्लाक स्तर से और ६,७७१ रु० व्यवस्थापन व्यय हेतु एवं कार्यशाला निर्माण हेतु अनुदान दिया गया था।

समिति के पदाधिकारियों का चुनाव २१ दिसम्बर, १९६५ को हो चुका है। नियम के अनुसार प्रतिवर्ष बैलेंस शीट बन जाने एवं निबन्धक को प्रस्तुत कर देने के दो महीने के बाद चाहे समिति का आडिट न भी हुआ हो तो समिति को अपना वार्षिक जलसा एवं पदाधिकारियों का चुनाव करना चाहिये।

समिति का बैलेंस शीट वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ और १९६४–६५ की प्रतियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ५६५–५६६ पर)

अतारांकित प्रश्न

स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर को दिया गया सीमेंट

१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री १२ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २९ एवं ३० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी को १,०९० मैट्रिक टन सीमेंट के दिये जाने और व्यय का हिसाब उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो यह क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां ।

सर्वश्री स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर को मऊनाथ भंजन में काटन स्पिनिंग मिल के निर्माण के लिये १,०९० मैट्रिक टन सीमेंट एलाट किया गया था। बाद में यह मिल नैनी में स्थापित की गई। अतः कम्पनी ने हस्तान्तरण की आज्ञा प्राप्त करके ३४५ टन सीमेंट का प्रयोग नैनी में कर लिया था और शेष ७४५ टन सीमेंट कम्पनी द्वारा न खरीदे जाने के कारण उनका परमिट रद्द (lapse) हो गया ।

२---श्री रामचन्द्र विकल---

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

गन्ने की सुरक्षा

३---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष गन्ना की ३१२ तथा अन्य किस्में उत्तर प्रदेश में सूख रही हैं इसके विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां। मेरठ जिले में जहां काने के रोग का प्रकोप अधिक है वहां रोकथाम का विशेष प्रबन्ध किया जा रहा है। वैसे ३१२ जाति के गन्ने के बदलने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राजकीय प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, उन्नाव

४---श्री भोलालाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, उन्नाव में किन-किन उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है और वर्ष १९६४-६५ में प्रत्येक शाखा में कितने-कितने विद्यार्थी थे और कितने-कितने अध्यापक थे और १९६५-६६ में प्रत्येक शाखा में कितने-कितने विद्यार्थी एवं शिक्षक हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

राजकीय प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, उन्नाव में शिक्षात्मक वर्ष १९६४-६५ व १९६५-६६ में चलने वाली कक्षाओं में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की संख्या निम्न प्रकार है---

वर्ष १९६४-६५

कक्षाओं के नाम	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
१---काष्ट कला	९	२
२---विद्युत् कला	११	१
३---ढलाई कला	९	१
४---लौह कला	८	१
५---मैशीनिष्ट कला	१३	१
वर्ष १९६५-६६		
१---काष्ट कला	९	२
२---विद्युत् कला	१६	१
३---मैशीनिस्ट कला	१५	१

ताड़ गुड़ विकास योजना

५—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में ताड़-गुड़ खाद्य का उत्पादन बढ़ाने हेतु ताड़-गुड़ विकास योजना का कार्य चालू है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित ११ जिलों में ताड़ गुड़ विकास योजना का कार्य चालू है:—

१—कानपुर २—हमीरपुर ३—झांसी ४—मैनपुरी ५—बिजनौर ६—रामपुर ७—बांदा ८—नैनीताल ९—मेरठ १०—बुलन्दशहर ११—उन्नाव ।

६—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष १९६०–६१ व १९६१–६२ में कितनी मात्रा में ताड़-गुड़ खाद्य का उत्पादन हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष १९६०–६१ में ताड़ गुड़ का उत्पादन २०५०–६० क्विंटल व १९६१–६२ में ३२५४ क्विंटल हुआ ।

७—श्री भीखालाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताड़ वस्तु विकास योजना उद्योग विभाग के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ से ३१ दिसम्बर, सन ६५ तक कुल कितने विभिन्न पदों को स्थायी घोषित किया गया ? उनमें से विभिन्न पदों पर कितने-कितने कर्मचारी अब तक स्थायी किये गये और कितने अस्थायी हैं और अस्थायी रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ताड़ वस्तु विकास योजना के अन्तर्गत सन् १९६१–६२ से दिसम्बर ३१, १९६५ तक कुल निम्नलिखित विभिन्न पदों को स्थायी घोषित किया गया:—

		पद	रु०
१—ताड़ वस्तु विकास अधिकारी	..	१	२५०–८५०
२—ताड़ वस्तु विकास निरीक्षक	..	२	१२०–२५०
३—ताड़ वस्तु प्रदर्शक ..	..	५	४५–८०
४—ताड़ वस्तु मार्ग दर्शक ..	..	७	२७–३२

उपरोक्त स्थायी पदों में से कुल ५ ताड़ वस्तु प्रदर्शकों व १ मार्ग दर्शक को अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया जा सका । इनके अस्थायी रहने के कारण यह है कि कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ मामले हैं जिनके तय होने पर इस ओर तत्काल कार्यवाही की जा सकेगी ।

केराकत थानान्तर्गत गो-हत्या

८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बतायेगी कि २५ अक्तूबर, १९६५ को मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को केराकत निवासियों (जिला जौनपुर) से कोई तार मिला था कि २ अक्तूबर की रात्रि में मनियारा ग्राम तहसील, जिला जौनपुर में कुछ बदमाश लोगों ने एक गर्भवती गाय को भाले से मार डाला, परन्तु जिले के पुलिस अधिकारियों ने वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को डांटा, अपशब्द कहे ? सरकार ने अभी तक इस विषय में क्या किया ? क्या पूरी घटना बताने का कष्ट करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुख्यमंत्री जी को केराकत निवासियों से दिनांक २५ अक्तूबर, १९६५ को इस आशय का कोई तार प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। गोहत्या के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता महोदय का दिनांक ५ अक्तूबर १९६५ का तार अवश्य प्राप्त हुआ था। घटना एवं शासन द्वारा मामले में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

यह सही नहीं है कि पुलिस अधिकारियों ने किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया हो।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ५६७ पर)

अमरोहा–मुरादाबाद के बीच सहकारिता मंत्री पर डकैती

९—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत २० नवम्बर को अमरोहा और मुरादाबाद के बीच में माननीय सहकारिता मंत्री श्री बनारसी दास पर रात में सड़क पर डकैती डालने की चेष्टा की गई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २०-२१ नवम्बर, १९६५ की रात को अमरोहा–मुरादाबाद के बीच सहकारिता मंत्री की कार रोक कर लूटने की घटना हुई थी।

१०—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार इसके पूरे विवरण को बताने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ५६८ पर)

गृह मंत्री द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तरों के प्रति असंतोष

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं आपके जरिये कि माननीय गृह मंत्री के सम्बन्ध में इधर या उधर के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार निवेदन किया है कि इनको हटाइये और आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि १३० सदस्यों ने लिख कर उन्हें और श्री राज्यपाल को दिया कि इनके काल में डकैती, कत्ल, चोरी झूठ तथा फरेब बहुत बढ़ गया है। ऐसे अवसर पर हम लोग मांग करते हैं कि वह अपना इस्तीफा दे दें, लेकिन वह अभी तक हो नहीं पाया है। इसके प्रोटेस्ट में मैं तथा मेरी पार्टी के सदस्य ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इन प्रश्नों के जरिये जो सच्चाई सदन के सामने आई है वह जौनपुर की है जहां के गृह मंत्री रहने वाले हैं। मुख्य मंत्री ने कहा था कि ३ दिन के बाद भी विरोधी दल के लोगों ने पुलिस की कोई सराहना नहीं की जब कि उसने सीमा पर भी काम किया। मैं पुलिस के गुणों की सराहना करता हूं, लेकिन उसके अवगुणों की भर्त्सना करना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। जो तथ्य सामने आये हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पुलिस मंत्री कुर्सी छोड़ें वर्ना प्रदेश का सत्यानाश हो जायगा। इसके प्रोटेस्ट में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, इसके साथ-साथ डिप्टी गृह मिनिस्टर साहब को भी निकालिये। यह अपर हाउस के मेम्बर हैं। ये रोज एस० पीज को टेलीफून करते हैं। इनके टेलीफून काल्स मंगा ली जायं। मैं और हमारा दल भी सदन से वाक् आउट करता है।

(श्री नेकराम शर्मा ने सदन का परित्याग किया।)

श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मैं भी ५ मिनट के लिये सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री मुन्नूसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं भी ५ मिनट के लिये सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री खेमचन्द ने सदन का परित्याग किया।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे खेद है कि एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया था उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

कानपुर की शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपने अयोग्य विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठाने तथा उत्तीर्ण छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के संदर्भ में माननीय हरीशकुमार गंगवार और शिवनाथसिंह जी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है। आपका और माननीय शिवनाथ सिंह की सूचना विरोधात्मक है। माननीय शिवनाथ सिंह जी की सूचना इस प्रकार है कि—

"शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश को इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि शहर कानपुर की कुछ शिक्षा संस्थाओं में अनियमित कार्यवाही अपना कर अयोग्य विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठाने की आशा दिलाई गई है। सूचना के आधार पर शिक्षा परिषद् द्वारा नगर के अनेकों कालेजों पर अनियमित ढंग से तैयार किये गये हाजिरी रजिस्टर आदि अनेक कागजात पकड़े गये हैं। जांच के परिणामस्वरूप १२वीं कक्षा के ५० छात्रों को जो उत्तीर्ण थे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिये हैं। साथ ही दो प्रधानाध्यापकों व लगभग डेढ़ दर्जन अध्यापकों को शिक्षा संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया है।

जांच में कुछ निर्दोष अध्यापकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा की गई जालसाजी एवं अनजान विद्यार्थियों को रहस्यमय ढंग से फंसा कर उनका भविष्य बर्बाद करने के विरोध में जनता में घोर असन्तोष एवं रोष व्याप्त है. . .आदि।"

माननीय गंगवार जी की इससे विपरीत है। मैं समझता हूं कि माननीय शिवनाथ सिंह जी की ठीक है। गंगवारजी ने लिखा है कि विश्वविद्यालय में कुछ छात्र हैं। ऐसी बात नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, यह बात नहीं है। आप पढ़ लें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

खैर, मैं दोनों को भेज रहा हूं। इनका कहना यह है कि—

"उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् द्वारा इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण कानपुर के ५० छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया है। उक्त छात्र विश्वविद्यालय कक्षाओं में प्रवेश लेकर पढ़ रहे हैं। अब उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर देने से एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परिषद् के इस आदेश से छात्रों एवं उनके अभिभावकों में तीव्र असन्तोष व्याप्त है...आदि।"

कब आप बयान देंगे ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

श्रीमन्, १५ तारीख रख दीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, १५ तक तो बहुत देर हो जायेगी। सोमवार को रख दीजिये।

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, ८ तारीख तक सम्भव नहीं है। इसका वास्ता इंटरमीडिएट बोर्ड से है और ५० विद्यार्थियों का मामला है। मालूमात करने में देर हो जाती है। इसलिये निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह है कि अगर हो सके तो जल्दी हो जाये। अविलम्बनीय महत्व का है इसलिये कि परीक्षायें आ रही हैं। आप सोमवार तक देने का प्रयत्न कीजिये।

श्री राममूर्ति—

मान्यवर, मेरे पास जब आपके कागजात आये तो मैंने बुला कर पूछा। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। इसलिये ऐसा निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब एक माननीय चन्द्रबलीसिंह जी की सूचना है। इसको मैं माननीय मंत्री जी के पास शीघ्र और उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं। और माननीय बिपिनबिहारी तिवारी....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

वाक आउट कर गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मुनासिब कार्यवाही कर दी गयी है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जो मेरा है, पेट्रोल से आग लग जाने के विषय में है...

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ आप देखें, निश्चित विषय होना चाहिए। कहां की घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं हैं, जिस पत्र के आधार पर आपने दिया है उसमें हमें निश्चित रूप से तथ्य नहीं मिले। अगर उनको मंगवा लीजियेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं वाक आउट कर गया था, इसलिए सुन नहीं पाया कि मेरी सूचना पर क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष—

कोई अविलम्बनीयता उसमें नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह कोई सरकार का एक कदम नहीं, तमाम नीति से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

अविलम्बनीयता नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नियम ५३ में स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह बचन नहीं दे सकता हूं।

नदौता ग्राम में डाकुओं, द्वारा बारातियों के अपहरण के सम्बन्ध में नियक ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

दिनांक १६ जनवरी, १९६६ को श्री दाताराम निवासी देहली अपने पुत्र की बारात लेकर ग्राम नदौंता, थाना डौंकी, जिला आगरा, में श्री राम सहाय वैश्य के यहां आ ये थे। रात १० बजे के लगभग जब कि बारातीगण जनवासे में बैठे थे तो १०–१२ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और बारातियों का सामान लूटने लगे। उसी समय बधू का भाई श्री चन्द्रधर घर से गैस का हंडा लेकर जनवासे आ रहे थे। डाकुओं ने उसे भी वहां मार दिया। सामान लूटने के पश्चात् डाकू चलते समय १२ व्यक्तियों का अपहरण करके ले गये। रास्ते में घटनास्थल से एक मील की दूरी पर उन्होंने ३ व्यक्तियों को छोड़ दिया। दिनांक १८–१–६६ को उन्होंने २ और व्यक्तियों को ग्राम दिगनेर थाना ताजगंज जिला आगरा के पास छोड़ दिया।

२—इस घटना की रिपोर्ट श्री किशन पुत्र राम सहाय ग्राम नदौता ने उसी रात को लगभग डेढ़ बजे थाने में लिखाई। घटना की सूचना मिलते ही थाना डौंकी के थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ तुरन्त ही घटनास्थल पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने समस्त जमुना तथा चम्बल घाटी में डकैतों के दल तथा अपहृत व्यक्तियों के लिए तुरन्त खोज करवाई परन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

३—घटना से थाना ४ मील दूर है और शहर से यह स्थान १० मील दूर है। दुर्घटना की रात्रि को पी० ए० सी० एक दूसरे इलाके का गश्त कर रही थी।

४—आगरा पुलिस डकैतों तथा अपहृत व्यक्तियों के लिए राजखेड़ा पुलिस क्षेत्र राजस्थान में भी दविश दे चुकी है तथा डाकुओं के पकड़ने तथा अपहृत व्यक्तियों की बरामदगी के लिए बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह तो केवल वक्तव्य के लिए था।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

इसमें एक पार्टी के दर्जनों आदमियों को दिनदहाड़े डाकुओं ने अपहरण किया है। इसकी महत्ता को देखते हुए स्पष्टीकरण का कुछ अवसर देना चाहिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अगर आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं।

उत्तर प्रदेश विद्युत्-कर विधेयक, १९६६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत-कर विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत्-कर विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत्-कर विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'य' आगे पृष्ठ ५६९–५७७ पर)

*उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६

†सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, १९४७ में भारत सरकार ने एक कानून पास किया था, जिसके अनुसार औद्योगिक विवादों को तय करने के लिए कुछ व्यवस्था की गयी थी। केन्द्रीय सरकार ने उस कानून के अन्दर फिर से सन् १९५६ में संशोधन किया जिसमें इस बात की व्यवस्था की गयी कि औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और इंडस्ट्रियल कोर्ट की व्यवस्था की जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इस कानून के मातहत हमारे प्रदेश में सन् ५७ में पहले पहल यह संशोधन किया गया कि इंडस्ट्रियल कोर्ट की नियुक्ति किस तरह से की जाय और बाद में यह व्यवस्था की गयी कि एक कमेटी बनायी जाय जिसमें हाई कोर्ट का एक जज अध्यक्ष हो और चीफ सेक्रेटरी, श्रम विभाग के सचिव तथा लीगल रिमेम्बरेन्सर उसके सदस्य हों। कुछ समय के बाद उस ऐक्ट के अन्दर यह संशोधन किया गया कि उस कोर्ट के अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सदस्य रखा जाय जो उसके चेयरमैन द्वारा नियुक्त हो। उसमें यह और बढ़ाया गया था। यह कमेटी सन् ५७ में काम करती रही। उसके बाद कुछ कानूनी विवाद इसके बारे में पैदा हुआ। तीन मर्तबा इस कमेटी की बैठक हुई और एक पेनल बनाया गया इंडस्ट्रियल कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की नियुक्ति के लिए। फिर एक मीटिंग होने वाली थी। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने उस समिति में पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को इस आधार पर नियुक्त करने से इन्कार कर दिया। उनका कहना यह था कि सन् ५७ का कानून जो विधान

---

*२८ जनवरी, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मण्डल ने पास किया था वह अल्टरावायरस था। क्योंकि कांस्टीट्यूशन की धारा ३२० के मुताबिक इस सर्विस को पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं निकाला गया था। इस सम्बन्ध में हमने कानूनी सलाहकारों से राय ली, उनका कहना यह था कि चूंकि विधान सभा ने इस कानून को पास किया, विधान सभा सक्षम थी इस कानून को पास करने में।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष ने कमेटी में अपना कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे पेनल—इंडस्ट्रियल कोर्ट और इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जजों की नियुक्ति नहीं की गयी। इसलिए मौजूदा विधेयक में संशोधन तो केवल यह किया गया है कि जहां वह कमेटी बनेगी, जिसमें एक हाई कोर्ट का जज, चीफ सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी और लीगल रिमेम्बरेन्सर होंगे। उसके अन्दर इतना संशोधन और किया गया है कि अभी तक जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रह चुके हैं या हैं उनको गवर्नमेंट उस कमेटी में नियुक्त कर सकेगी। एक संशोधन यह भी किया गया है कि इंडस्ट्रियल कोर्ट या इंडस्ट्रियल, ट्रिब्यूनल के जजेज की क्वालिफिकेशन क्या हो। उसमें हमने केवल इतना इजाफा किया है कि जज या अतिरिक्त जज जो तीन साल तक रह चुके हों। इसके पहले हमने रखा था कि जिसकी जुडिशियल सर्विस ७ साल तक रही हो। हायर जुडिशियल सर्विस के अन्दर बार से अब सीधे भी नियुक्ति हो जाती है और अगर किसी जज की सर्विस ७ साल के बजाय दो तीन साल ही हुई तो ऐसा व्यक्ति मौजूदा कानून के मुताबिक पेनल में नियुक्ति के अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसलिए हमने इसको रखा है। तो यह ऐसा विधेयक है जिसका न तो श्रम विभाग की नीति से सम्बन्ध है और न इसके कार्य से सम्बन्ध है। उसका सम्बन्ध तो केवल औद्योगिक झगड़ों को तय करने के लिए बनने वाले इंडस्ट्रियल कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल में नियुक्त होने वाले जजों से है कि हम किस तरह से उनकी नियुक्ति करें। जो कांस्टीट्यूशनल कठिनाई आयी और चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आपत्ति की उसी के आधार पर हम यह संशोधन विधेयक लाए हैं कि किस तरह से उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। और दूसरे योग्यता में एक मामूली परिवर्तन करना चाहते हैं। सीधे जो लोग बाहर से आकर जजेज बन जाते हैं या एडिशनल जजेज बन जाते हैं—जिनकी सेवायें ३ साल तक रह चुकी हैं वे क्वालिफाई समझे जायं इंडस्ट्रियल कोर्टस् और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जजेज बनने के लिए। इस विधेयक के उद्देश्य का यहीं तक सम्बन्ध है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिसमें दो मत हो सकते हों। मुझे आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे।

माननीय मन्त्री महोदय ने अभी जो संशोधन के जस्टीफिकेशन में यह कहा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिस पर किसी को विरोध करने की आवश्यकता हो। मैं कुछ हद तक इसको मानता हूं, परन्तु एक बात के विषय में माननीय मन्त्री महोदय ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही, जिसके लिए कहा जा सके कि यह जो कार्यकाल की अवधि जजों के विषय में घटाई गयी है, उसका क्या कारण है, उसका क्या औचित्य है? और उससे इस ट्रिब्यूनल और औद्योगिक झगड़ों के निपटारे में क्या लाभ हो सकता है? मैं विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं कि यह जजेज के कार्यकाल की अवधि कम करके और ऐसे लोगों को जिनको थोड़े समय का अनुभव हो और थोड़े समय के अनुभव के पश्चात् वह इन ट्रिब्यूनल में ले लिए जायं और उनके द्वारा इस प्रकार के महत्वपूर्ण निपटारे हों, तो उसके पीछे हमें सरकार का कोई बड़ा निहित स्वार्थ दिखाई पड़ता है। यह बात अब किसी से छिपी नहीं रह गयी है कि इस शासन में अब जजों की नियुक्ति में भी कुछ पक्षपात होता है और इसी प्रवृत्ति का यह भी एक अंग है कि ऐसे व्यक्ति जिनका कार्यकाल कम हो, थोड़ा अनुभव हो, जिनका विशेष सम्बन्ध सरकारी पक्ष से हो, जो सरकार की कुन्बापरस्ती

[श्री दयाराम शाक्य]

के आधार पर हों, उन्हें उसमें ले लिया जाय, जिससे इस सरकार के स्वार्थ सधते रहें और जनता और मजदूरों के साथ अन्याय होता रहे। ऐसे लोगों को लाकर सरकार उनसे अपनी इच्छानुसार निर्णय कराना चाहती है। होना यह चाहिए था कि ऐसे जजेज की नियुक्तियां की जातीं, जिनका कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा रहा हो और हो सकता तो ऐसा किया जाता कि जिनका अनुभव सबसे अधिक समय का होता उनकी नियुक्ति की जाती, लेकिन, वह अवधि घटाकर सरकार ने इस निपटारे में जनता का और लेबर के हित का कोई ध्यान नहीं रखा है। मैं समझता हूं इस बात का जस्टीफिकेशन नहीं है और इस प्रकार का जो संशोधन है वह जनहित में नहीं है और लेबर जिसके लिए कहा जाता है कि हम उसके फायदे के लिए यह लाए हैं, उनके हित में भी यह नहीं है।

दूसरे जो संशोधन हैं, उस पर मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो निर्णय हुए हैं, उसके विषय में कुछ कहना उचित नहीं है। किन्तु जो जजेज के सम्बन्ध में बात कही गयी है, उसके बारे में मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह पुनः उस पर विचार करें और इसमें संशोधन करें और जो अवधि पहले रखी गयी थी, उससे कम की अवधि जजेज की इसमें न रखी जाए, क्योंकि इससे श्रमिकों को असन्तोष होगा। मैं समझता हूं मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे और जैसा कि मैंने संशोधन रखा है इसी लिए रखा है कि यह ज्ञात हो जाय कि यह श्रमिकों के कतई पक्ष में नहीं है और न जनता के ही पक्ष मे है। इसको परिचालित किया जाय और उसके बाद एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए ताकि वह प्रवर समिति गम्भीरता से और शान्ति के साथ इस पर विचार विनिमय कर सके और विचार विनिमय करने के पश्चात् यहां लाया जाय। सारी बातें उनके सामने आ जायेंगी तो उसके पश्चात् समिति गम्भीरतापूर्वक अपना विचार कर सकेगी। उस समय जो संशोधन प्रवर समिति देगी उस पर विचार करने के बाद यहां पर इस विधेयक को लाया जाय तो अधिक अच्छा होगा। इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय दयाराम जी शाक्य ने प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, वैसे तो यह बहुत अच्छा विधेयक है और जैसे कि कारण सरकार ने बतलाए हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में जो कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उसके अनुसार ही यह बनाए रखने के लिए हमने यह परिवर्तन किए हैं। इसको अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो ३ धाराओं के अन्दर इसमें परिवर्तन करने की बात की गई है। उनमें केवल जिला जज और अपर जिला जज को भी ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण और कोर्ट के अन्दर रखा जा सके इसलिए यह सारी व्यवस्था की गई है। सारा विधेयक इसी बात पर है कि जिला जज और अपर जिला जज को किसी प्रकार न्याय का काम करने के लिए नियुक्त किया जा सके। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अन्तर्गत ही प्राविधान करने के लिए यह सारी की सारी व्यवस्था इस विधेयक में है। इस विधेयक के अन्दर जो यह व्यवस्था की गई है कि अपर जिला जज भी नियुक्त किया जा सकता है, वह तो पहले से व्यवस्था है। ७ साल की सर्विस का जुडिशियल अफसर भी इसमें नियुक्त किया जा सकता है। ७ साल का अनुभव रखने वाले नए मुन्सिफ या जो जज हैं वह इसके अन्तर्गत नियुक्त किए जा सकते हैं। इसमें जिला जज भी आ जायगा, ऐसी व्यवस्था इसमें है, फिर भी यह व्यवस्था इसमें करने की बात मन्त्री जी कर रहे हैं तो इसमें हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा यह है कि अपने प्रदेश के अन्दर जो न्यायाधिकरण या लेबर कोर्ट चल रहे हैं उनमें जो न्याय करने की व्यवस्था है उनमें इनकी नियुक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसी पुलिस अफसर को नियुक्त करने की है या जुडिशियल अफसर को नियुक्त करने की व्यवस्था है तो सबसे अच्छा रहेगा। इसमें किसी प्रकार पक्षपात का आरोप भी सरकार के ऊपर नहीं आएगा और न उसके ऊपर कोई चर्चा आएगी। हमारी आशंका यह है कि जब जिला जज नियुक्त होने लग जायेंगे तो फिर जिला जज के ऊपर एक प्रकार से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभाव डालने की प्रवृत्ति पैदा होगी। वह ऐसा कार्य करेगा जिससे सरकार खुश हो ताकि रिटायर होने के बाद वह किसी न्यायाधिकरण में नियुक्त किया जा सके। ऐसी भावना जुडिशियल श्रेणी के काम करने वाले जजों के अन्दर पैदा हो सकती है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जो अब तक व्यवस्था थी वह पर्याप्त थी। इसके अन्दर यह नई व्यवस्था उचित नहीं मालूम होती है। अगर मन्त्री जी इस विधेयक को लाना चाहते थे तो मन्त्री जी कोई ऐसा संशोधन लाते, जिससे मजदूरों को राहत मिलती। इससे मन्त्री जी को अधिकार प्राप्त हो जायगा और कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति विशेष स्थानों पर ट्रिब्यूनल में भेजे जा सकेंगे। इसके अलावा इसका और कोई परिणाम होने वाला नहीं है। अगर मन्त्री जी इस विधेयक को ले आए हैं तो जो हमारा प्रस्ताव है प्रवर समिति में भेजने का और परिधि बढ़ाने का उसको स्वीकार कर लें। इस पर विचार हो जायगा।

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिल पिछले कई साल से यहां पर पड़ा हुआ है। उस पर चर्चा भी हुई है। श्रम समिति में भी चर्चा होकर वह यहां आया है। राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस सत्र में यह इस सदन में पारित किया जायगा। माननीय मन्त्री जी की भी ऐसी भावना है, परन्तु यह विधेयक जो मन्त्री जी लाए हैं, उस की वह परिधि बढ़ाने की व्यवस्था करें कि जिस से मजदूरों को राहत मिल सके और उन्हें सहूलियत हो। तभी इसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। सेन्ट्रल ऐक्ट के बराबर करने की बात इस में कही गयी है। यह मैं समझता हूं, असंगत है। मैंने सेन्ट्रल ऐक्ट देखा है। उस में दफा १२ में ऐसी व्यवस्था है कि कैसे कंसिलिएशन अफसर केस को रेफर करेगा और कैसे दोनों पार्टियों को बुलाएगा और फिर वह कैसे गवर्नमेंट को रेफर होगा और अगर सरकार उसे ट्रिब्यूनल में भेजना चाहती है तो भेज देगी नहीं तो कारण सहित लिख कर भेज देगी। यदि मन्त्री जी चाहते हैं तो सारी की सारी व्यवस्था उसी प्रकार की यहां लागू कर दें। वह एक तर्कसंगत बात होगी। आज मजदूर बेकार हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, ६,५०० मजदूर हैं, यदि उन के परिवार में चार आदमी भी जोड़ लिए जायं तो तीस हजार आदमी आज बेकार हैं। अगर उन के लिए वह विधेयक लाए होते तो ज्यादा अच्छा होता। स्वदेशी काटन मिल बन्द हो गयी, उस के लिए आर्डिनेन्स आता तो अच्छा होता, लेकिन जो आया है उस के लिए प्रार्थना है कि अगर वह प्रवर समिति में चला जाय तो उस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है और जो आवश्यक संशोधन हैं परिस्थिति के अनुसार, वह लाए जा सकते हैं। ऐसा करने से मजदूरों का हित साधन हो सकता है और उनको राहत मिल सकती है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे आदरणीय सदस्य, जिन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इस विधेयक का मजदूरों के झगड़ों को निपटाने की जो नीति है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और इस बात को मन्त्री जी ने भी कहा है और विरोधी सदस्यों ने इसे स्वीकार भी किया है। इस विधेयक में दो प्रकार के संशोधन किए गए हैं। एक तो जो ट्रिब्यूनल के अधिकारी होंगे उन की क्वालिफिकेशन के बारे में है और दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को जो नामिनेट किया करता था, उस समिति के एक सदस्य के रूप में, उसके बारे में है। श्रीमन्, विरोधी दल के माननीय सदस्य का यह पूछना है कि यह सात साल के बजाय जो तीन साल की अवधि की गयी है जजेज की, वह क्यों कर दी गयी है, किन्तु यह किसी ने नहीं बतलाया कि ३ वर्ष की अवधि हो जाने से कठिनाई क्या होती है। आज कल सरकार की यह नीति है कि बहुत से जजेज बाहर के भी नियुक्त हुआ करते हैं। अगर यही रखा गया कि सात वर्ष तक के जज रहेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में काम करने के लिए तो जजेज के लिए बड़ी कठिनाई होगी। उसमें थोड़ी सी कठिनाई यह होती है कि वे बहुत लेटर स्टेज पर बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति यदि ३ वर्ष तक जज रहे तो भी ठीक है। इससे इस ट्रिब्यूनल को इस बात का अवसर प्राप्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

होगा कि वह उनके व्यवहारिक ज्ञान का भी उपयोग कर सकेगा और जुडिशियल ज्ञान का भी। वैसे मन्त्री जी ने इसका कोई कारण नहीं बतलाया है, लेकिन मैं इसको उचित ही समझता हूं, ३ वर्ष की योग्यता का रखा जाना काफी है। यह बात मेरी समझ में भी आ रही है कि ७ वर्ष की बाधा रखना ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को यह अधिकार था कि वे स्वयं किसी सदस्य को नामिनेट किया करते। सरकार की कतई यह मंशा नहीं थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का यह अधिकार छीना जाय, बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्वतः यह निर्णय दिया कि यह ऐक्ट जिसके अनुसार उनको एक सदस्य नामिनेट करने का अधिकार दिया गया है अल्ट्रा-वायर्स है। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने स्वयं इस अधिकार का उपयोग करने से इन्कार कर दिया जिसके कारण ट्रिब्यूनल नहीं बनाया जा सका। मेरी समझ में यह नहीं आया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को यह अधिकार कैसे प्राप्त हो गया कि वह लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए किसी ऐक्ट को अल्ट्रावायर्स घोषित कर दे। वह तो हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया जा सकता था और हाई कोर्ट को ही यह अधिकार प्राप्त है वह लेजिस्लेचर द्वारा पास किसी ऐक्ट को अवैध घोषित कर दे।

श्रीमन्, जब कमीशन ने उसको अवैध घोषित कर दिया, उन्होंने अपने उस अधिकार का उपयोग करने से इन्कार कर दिया, तब सरकार के लिए और क्या चारा था? अब सरकार ने स्वयं यह अधिकार ले लिया है कि वह जिसको चाहे नामिनेट कर दे। यद्यपि सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में लिया है, फिर भी वह मैं समझता हूं कि किसी ऐसे मेम्बर को ही नियुक्त करेगी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर रहा हो या हो। वैसे मैं आर्टिकल ३२० देख रहा था, उसमें कहीं यह दिखाई नहीं दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लेजिस्लेचर द्वारा पास किए हुए ऐक्ट को अवैध घोषित कर दे। फिर भी जब उन्होंने इन्कार कर दिया तो सरकार के लिए लाचारी हो जाती है और सरकार ने जो किया वह उचित ही है।

यह भी कहा गया कि एटार्नी जनरल की राय ले ली जाती। मैं समझता हूं इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। ऐक्ट का वह प्राविजन संविधान के अन्तर्गत ही था जिसमें चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन को यह अधिकार दिया गया था कि वे ट्रिब्यूनल में एक सदस्य को दे दें। वह भी एक कांस्टीट्यूशनल बाडी है, उन्होंने इन्कार कर दिया, ऐसी परिस्थिति में सरकार ने जो कुछ किया वह न्यायोचित ही है और मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं, इसे किसी समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा, इसके जितने भी संशोधन हैं उससे श्रमिकों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अतः इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है और मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, जो विधेयक इस समय सदन में मौजूद है, उसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस विधेयक द्वारा जो भी संशोधन किए गए हैं उसकी सिफारिश लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने भी की थी। केन्द्रीय सरकार ने चूंकि इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट में तब्दीली कर दी है, इसलिए भी इस विधेयक को लाना पड़ा। यह तब्दीली लेबर स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी से की गयी है जो इस समय एतराज उठाए गए हैं वह ठीक नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिल भी आ रहा है और वह भी मजदूरों के हित में होगा।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। लेबर कोर्ट में जो जज रखे जाते हैं, उनको लेबर को इन्साफ देने के सिलसिले में कुछ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। देखने में यह आया है कि जज जो मुकर्रर किए जाते हैं वे जुडिशियल जस्टिस देते हैं। जो लेबर कोर्ट बनाया गया है वह सोशल जस्टिस देने के लिए बनाया गया है। इसलिए उसमें पुराने कन्सीलिएशन आफिसर्स वगैरह रखे जाते हैं जिनको इस बात का तजुर्बा होता है कि किस तरह

से मजदूरों को अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है और मिल मालिकों का भी ध्यान रखा जा सकता है। वे दोनों में बैलेन्स रखना जानते हैं। जो हाई कोर्ट के जज मुकर्रर होते हैं उनकी दिक्कत यह होती है कि वे हर बात को कानूनी पहलू से देखते हैं और उनका निर्णय जुडिशियल होता है। इसलिए उनको इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वे कानूनी पहलुओं से हट कर सोशल जस्टिस दिया करें। ट्रिब्यूनल्स को वह तरीके नहीं अपनाने चाहिए जो कि अदालतों में अपनाए जाते हैं। अदालतों जैसे तरीके अपनाए जाने से मजदूरों को तकलीफ होती है। जैसे बहुत ज्यादा एडजर्नमेन्ट्स दिए जाते हैं। जरा-जरा सी बात में केसेज को मुल्तवी कर दिया जाता है। लोग मुख्तलिफ जगहों से आते हैं और इससे उन्हें बड़ी परेशानी होती है और जब उनको फिर वापिस जाना पड़ता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। उसकी वजह यह है कि मजदूर लोगों को उन तमाम केसेज की पैरवी करने के लिये चन्दे से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अगर केसेज बार बार मुल्तवी होते हैं तो जो आदमी सहारनपुर से आया है उसका सौ रुपया बिला वजह खर्च हो जायेगा और उतना ही रुपया उनको यूनियन से इकट्ठा करने में बड़ी तकलीफ होगी, इसलिये इस बात की तरफ भी ध्यान दिया जाय कि जो मजदूरों को इन्साफ दिया जाय जल्द हो और सस्ता हो और जो इस वक्त हमारे सामने इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल बहस में आया है वह उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सन् ५८ से निरन्तर बहस चल रही है और १९६० में गवर्नर्स ऐड्रस में यह वायदा किया गया था कि यह सदन में आ जायेगा, लेकिन वह आज तक भी हाउस में नहीं आया है। मेरी प्रार्थना है कि अगर सरकार ने इस पर दिलचस्पी नहीं ली तो वह इस सेशन में नहीं आ सकेगा। अगर नहीं आयेगा तो हाउस उसको पास भी नहीं कर सकेगा। अगर आगे उसे प्रवर समिति में दे भी दिया गया और उसने रिपोर्ट भी दे दी, पर जो हमारा मौजूदा हाउस चल रहा है वह अगर पास नहीं कर सका तो नये मुकदमों के बाद हमारी चीजें फिर हमको अजसरेनों करनी पड़ेंगी। इसलिये मैं मंत्रीमहोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वे उसे इसी सेशन में लाने की कोशिश करें। क्योंकि जो बिल सन् ५८ से चल रहा है वह शायद सन् ६७–६८ तक चल जाय और उसका लेट होना मजदूरों के लिये बहुत ज्यादती होगी। इसलिये इस नये बिल को जल्द लाया जाय। मैं इसकी ताईद करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में जाने लायक नहीं है। प्रवर समिति का रेजोलूशन नामन्जूर किया जाय। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बिल को जल्द से जल्द लाने की व्यवस्था करें।

*श्री बनारसीदास—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं कि वे किसी भ्रम के ऊपर आधारित हैं। यह भी सही है कि मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिये इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में आमूल परिवर्तन की जरूरत है और इस तरह का बिल हमारे सामने विचाराधीन है। सैलेक्ट और हाउस की स्टैन्डिंग कमेटीज में उस पर अब तक कई बार विचार हो चुका है और हमारा विचार है कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल को इस सदन के सामने शीघ्रातिशीघ्र पेश किया जाय। परन्तु मौजूदा जो विधेयक है इसका लक्ष्य और उद्देश्य केवल सीमित है और मुझे खेद है कि माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने जो इसकी भावना थी उसको ठीक समझने का प्रयास नहीं किया। एक तो उनका यह कहना कि जज के दरजे को कम किया जा रहा है। पहिले जैसा लिखा है कि जुडिशियल आफिसर जो सात साल तक रह चुका हो वह आज भी है और रहेगा। दूसरा जो हमने जोड़ा है वह यह है कि तीन साल जो जज रह चुका है। उसके माने ये हैं कि परिवर्तित नियमों के मुताबिक हायर जुडिशियल सर्विस के बाहर से भी सीधी नियुक्ति हो सकती है। इसलिये अगर कोई जज जाता है सात साल की जुडिशियल सर्विस, चार और तीन साल तक जज रह चुका हो वह भी इस ऐक्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल का जज होने के लिये करार दिया जाय। मैं नहीं समझता हूं कि इससे राजनैतिक नियुक्ति हो सकती है। इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

तरह जो जज होंगे वे सर्विस के अन्दर ही होंगे । अगर वे सर्विस में न्याय करने योग्य हैं तो वे सेवा और मजदूरों के बीच न्याय करने के लिये पूर्णतया योग्य हो सकते हैं । दूसरा अमेन्डमेन्ट जो किया गया, अब तक भी कमेटी थी। सदन ने इसको पास किया। केवल प्रशासकीय दिक्कत जो हमारे सामने आई वह कानूनी आपत्ति थी । सदन ने इसकी विधेयक के अन्दर व्यवस्था की कि इस पर कमेटी बनेगी । जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी एक सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं । इसके पहले कानून के अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं थी । सन् ५७ में हमने यह व्यवस्था की थी । लेकिन चूंकि सहयोग नहीं किया गया इसके लिये कमेटी नहीं बन पायी और कुछ स्थान जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रिक्त थे उनकी पूर्ति नहीं कर पाये । जिसका नतीजा यह हुआ कि काफी केसेज बढ़ गये । ट्रिब्यूनल नियुक्त करने की शीघ्र आवश्यकता थी इसलिये आर्डिनेन्स का सहारा लिया गया और अब इसको विधेयक की शक्ल में पेश किया जा रहा है । यह ऐसा विधेयक नहीं है, जिसको किसी प्रवर समिति को सुपुर्द करने की आवश्यकता हो । मैं आपके जरिये दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्य अपने प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री दयाराम शाक्य—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था मुझे इस विधेयक के उस भाग पर कोई आपत्ति नहीं है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक सदस्य के भेजे जाने की बात है । मेरा विरोध केवल इस बत पर है कि आपने अनुभव की अवधि को घटा दिया है । उसके औचित्य के बारे में न तो माननीय मंत्री जी ने और न किसी और माननीय सदस्य ने ही बताया । जहां तक समिति को भेजने की बात है, उस समय तक अध्यादेश की अवधि भी समाप्त होने नहीं जा रही है । अगर माननीय मंत्री जी पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल को सामने लाते तो इससे बहुत ज्यादा हित होने की सम्भावना थी और वे जो और संशोधन लाने की सोच रहे हैं, वे भी आ जाते। इस प्रस्ताव को वापस लेने के बजाय मंत्री जी यदि व्यापक रूप से सोच सकते तो ज्यादा अच्छा होगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे प्रवर समिति वाले मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री बनारसीदास—

मुझे इसके संबंध में और अधिक कुछ कहना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ४—क का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४—क की उपधारा ३ में वर्तमान खण्ड (क) और (ख) के अक्षर बदलकर उन्हें क्रमशः खण्ड (घ) और (ङ) कर दिये जायें और इस प्रकार बदले गये अक्षर (घ) के पूर्व निम्नलिखित खन्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"(क) वह तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक जिला जज न रहा हो; अथवा

(ख) उसने दो वर्षों से अन्यून अवधि तक इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (एपीलेट ट्राइब्यूनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संघटित श्रम अपील न्यायाधिकरण (लेबर एपीलेट ट्राइब्युनल) के या किसी न्यायाधिकरण के चेयरमैन अथवा किसी अन्य सदस्य का पद न ग्रहण किया हो; अथवा

(ग) वह पांच वर्षों से अन्यून अवधि तक किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अधीन संघटित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न रहा हो; अथवा"

*श्रीरक्षपाल सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायगा) की धारा ४–क की उपधारा (३) में वर्तमान खंड (क) और (ख) के अक्षर बदल कर उन्हें क्रमशः खंड (ग) तथा (घ) कर दिये जायें और इस प्रकार बदले गये अक्षर (ग) के पूर्व निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्

"(क) उसने दो वर्षों से अन्यून अवधि तक इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्युनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संघटित श्रम अपील न्यायाधिकरण (लेबर एपीलेट ट्रिब्युनल) के या किसी न्यायाधिकरण के चेयरमैन अथवा किसी अन्य सदस्य का पद न ग्रहण किया हो, अथवा

(ख) वह पांच वर्षों से अन्यून अवधि तक किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अधीन संघटित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न रहा हो, अथवा"

वैसे तो इस संशोधन का केवल एक ही आधार है, और वह यह है कि इसमें जहां पर ३ खंड रखे हैं वहां २ तो ठीक हैं, लेकिन तीसरे खंड में जो 'जिला जज' और 'अपर जिला जज' की बात रखी गई है, वह हमें स्वीकार नहीं है। अपर जिला जज और जिला जज जिनके बारे में उन्होंने कहा ७ वर्ष के अनुभव के जो अफसर हैं वह किसी जिला जज की स्थिति में रहते हैं और इस नाते अनुभव की उन्हें आवश्यकता नहीं, लेकिन जो एडवोकेट में से ३ साल काम करने पर भी जो जज हों उनमें से जो नियुक्ति की जा सकती है और ऐसे लोगों के लिये भी इसमें प्राविधान हो जायगा। ऐसे लोग जो वकालत का काम करते हैं और बड़े एडवोकेट होते हैं और वह किसी प्रकार ऐसे पद पर प्रोमोट हो जाते हैं । अगर यह देखा जाय कि वह लोग किस प्रकार से लिये जाते हैं तो अनेक कारण होते हैं । पक्षपात और दलगत राजनीति के आधार पर भी अक्सर ऐसे लोग नियुक्त हो जाते हैं, उनके लिये कोई श्रेणीबद्ध नियमावली हो इसकी जानकारी हमें नहीं है । ऐसे लोग दल विशेष से सम्बन्धित हो सकते हैं और वकालत का काम करते हैं और वही जज हो गये तो वह भी औद्योगिक ट्रिब्यूनल में पहुंच जायेंगे और इस तरह से राजनीतिक दलों से सम्बन्धित जो श्रमिकों के वर्ग हैं उनके साथ पक्षपात की आशंका हो जायगी । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि ऐसे लोगों को शामिल न किया जाय जो सात साल की सर्विस से आते हैं वही रहें, लेकिन वकालत के काम से आने वाले जजों को इसमें न आने दिया जाय । इसलिये मेरा यह संशोधन जिला जज और अपर जिला जज वाली बात के संशोधन के लिये ही मैंने यह पेश किया है ।

*श्री बनारसीदास—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय सदस्य वकील भी हैं और फिर भी वह इसका विरोध कर रहे हैं । वकीलों को हायर जुडिशियल सर्विस में लेने के नियम हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास]

और नियमों के अनुसार यदि कोई वकील चुना जा सकता है तो वह जिला जज का काम भी कर सकता है । जब वह इतनी जिम्मेदारी का काम कर सकता है, लाखों रुपये की डिग्री दे सकता है, जो फांसी तक की सजा दे सकता है उस को औद्योगिक ट्रिब्यूनल के योग्य न समझा जाय यह बात समझ में नहीं आती.। हम किसी वकील को ही इस ट्रिब्यूनल में नहीं ले रहे हैं बल्कि जिला जजी का जिनका कार्यकाल ३ साल का रह चुका हो, उनको भी इस सर्विस के लिये हम योग्यता की श्रेणी में लाना चाहते हैं । जब एक इन्डिपेन्डेन्ट बाडी के द्वारा ऐसे जज की नियुक्ति होगी और उनको जब ३ साल का अनुभव होगा तो उनको लेने में कौन सी न्याय में कमी आ सकती है यह मेरी समझ में नहीं आता । इसलिये माननीय रक्षपालसिंह जी गौर करें कि जो जज पहले से एक इंडिपेंडेन्ट बाडी के द्वारा चुने जायेंगे, जो सार्वजनिक सेवा और न्याय व्यवस्था में रत होंगे वह यहां भी न्याय कर सकते हैं । वह औद्योगिक ट्रिब्यूनल में भी न्याय अवश्य करेंगे । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह संशोधन वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायगा) की धारा ४–क की उपधारा (३) में वर्तमान खंड (क) और (ख) के अक्षर बदल कर उन्हें क्रमशः खंड (ग) तथा (घ) कर दिये जायें और इस प्रकार बदले गये अक्षर (ग) के पूर्व निम्नलिखित खंड बढ़ा दिय जायं; अर्थात्

(क) उसने दो वर्षों से अन्यून अवधि तक इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्यूनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संघटित श्रम अपील न्यायाधिकरण (लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल) के या किसी न्यायाधिकरण के चेयरमैन अथवा किसी अन्य सदस्य का पद न ग्रहण किया हो, अथवा

(ख) वह पांच वर्षों से अन्यून अवधि तक किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अधीन संघटित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न रहा हो, अथवा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४–क (३) के नये रखे गये खंड (क) में शब्द "जिला जज" के बाद शब्द "या अपर जिला जज" बढ़ा दिये जायें ।

मान्यवर, यह केवल एक शाब्दिक संशोधन है । पहले का जो ऐक्ट था उसमें ये शब्द नहीं थे । अतः यह संशोधन लाना आवश्यक हो गया है ।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये ।)

श्री बनारसीदास—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है, यह बहुत आवश्यक है । इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४–क (३) के नये रखे गये खंड (क) में शब्द "जिला जज" के बाद शब्द "या अपर जिला जज" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री दयाराम शाक्य—

श्रीमन्, यह जो संशोधन अभी कराया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह आर्डिनेन्स की शब्दावली है अथवा नहीं । यदि नहीं, तो यह संशोधन स्वीकार नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब तो यह स्वीकार हो गया है ।

श्री दयाराम शाक्य—

जब यह आर्डिनेन्स की शब्दावली ही नहीं है तो कैसे स्वीकार हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

जब यह विधेयक स्वीकार हो गया है तो आर्डिनेन्स तो वैसे ही अस्वीकार हो गया ।

श्री दयाराम शाक्य—

अभी तो यह आर्डिनेन्स ही है । उसकी शब्दावली के आधार पर ही आप संशोधन ला सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आर्डिनेन्स लैजिस्लेचर की पावर को ओवर रूल नहीं कर सकता ।

श्री बनारसीदास—

आर्डिनेन्स में यह "एडिशनल जज" शब्द हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

न भी होता तो भी कोई विशेष बात नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जब हम आर्डिनेन्स को पास करने बैठते हैं तो अलग बात है और जब हम ऐक्ट को पास करते हैं तो वह अलग बात है ।

श्री अधिष्ठाता—

जिस विधेयक द्वारा आप आर्डिनेन्स को निरस्त कर रहे हैं अगर उस विधेयक में कोई प्राविधान है, तो यह कह कर कि आर्डिनेन्स में वह प्राविधान नहीं था, कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, हम तो कहते हैं कि आप हमारे प्रवर समिति के प्रस्ताव को मान लें परिधि को बढ़ाकर यही तो हमारा प्रस्ताव चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३ व ४

३—मूल अधिनियम की धारा ४-ख की उपधारा (३) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात— धारा ४-ख का संशोधन

"(कक) वह तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक जिला जज या अपर जिला जज न रहा हो; अथवा"

४—मूल अधिनियम की धारा ४-ङ की उपधारा (१) में खण्ड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात— धारा ४-ङ का संशोधन

"(५) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य हो अथवा रहा हो ।"

श्री रघुपालसिंह—

श्रीमन्, खंड ३ के अन्दर भी न्यायाधिकरण के अन्दर में जिला जज रखने वाली बात कही गयी है परन्तु जैसा कि सदन ने इच्छा व्यक्त की और यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहता हूं।

खंड ४ के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों और माननीय अधिष्ठाता ने स्वयं कहा था, उनको मैं उचित समझता हूं और मैं समझता हूं कि यदि हमारे सामने पिछले दिनों ऐसी कठिनाई रही हो, लोक सेवा आयोग के सदस्य के सम्बन्ध में, तो ठीक है। इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ नहीं कहता हूं।

श्री बनारसीदास—

मैं तो पहले ही प्रस्ताव करते समय इसके कारणों पर रोशनी डाल चुका हूं और माननीय सदस्य स्वयं इस को मान रहे हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि खंड ३ और ४ को स्वीकार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

५—(१) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। — निरसन तथा अपवाद

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २४ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हुआ था। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९, १९६५

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ में आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त और संशोधन करने के लिये — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या २८, १९४७

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायगा। — संक्षिप्त नाम

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६

*सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इंटरमीडिएट एजूकेशन का जो बिल अभी तक हमारे सामने था, उसमें एक प्राविधान यह था कि जब टीचर्स के और स्कूलों की मैनेजिंग कमेटी के बीच में कोई झगड़ा हुआ करता था तो एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें एक डिप्टी डायरेक्टर रीजन का होता था। यह रीजनल कमेटी थी और एक स्कूल मैनेजर्स एसोसियेशन का कोई नुमाइन्दा हुआ करता था और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से एक नुमाइन्दा हुआ करता था । तो इन तीनों आदमियों की कमेटी के सामने कोई भी झगड़ा आ जाया करता था और वहां से उसका फैसला होने के बाद कार्यान्वित हो जाता था । इधर यह देखा गया कई साल से कि टीचर्स के कई सौ मामले इस कमेटी के सामने पड़े रहे। कमेटी के तीन मेम्बर थे, ज्यादातर मैनेजिंग कमेटी को जब कोई सूट नहीं करता था मामला तो अपने नुमाइन्दे को नहीं भेजा करते थे। तो दो ही आदमी कमेटी के मेम्बर हो जाते थे। लिहाजा कोई मामला तय नहीं हो पाता था। तो नतीजा यह हुआ कई सौ केसेज इस अपीलेट कमेटी के सामने आ गये। और वे वैसे ही पड़े रहे। टीचर्स परेशान रहे, सस्पेंड रहे। एक बात यह होने लगी कि बजट में १ साल के लिये रुपया दिया जाता है, टीचर्स सस्पेन्ड रहे उनकी तनख्वाह नहीं दी गई और रुपया लैप्स हो गया। अगले साल गवर्नमेन्ट के लिये लाखों रुपया सप्लीमेन्टरी बजट में लाकर देना पड़ता था। तो उस कमी को दूर करने के लिये २४ दिसम्बर, १९६५ को एक अध्यादेश जारी किया गया और उस अध्यादेश के मुताबिक यह अपीलेट अथारिटी बजाय इस कमेटी के खाली एक जो रीजन में डिप्टी डाइरेक्टर रहते हैं उनमें ही सीमित कर दी गई ताकि आसानी के साथ मामले तय हो जायं और जो दिक्कत हमारे सामने है वह तय हो जाय।

इसमें दो सेक्शन्स और भी बढ़ा दिये गये हैं जो करीब-करीब हर सरकारी बिल के अन्दर रहती हैं। उसमें एक तो यह है कि जो राज्य सरकार या बोर्ड या उसके अधिकारियों के जरिये कार्य होते हैं गुड फेथ में उनका संरक्षण। दूसरे बोर्ड या किसी कमेटी के द्वारा कोई आदेश होता है तो उस आदेश के खिलाफ कोई सिविल सूट दायर नहीं होना चाहिये। ये चीजें इसके अन्दर बढ़ा दी गयी हैं। इनके मंजूर हो जाने से जो इतने झगड़े इतने दिनों से पड़े हुए हैं वे आसानी से तय हो जायंगे। इस सिलसिले में मेरी बातचीत जो टीचर्स के प्रतिनिध हैं उनसे भी हुई, उन्होंने इसका बड़ा आवाहन किया। मैं समझता हूं कि यह सदन भी इसका आवाहन करेगा और इस छोटे से बिल को जो इस अध्यादेश की पुष्टी के लिये पेश किया गया है मंजूर करेगा। प्रवर समिति में भेजने की जो बात है यह एक छोटा सा बिल है, इसको प्रवर समिति में भेजने का कोई सवाल नहीं है और सदन को इस विधेयक को मंजूर करना चाहिये।

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर प्रस्तुत कर दे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

---

†२८ जनवरी, १९६६ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बसन्तसिंह]

अधिष्ठाता महोदय, जबसे सुचेता सरकार आई है तब से मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि यह सरकार जनतंत्र की जड़ों को खोदकर नौकरशाही को बढ़ावा देकर तानाशाही की ओर जा रही है। यह शासन के एक क्षेत्र में ही परिलक्षित नहीं होता है, शासन के जिस क्षेत्र में भी देखो, उसमें इसी प्रवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है। अभी सदन में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि उद्योग समितियों द्वारा ऋण न बांटा जाकर जिलाधीश वितरण किया करेगा और महापालिकाओं को भंग कर दिया गया है। इसी प्रकार की घटना यह प्रस्तुत संशोधन विधेयक है। वास्तव में चाहिये तो यह था कि नौकरशाही के आतंक से बचाने के लिये जनता के हितों की रक्षा करने के लिये जनता के अधिकारों को संरक्षण मिलना चाहिये और नौकरशाही के अधिकारों पर अंकुश लगना चाहिये, लेकिन जो हो रहा है वह बिलकुल इसके विपरीत है। जो अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को प्राप्त थे वे समाप्त करके, नौकरशाही को दिये जा रहे हैं। जो अपीलेट कमेटी बनती थी उसमें शिक्षकों के प्रतिनिधि होते थे। एक प्रतिनिधि मैनेजर संघ का, एक डिप्टी डायरेक्टर तथा एक अध्यापक संघ का होता था। उस से आशा थी कि शिक्षकों का प्रतिनिधित्व उसमें है लिहाजा शिक्षकों के हित के बारे में उसमें विचार हो सकेगा, लेकिन जब उनका प्रतिनिधित्व उसमें समाप्त हो गया और यही बात मैनेजर्स चाहते थे तो फिर सरकार के कर्मचारी जो भी चाहेंगे करेंगे। मैं कई उदाहरण इस बात के प्रस्तुत करूंगा कि डी० आई० ओ० एस० और डिप्टी डायरेक्टर किस तरह निर्णय लेने में ढिलाई बरतते हैं और किस तरह से अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। शिक्षक महीनों तक अपने पत्रों का उत्तर भी प्राप्त नहीं कर सकते और मैनेजर की इच्छा के मुताबिक जो जी में आता है करते हैं। मंत्री जी ने कहा कि मैनेजरों का प्रतिनिधि नहीं आता था जब उनको कोई मामला अच्छा नहीं लगता था या उनके पक्ष में नहीं जाता था क्योंकि शिक्षकों को उन्हें आतंकित करना होता था। चाहिये तो यह था कि उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाता न कि शिक्षकों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाय। वास्तव में मैनेजरों के दबाव डालने के कारण ही यह अध्यादेश निकाला गया और फिर यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है।

पिछले जो शिक्षा मंत्री थे वे मैनेजरों से ज्यादा प्रभावित थे और वे कई ऐसे संशोधन ला रहे थे जो शिक्षकों को राहत देने के खिलाफ थे। प्रबन्ध समिति में अब तक शिक्षाकों के दो प्रतिनिधि होते हैं जो १५ की समिति में कोई अर्थ नहीं रखते। होना यह चाहिये था कि शिक्षकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता जिससे मैनेजरों की जागीरदारी समाप्त हो सकती। आज शिक्षक इन संस्थाओं में कराह रहा है, मैनेजर जब उनको चाहता है निकाल देता है। यद्यपि यह व्यवस्था है कि निकालने के पूर्व डी० आई० ओ० एस० की स्वीकृत ले लेनी चाहिये लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। आजकल जिला विद्यालय निरीक्षक सब्सीक्वेन्ट एप्रूवल दे रहे हैं। प्रदेश में एक नहीं सैकड़ों इसके उदाहरण हैं। लेकिन सरकार मैनेजरों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाने में असमर्थ रही है, बजाय मैनेजरों पर अंकुश लगाने के और अपने अधिकारियों को ठीक करने के सरकार ने शिक्षकों का प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया है। यह मैनेजरों के दबाव के कारण किया गया है।

मैं सुचेता सरकार से जनता के लिये, मजदूरों के लिये तथा शिक्षकों के लिये कोई आशा नहीं रखता। जो अपीलेट कमेटी बनाई गई थी उसको भी समाप्त किया जा रहा है। और यह बड़ा घातक कदम है। मैं सरकार से कहूंगा कि इसको समझने की जरूरत है और जब तक शिक्षा में शिक्षकों की सेवायें सुरक्षित नहीं की जाती, उनको सुविधायें नहीं दी जातीं तब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता और जनतंत्र की बुनियाद को मजबूत नहीं किया जा सकता। वास्तव में एजूकेशन ऐक्ट में बहुत सी कमियां हैं। अध्यादेश इन कमियों को दूर करने के लिये लाना चाहिये था। आज शिक्षकों को जितना वेतन मिलना चाहिये, जिस ग्रेड में उनको रखा जाता है उतना वेतन उनको न देकर आधा या तीन चौथाई देकर हस्ताक्षर पूरे वेतन के कराये जाते हैं जिस पर वे नियुक्त होते हैं। यह अनेक संस्थाओं में हो रहा है और बराबर शिकायतें आती रहती हैं। इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। शिक्षकों को किसी भी समय

निकाल दिया जाता है इसको रोकने के लिये कदम उठाना चाहिये था। बोर्ड में सहायक अध्यापकों का प्रतिनिधित्व बिलकुल नहीं है। ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है, जिनका बोर्ड से कोई संबंध नहीं होता। जिस समय बोर्ड का कांस्टीट्यूशन बना था उस समय उनकी जरूरत हो सकती थी, लेकिन आज नहीं है। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। प्रबन्ध समिति में शिक्षकों का आधा प्रतिनिधित्व किया जाय, मैनजरों की जागीरदारी और धांधली खत्म करने के लिये, लेकिन अपीलेट कमेटी में इनका प्रतिनिधित्व समाप्त किया जा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं।

मुझे उप संचालक से कोई विशेष आशा नहीं। मेरे पास अनेक उदाहरण हैं। इस बात के कि उपसंचालक शिक्षकों की मुसीबतों की ओर कोई भी तवज्जह नहीं देते। इस समय में केवल एक जिला आगरा के माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रसारित माननीय शिक्षा मंत्री को जो खुला पत्र लिखा, उसमें जो उदाहरण दिये गये हैं उनको प्रस्तुत करूंगा। उससे ५४ जिलों में इस प्रकार की कितनी घटनाएं होंगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक श्री जे० एम० बनर्जी के कार्यकाल में श्री हरिदत्त तिवारी, प्रिंसिपल एम० पी० इन्टर कालेज, शमशाबाद को मार्च से सस्पेन्ड तथा जून, १९६० में बरखास्त किया गया। यद्यपि विद्यालय का अनुदान सस्पेन्ड होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक ही अध्यापकों को वेतन देते थे परन्तु रेगुलेशन ४१ की अवहेलना करके उन्होंने श्री तिवारी को जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक श्री जे० एन० टंडन के कार्यकाल में फतेहचन्द इंटर कालेज के प्रबन्धक ने श्री मुन्शीलाल गोला को तथा रत्नमुनि जैन इंटर कालेज के प्रबन्धक ने श्री नवीनचन्द जैन को गैरकानूनी तरीके से पृथक किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रायर के स्थान पर सब्सीक्वेंट एप्रूवल देकर शिक्षा अधिनियम के सेक्शन १६ जी ३ (ए) की तथा उनके संबंध में अपीलीय समिति के निर्णय को कार्यान्वित न करके रेगुलेशन ९८ की अवहेलना की। इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जिनका विवरण इसमें दिया गया है।

मुझे एक दूसरा केस जिला मुरादाबाद का मालूम है। वहां श्रीमती कमला तोमर को ट्रेन्ड ग्रैजुएट ग्रेड में अप्वाइन्ट किया गया। प्रबन्धक समिति ने उनको निकाल दिया। १-७-६५ से १९-१-६५ तक बराबर पत्र व्यवहार कर रही है मंडलीय निरीक्षिका से, लेकिन आज तक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ। जो लोग इस तरह के हैं जो कानून की खिलाफवरजी करते हैं, अधिनियम की अवहेलना करते हैं और शिक्षकों के प्रति उचित ध्यान नहीं रखते, अन्तिम निर्णय के लिये उनको नियुक्त किया जा रहा है। यदि शिक्षकों को प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया, यदि डिप्टी डाइरेक्टर को उसी स्थान पर बैठा दिया गया जिस पर अपीलेट कमेटी बैठी हुई है तो बिलकुल तानाशाही जैसी स्थिति होगी। शिक्षकों से न्याय नहीं होगा। मैं कहूंगा कि जो दूसरी व्यवस्था इसमें की गई है कि बोर्ड या किसी समिति के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकेगा यह एक घातक कदम है। सरकार जनता के अधिकारों को और न्यायालय के अधिकारों को लेती चली जा रही है और जनतन्त्र में जो शक्ति का विभाजन तीनों भागों में होता है वह समाप्त करके एक जगह इकट्ठा करने की साजिश कर रही है। मुझे ऐसे कई मामले मालूम हैं बोर्ड के भीतर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ने कानून के खिलाफ अपनी मर्जी के मुताबिक किये। हो सकता है कि गवर्नमेन्ट का दबाव हो उसके पीछे। चूंकि बोर्ड में अधिकतर प्रतिनिधि सरकार के होते हैं। अगर न्यायालय का दरवाजा बन्द कर दिया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होने की सम्भावना है। पिछले महीने में डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ने ऐसा काम किया था जिसका समूचे बोर्ड के इतिहास में उदाहरण नहीं मिल सकता। लेकिन जब हाईकोर्ट में जाने के लिये चैलेंज किया गया तो उनका दिमाग बदला जबकि वे निर्णय कर चुके थे और वह निर्णय उतना गलत था जिसकी आशा साधारण समझबूझ के आदमी से भी नहीं की जा सकती। तो अगर न्यायालय का दरवाजा बन्द कर देते हैं तो जितनी भी गलतियां होंगी, उनका आगे कहीं निराकरण नहीं हो सकेगा। इससे बहुत बड़े अनर्थ की सम्भावना हो जायगी। मैं तो मंत्री जी से यह कहूंगा कि जो भी संशोधन लाये जा रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक परिणाम देने वाले हैं। इससे शिक्षकों और जनता दोनों का अहित होगा, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन विधेयक देखने में बहुत छोटा और निर्दोष मालूम पड़ता है, लेकिन अगर उसके अन्दर हम थोड़ा देखें तो न वह निर्दोष रहता है, न मासूम रहता है। उसमें मुझे एक बहुत ही खतरनाक प्रवृति और उसका विकास जिसका कल भी मैंने जिक्र किया था, दिखलायी पड़ता है। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद इस विषय के साथ हम लोग भी न्याय नहीं कर सके क्योंकि हम बहुत थोड़ी संख्या में इस समय मौजूद हैं। लेकिन एक मौलिक प्रश्न उत्पन्न होता है इसको देखने के बाद कि आखिर सरकार किस दिशा में जा रही है और उसकी क्या मंशा है। आज से एक डेढ़ साल पहले एक इंटरमीडिएट एजूकेशन अमेंडमेन्ट बिल आया जिसमें यह प्राविधान था धारा १६ के अन्दर कि जो पनिशमेन्ट टीचर को दिया जायगा उसके लिये इंसपेक्टर की मंजूरी होगी। उसके बाद यह प्राविधान रखा गया था कि जो इंसपेक्टर की मंजूरी होगी उसके खिलाफ अपील हो सकती है। उस अपील कमेटी का फार्मेशन इस तरह से था कि उसमें एक मैनेजर्स का प्रतिनिधि हो, एक यू० पी० माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि हो और एक रिजनल डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन हो जो उसका प्रेसिडेन्ट हो। तो इस तरह से अगर इंसपेक्टर के फैसले से किसी पक्ष को सन्तोष न हो तो उनको अधिकार था कि वे इस तरह की रिजनल अपीलेट कमेटी के सामने जा सकते थे, लेकिन सरकार ने न मालूम क्या समझ कर २४ दिसम्बर को एक आर्डिनेन्स निकाल दिया। कल ही माननीया मुख्य मंत्री ने इस सदन में कहा था कि जनवरी के मध्य में सेशन बुलाने की बात सोची जा रही थी। तो २४ दिसम्बर को जबकि १५-२० दिन ही सेशन बुलाने को बाकी था उस वक्त अपीलों के लिये भगवान जाने क्या इतनी जरूरत पड़ गयी कि उसके लिये एक आर्डिनेन्स लाया गया और फिर उसी को ठीक करने के लिये अमेन्डमेन्ट बिल हमारे सामने आ गया।

पहली बात तो यह है कि यह प्रवृति कि इतनी छोटी-छोटी चीजों के लिये आर्डिनेन्स का सहारा लिया जाय जिसमें न कोई इमर्जेंसी का सवाल है, न कोई कार्य करने का सवाल है और न इससे जनहित में कोई बाधा पड़ती है, बड़ी ही गलत प्रवृत्ति है और यह एक बड़ा ही गलत और खतरनाक रास्ता होता है। आर्डिनेन्स तो जनरली किसी विशेष प्रयोजन के लिये लाया जाता है। लेकिन ऐसी छोटी-छोटी चीजों के लिये आर्डिनेन्स लाया जाय तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है। ऐसे मसले जो विवादास्पद हो सकते हैं, जिसमें दो रायें हो सकती हैं, जिनसे जनहित का अपहरण हो सकता है, उनके लिये आर्डिनेन्स लाना मैं समझता हूं कि जनतांत्रिक सिद्धान्तों का हनन है और अनड्यू एनक्रोचमेन्ट है। मुझे लगता है उसमें एक अनड्यू एन्क्रोचमेन्ट है। उसके बाद आप उसकी आवश्यकता पर और यह देखें कि उसकी आवश्यकता क्या थी। इसका कोई औचित्य नहीं है, जो काम इससे किया जा रहा है वह एक दम निरंकुशता की तरफ हमें लिये जा रहा है। ऐसा लगता है कि आज हम एक विशेष दिशा की ओर जा रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दे दिये जायें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार द दिये जायें। चाहे वह इंडस्ट्रियल कमेटी हो, चाहे वह एजूकेशन कमेटी हो सब में यही हो रहा है सरकार ने एक नई दिशा पकड़ी है और उस दिशा में हर चौमुखी हमारी प्रगति चल रही है। किन्तु यह बड़ी भयानक बात है। मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं कि जो एक अपीलेट कमेटी थी, बाड़ी थी, जिसमें शिक्षकों के रिप्रिजेन्टेटिव्स थे मैनेजरों के थे, उस कमेटी को तोड़कर सारी पावर विभागीय अधिकारियों को दे दी जाये। हम यहां पर रोज करप्शन की बात करते हैं कि वह दूर हो। किन्तु जिस वक्त हम नियम बनाते हैं हम इस विषय पर तनिक भी विचार नहीं करते कि हम करप्शन को मीट करें। हम जब इस सदन में नियम बनायें तो उस समय यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे उन निर्मित नियमों से करप्शन मिटेगा या नहीं, करप्शन को प्रश्रय देने वाले नियम नहीं बनाये जाने चाहिये।

आज मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ, लेकिन बड़े जिम्मेदारी के साथ अपने अनुभव के आधार पर यह कहना पड़ता है कि शिक्षा विभाग, जिसके ऊपर शिक्षा देने की जिम्मेदारी है, उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करप्शन इस तरह से प्रवेश कर चुका है कि जैसे पुलिस या पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेन्ट में है। आज इस विभाग की हालत यह है कि इसमें जब ग्रान्ट्स मिलती हैं तब विभाग के बाबुओं और क्लर्कों को उनका परसेन्टेज मिल जाता है। बिना उनको उनका परसेन्टेज दिये किसी को ग्रान्ट नहीं मिल सकती है, किसी का भी काम नहीं हो सकता है। मैंने स्वयं अपने अनुभव से व्यक्तिगत रूप से एक शिकायत माननीय शिक्षा मंत्री को की। केवल इस कसूर में एक विद्यालय को, जिसके प्रबन्ध से मेरा संबंध था और मैं अपनी आस्था और विचार के अनुसार परसेन्टेज देने की इजाजत नहीं दे सकता था, ग्रान्ट नहीं मिल सकी। १० परसेन्टेज न देने के कसूर में वह विद्यालय ग्रान्ट से महरूम रहा, वंचित रह गया ग्रान्टस से अन्यथा उसे मिल जाती। यह छोटा सा एक उदाहरण है, जिसे कहते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं करप्शन की बात कभी आमतौर पर सदन में नहीं कहता हूं, किन्तु आज मजबूर हुआ कहने को। इसके द्वारा शिक्षालयों के कार्यकलापों पर उसके सौन्दर्य पर एक कालिमा पोती जा रही है। आज आवश्यकता थी कि हम ऐसे उपाय निकालते, जिससे उन पर ब्रेक लगता और यह कार्य इस प्रकार होता कि विभाग के जिला स्तर और रीजनल अधिकारियों के अधिकार कम होते, लेकिन अपीलेट कमेटी को खत्म करके आप अधिकारियों को अधिकाधिक अधिकार दे रहे हैं। फिर मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह दोष अधिकारियों का नहीं, यह आपका है जो आप उनको अत्यधिक अधिकार दे रहे हैं। वह नीचे का कर्मचारी जिसे बड़ा या छोटा बाबू कहते हैं, वह कितना प्रबल है, वह किसी तरह से दफ्तर का पायलट होता है, इसे आप देखें, अधिकारी अपना निर्णय उसी के आधार पर लेते हैं।

मान्यवर, तीसरी बात, इसमें खतरा यह है कि सरकार यह चाहती है कि सब चीज अपने कन्ट्रोल में रहे, उसके ऊपर कोई अन्य अंकुश रहे ही नहीं। दो पक्ष होते हैं एक मैनेजमेन्ट और दूसरा टीचर। दोनों के रिप्रिजेंटेटिव रहें। यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको मौका मिले अपनी सफाई देने का। किन्तु आप चाहते हैं कि वह सारा अधिकार एक सरकारी अधिकारी के पास हो जाय तो उसमें कल्याण होगा सरकारी बाबुओं का या ऊपर के सरकारी अधिकारियों का या अधिकारियों के अधिकारियों मिनिस्टरों तक का। उनके पास एक अधिकार बढ़ जायगा, टेलीफोन जो जायगा, तो उनका काम तुरन्त हो जायगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई अंकुश अब नहीं रह जाता है एक अंकुश था उसे भी आपने खत्म कर दिया। एक अपीलेट अथारिटी रखी गई थी। अगर उस अधिकारी के ऊपर यह होगी तो इस अपीलेट अथारिटी के सामने उसका निर्णय आयेगा तो कुछ अंकुश रखा जा सकता है उस अंकुश को भी हटाया जा रहा है। मान्यवर, बहुत पर्सनल बात हो जायगी इसलिये मैं उसको नहीं कहता, लेकिन ऐसा मेरे इल्म में मामला है कि एक बहुत छोटे कर्मचारी सीधे मिनिस्टर से कहते हैं। मिनिस्टर सीधे स्थानीय अधिकारी को टेलीफोन करता है। वह स्थानीय अधिकारी उसको इसलिये नहीं कर पाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश है कि उसका फैसला अपीलेट अथारिटी के सामने जायगा। लिहाजा उसको कुछ कानून के मताबिक करना है। कुछ कानून की बात माननी है। अगर उसको यह डर न होता तो वह टेलीफोन जिसके लिये मैंने जिक्र कया, उसका असर हो गया होता और वह कर्मचारी जिसका मामला था उसका असर पड़ चुका होता। लेकिन मान्यवर, अब उस अंकुश को हटाया जा रहा है। क्यों वह डर रहे, क्यों वह रुकावट रहे और क्यों टेलिफोन की कम्पलायन्स नहीं हुई इसलिये वह ताकत हटाई जा रही है। मैं मान्यवर, इस संशोधन को अनैतिक, अनावश्यक और बिलकुल डिक्टेटर शिप की तरफ ले जाना वाला कदम मानता हूं और इसका सिद्धान्ततः घोर विरोध करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल ने अपने खयालात व्यक्त किये, इस आर्डिनेंस के सिलसिले में मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। पिछले दिनों जिस दिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

राज्यपाल महोदय ने अपना यहां पर अभिभाषण दिया था उस दिन भी मैंने अपने खयालात व्यक्त किये थे। इस सरकार ने पिछले १८ वर्ष में जितने भी आर्डिनेंस जारी किये हैं, उतने और किसी प्रान्तीय सरकार ने नहीं किये हैं। मैंने विधान सभा की लायब्रेरी में उत्तर प्रदेश की सरकार के अलावा और सरकारों ने भी जो आर्डिनेंस जारी किये हैं उनको देखा है। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और दूसरी सरकारों ने पिछले १८ साल में जो-जो आर्डिनेंस जारी किये हैं, उनमें मुझे ऐसा लगा कि सबसे अधिक आर्डिनेंस सारे देश में हमारी सरकार ने जारी किये हैं। उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि सुचेता कृपालानी जी की सरकार के समय में सब से अधिक जारी हुये हैं। गुप्ता जी, सम्पूर्णानन्द जी और पन्त जी के समय का मकाबला किया जाय तो इनके समय में ही अधिक आर्डिनेंस निकले हैं। इस पर भी इतने अरसे के बीच पिछले १७, १८ महीनों में जितने आर्डिनेंस उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाले हैं, उतने पहले नहीं निकले हैं। जब भी सरकार चाहती है आर्डिनेन्स निकाल देती है। इसका मतलब साफ है कि इस सरकार का जनतंत्र में विश्वास नहीं है। यह विधान सभा जो बुलाई जाती है वह इसलिये कि इसको बुला कर आर्डिनेंस का अनुमोदन करा लिया जाय। यहां पर अपने बहुमत के आधार पर इसका अनुमोदन भी यह सरकार करा लेती है। मैंने तो अपने विरोधी भाइयों से कहा कि यह सरकार अपने कुकृत्यों के लिये स्वयं ही अपदस्थ होना चाहती है, लेकिन यह विरोधी पक्ष भी इतना नपुंसक हो गया है कि यहां पर बुलाये जाते हैं तो आकर बैठ जाते हैं और पैसा पाकर वे भी मौज उड़ाते हैं। १५ रुपया रोज भत्ता बनाने के लिये यह असेम्बली बुलाई जाती है। और इसका कोई मतलब नहीं है। जिस रोज राज्यपाल महोदय का यहां पर भाषण हुआ था और मैंने उस समय अपने विचार प्रकट किये थे उसी समय विरोधी पक्ष के लोग राज्यपाल महोदय के सामने अपने विचार प्रकट करते तो राज्यपाल महोदय की कभी हिम्मत न होती कि इस तरह के ऊल जलूल अध्यादेश जारी करते। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्री और मुख्य मंत्री जो उनको राय दे देते हैं वही राज्यपाल महोदय दस्तखत करके भेज देते हैं। मैं इसको नहीं मानता हूं। अगर कोई मिनिस्टर गवर्नर महोदय को गाली लिख कर दे दे तो क्या वह उस पर अपने दस्तखत करेंगे? राज्य का इतना ज्यादा पैसा उनके ऊपर किस लिये खर्च किया जाता है। संविधान में जो मान्यतायें निर्धारित हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके अन्दर हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल काम कर रहे हैं? और अगर राज्यपाल महोदय ने उनके बाहर जा कर काम किया है तो ऐसा करना क्या उचित है? मैं समझता हूं कि जो राज्यपाल जनतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकता उसके लिये सदन को भी मर्यादित व्यवहार नहीं करना चाहिये। इसी दृष्टि से मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आर्डिनेंस जारी कर के, क्योंकि आपका बहुमत है, उसे आप यहां पास करवा लेते हैं, उससे जनतंत्र की रक्षा नहीं होगी। मैं जगदीश शरण जी से भी कहना चाहता हूं कि केवल यहां विरोध करना ही उचित अथवा पर्याप्त नहीं है। अगर जनतंत्र से विश्वास उठ गया है तो आप को चाहिये कि कांग्रेस पार्टी छोड़ कर, उसे ठोकर मार कर इधर आकर बैठें और अगले चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ करने की कोशिश आप करें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

आप भी कांग्रेस में आ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं गेंदासिंह जी नहीं हूं। नौकरी हमको नहीं करनी है कि ३०० की नौकरी छोड़ कर १,५०० की नौकरी कर लूंगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

यह लीडिंग क्वेश्चन था। इसी उत्तर की आप से उपेक्षा की जाती थी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नवलकिशोर जी ने कहा इसलिये मैंने उसका जवाब दे दिया। इस अध्यादेश में इसका जो पहला खंड है, उसमें जो पहले स्थिति थी और जो आज मंत्री जी करने जा रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। पहले तीन आदमी इसमें रखे गये थे जिनमें एक डिप्टी डाइरेक्टर थे, जो चेयरमैन थे, दूसरे मैनेजर्स एसोशियेशन का एक व्यक्ति था और तीसरा टीचर्स का रिप्रेजेन्टेटिव था। उस समय डिप्टी डाइरेक्टर जी चाहता था वह कर देता था। आज भी प्रायः वही स्थिति है। अन्तर कुछ नहीं है। यदि इसे प्रवर समिति में भेज कर कानून को कुछ और व्यापक बनाया जाय तो कुछ हो सकता है। टीचर्स के नुमाइन्दे एक की जगह तीन रखें, मैनेजर्स के दो रखें तभी अध्यापकों के हकों की रक्षा हो सकती है अन्यथा नहीं। इस अध्यादेश से भी कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। व्यवहारिक रूप से पहले भी जो एक व्यक्ति को अधिकार था वही आज भी रहेगा। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि सही तरह से काम हो तो अपीलेट कमेटी में कम से कम ५–७ आदमियों की व्यवस्था आप को करनी चाहिये जिसमें अध्यापकों के नुमाइन्दे मैनेजर्स से अधिक रहें इसलिये कि अध्यापक तो नौकर होता है और उसे आये दिन जोर जुल्म सहन करते रहना पड़ता है। इसलिये यदि ५, ७ आदमियों की समिति होती तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बातें न करें सदन में।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई सुनवाई हो सके और उसकी व्यवस्था इसमें की जाय तो उत्तम है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति अध्यापकों के झगड़े के अतिरिक्त इंस्पेक्टर की शिकायत करे तो उसकी भी सुनवाई हो। आज यह होता है कि इंस्पेक्टर कितनी ही बेहूदगी का काम क्यों न करे, भले ही रिश्वतखोरी के आधार पर विद्यालयों और स्कूलों का काम चलाता रहे, अगर उसकी शिकायत की जाती है तो मंत्री तक उसकी सुनवाई नहीं होती। मैंने अपने जिले के इंस्पेक्टर की कई बार शिकायत की। डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर ने जांच की और शिकायत को सही पाया गया। दोनों ने पुष्टि की और यहां सेक्रेटरी ने अपना नोट लगाया, लेकिन मंत्री जी की फाइल में कागज पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। तो इस इंटरमिडिएट बोर्ड के विधेयक में अध्यादेश में आप संशोधन करने जा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था करते और प्राविधान रखते कि मैनेजर और अध्यापक के झगड़े के अलावा अगर कोई दूसरा आदमी इंसपेक्टर आफ स्कूल की या अन्य आदमियों की शिकायत करता है तो उसकी सुनवाई होगी और उसमें एडीशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का निर्णय फाइनल होगा। उससे इंसपेक्टर के ऊपर भी अंकुश होता, लेकिन इस कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक अदालत का अधिकार है, उसमें दूसरी धारा जोड़ रहे हैं कि न्यायालय में बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की जायगी। सफाई में यहां कहा गया कि अगर सद्भावना से कोई काम किया जाय तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की आपत्ति और अपील न्यायालय में करने की क्या जरूरत है? लेकिन जनतंत्र से सारा काम कायदे-कानून से चलता है। नीयत का मापदंड समाजशास्त्र में नहीं निकल पाया है। आपके काम का जो असर समाज पर पड़ता है उसे हम देखते हैं। इस तरह से आपके काम का सारा असर जनता पर पड़ रहा है, हम आपकी नीयत को लेकर क्या करें? अन्तिम निर्णय हमेशा अदालत में होता है और जुडीश्यरी का स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया गया है कि एग्जिक्यूटिव जो बेलगाम काम करे उस पर नियंत्रण न्याय विभाग के द्वारा होगा। इसमें आप एग्जिक्यूटिव को अनियंत्रित अधिकार देने जा रहेहैं, यह लोकशाही के उसूलों के खिलाफ है, नवलकिशोर जी! मैं जानता हूं कि नवलकिशोर जी इसका समर्थन करेंगे। इसलिए अगर वह चाहते हैं कि जनतंत्र फले-फूले और जैसा कि राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में उन्होंने अपने भाव व्यक्त किये, हम समझते हैं कि वे सरकार के रवैये से शुब्ध हैं, उनका सरकार में विश्वास नहीं है। इसलिए वह इस क्लाज को हटा देने के लिए

[श्री काशीनाथ मिश्र]

हमारा समर्थन करेंगे और राममूर्ति जी को अनियंत्रित अधिकार एग्जिक्यूटिव को देने से रोकेंगे? इन शब्दों के साथ में इस विधेयक की मुखालफत करता हूं।

श्री नवलकिशोर—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय काशीनाथ जी ने बहुत सी बातें मेरे बारे में फरमा करके अपना भाषण दिया है। वह मेरे मित्र हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। मान्यवर, इस समय जो विधेयक प्रस्तुत है, उसके सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं उनको मैं ३–४ खंडों में बांट देता हूं। एक तो आर्डिनेंस के द्वारा इस चीज को लाना चाहिए था या नहीं। दूसरे, अध्यापकों और मैनेजमेंट के नुमाइन्दों को हटा देने से जनतंत्र में आस्था कम होती है या नहीं? तीसरे, यह छोटा सा जो विधेयक है, उसका जो बेसिस है उसके मेरिट पर हम अपने विचार दें। मान्यवर, आप मुझ से ज्यादा जानते हैं कि विधान ने इस बात का प्रोविजन किया है कि यदि सेशन न हो और कोई कानून बनाने की विशेष आवश्यकता हो तो गवर्नर उस समय के हालात का समाधान करने के लिए आर्डिनेंस ईश्यू कर सकता है। यह देखने की बात है कि क्या मामला इतना अरजेंट था कि आर्डिनेंस ईश्यू करना चाहिए था या नहीं। सिद्धान्ततः मैं स्वयं इस विचार का हूं कि आर्डिनेंस एक विशेष कांस्टीट्यूशनल पावर है जिसको आमतौर से आये दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करना उस अधिकार का सही प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि सरकार की तरफ से वह तथ्य आपके सामने पेश किये जा सकें कि इस अध्यादेश का होना अनिवार्य था और इसके बिना कोई ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो सकती थी तो माननीय काशीनाथ भी इत्तफाक करेंगे कि आर्डिनेंस का ईश्यू न करना ही कोई जनतंत्र का बड़ा भारी आधार नहीं बन सकता। मैं इस विचार का हूं कि बहुत ज्यादा तादाद में और आमतौर से आर्डिनेंस ईश्यू नहीं करने चाहिए वरना लोग यह समझ सकते हैं कि आर्डिनेंस के जरिये से ही सरकार हुकूमत करना चाहती है। कितने केसेज पेंडिंग थे, कितनी कठिनाइयां हो सकती थीं देर हो जाने से, यह तो मंत्री जी बतायेंगे। मंत्री जी ने कहा कि अपेलेट कमेटी में ३ आदमी होते थे—डिप्टी डायरेक्टर, एक नुमाइन्दा टीचर्स का और एक मैनेजर्स का। मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि यदि जनतंत्र को मजबूत करना है तो गैर सरकारी तत्वों को शक्ति देनी होगी और मजबूत बनाना होगा। जब मैंने आर्डिनेंस को पढ़ा तो मुझे परेशानी हुई कि यह क्या मनोवृत्ति बनती जा रही है कि हम जनता की नुमाइंदगी को किसी न किसी बहाने से सब जगहों से हटा रहे हैं। इत्तफाक की बात ऐसी है कि तीन वाकयात हमारे सामने आये—कारपोरेशन का सुपरसेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटी से एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और एम पीज० का हटा देना और इत्तफाक से यह विधेयक भी सामने आ गया। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, अगर सरकार के सामने इस तरह के तथ्य हों कि जनता के नुमाइन्दों ने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल न किया हो या बेजा किया हो। तब सरकार का फर्ज है कि उनको एक्सपोज करे, चार्जशीट करे और इस काबिल बना दे कि दोबारा जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहें, मगर हर मामले में नौकरशाही को तरजीह देना मुनासिब नहीं है।

लेकिन इसके साथ ही साथ यह बात भी अपनी जगह सही है कि अगर कोई व्यावहारिक कठिनाई सामने हो तो उसके लिए अगर व्यावहारिक कदम उठाया जाय तो उसके मेरिट पर भी सोचने की बात होनी चाहिये। मुझे बताया गया कि जो कमेटी बनती थी उसमें मैनेजमेंट सहयोग नहीं देता था और अपना प्रतिनिधि उसमें नहीं भेजता था जिसके कारण अपेलेट कमेटी नहीं कर पाती थी। शिकायत आमतौर से टीचर्स की होती है मैनेजमेंट की नहीं, तो कमेटी जब काम ही न करे तो टीचर्स का ही अहित होता है। अगर मैनेजमेंट ने अपील नहीं की है और वह सहयोग नहीं करता है तब किसी का सहयोग जबरदस्ती का आप ले नहीं सकते हैं। स्वयं काशीनाथ जी ने जैसा कहा, जब तीन आदमी होते थे तो हालांकि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं कि टीचर का और मैनेजमेंट का संबंध कोई ट्रेड यूनियन का संबंध है, लेकिन आरगूमेंट के लिए मान भी लें तो एक इंटरेस्ट हुआ टीचर का, एक मैनेजमेंट का। इनमें जब टकराव हुआ तो

अन्तिम फैसला डिप्टी डायरेक्टर का हुआ। इन दोनों के नुमाइंदे हट गये तो डिप्टी डायरेक्टर का अन्तिम फैसला अब भी रह ही गया है। तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। यहां तक तो उन्होंने भी इत्तफाक किया है। यह बात सही है कि अगर इन नुमाइन्दों को इस खयाल से हटाया गया है, कि जो नान-आफिशियल एलीमेंन्ट्स हैं उनको नहीं रखना चाहते तो यह एक सही कदम नहीं है, गलत कदम है। इससे जनतंत्र कमजोर होगा। मगर जैसा पहले कहा गया है अगर यह सही है कि मैनेजमेंट के नुमाइन्दे आते ही नहीं वे काम नहीं करते हैं, सैकड़ों केसेज पैन्डिंग पड़े हुए हैं तो मैं समझता हूं कि आप को इस विधेयक से इत्तफाक करना चाहिये। यह जो विधेयक आया है बहुत ही व्यावहारिक है। एक बात और कही गई उस तरफ से। मेरे एक मित्र ने कहा कि बड़ी-बड़ी शिकायतें हैं टीचर्स की और बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। एकाध एक्जाम्पिल दिया श्री बनर्जी का, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वाकयात मेरे सामने नहीं हैं। जब इस आर्डिनेंस का पता टीचर्स एसोसियेशन को चला तो उन्होंने इसका स्वागत किया और टीचर्स ने इसलिये स्वागत किया कि कम से कम इसके बनने के बाद उनकी शिकायतों का समाधान तो हो जायगा क्योंकि पहले गाड़ी चलती ही नहीं थी। तीन मेम्बर पहले होते थे तो अगर एक भी गैरहाजिर होता था तब काम नहीं चलता था परन्तु अब यह कठिनाई नहीं होगी और काम चलता रहेगा। अगर यह कर देते कि मेम्बर न भी आये तब भी काम चले तब जो नहीं आता उस पक्ष की सुनवाई नहीं होती और एक्स पार्टी जजमेंट हो जाता। इसलिये उस स्थिति को बचाने के लिये जो यह बात की गई है अपनी जगह सही है। एक बात और कही गई कि जुडीशियरी को आपने वंचित कर दिया। इसमें दो बातें देखने की हैं। इसमें तीन चार क्लाजेज हैं। एक तो यह कर दिया है कि डिप्टी डायरेक्टर बना दिया और दूसरे जो पैन्डिंग केसेज हैं उसको भी अपीलेट अथारिटी सुनेगी। दूसरे स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड को आप प्रासीक्यूट नहीं कर सकते उनके बोनाफाइडी ऐक्शन के लिये। मान्यवर, करीब करीब जितने ऐक्ट बनते हैं सबमें ही यह क्लाज होता है। इसमें सिविल कोर्ट के लिये डिबार किया है जिसको हिन्दी में कहते हैं अदालते-दीवानी। मान्यवर, कुछ ऐसा ट्रेन्ड सा बन गया है कि हर बात के लिये मुन्सिफ साहब के यहां एप्लीकेशन दे दी जाती है और फिर इन्जक्शन ईश्यू करा दिया जाता है। हाई कोर्ट में जब काशीनाथ जी चाहें, बड़े शौक से जा सकते हैं। रिट भी आप कर सकते हैं। ये जो जिला स्तर की अदालतें हैं उनमें ख्वाहमख्वाह लोग जायं, मुकदमेंबाजी में फसें और इस तरह की चीजें पैदा करें, मैं समझता हूं उसके लिये ठीक ही है वंचित किया गया है और उसमें इस तरह की बात नहीं की गई है कि जूडीशियरी को वंचित किया गया हो। एक बात आप कह सकते हैं कि चूंकि इन्स्पेक्टर पनिशमेंट को कन्फर्म करता है या उसको वैरिफाई कर देता है। उसके खिलाफ अपील होती है। एक सन्देह हो सकता है दिमाग के अन्दर कि जिसको कहते हैं डिपार्टमेंटलिज्म (विभागीयता) अगर उसने जोर पकड़ा तो एक दिक्कत हो सकती है। वह यह कि इन्सपेक्टर का जो आर्डर है उसके खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर जायेगा या नहीं। परन्तु उसमें यह बात पैदा नहीं होती क्योंकि डिपार्टमेंट में आज भी श्रेणियां हैं और उच्च अधिकारी अपने मातहत के आर्डर के खिलाफ अपील सुनते हैं और यह विश्वास करना ही चाहिये कि वह मेरिट पर न्याय करते हैं और विभागीय दृष्टिकोण से प्रेरित नहीं होते हैं। कहा गया कि हमको पुलिस के चंगुल में फंसाने का मौका नहीं हुआ है तो मैं बता दूं कि अगर हम काशीनाथ जी को जेल भिजवायेंगे भी तो बड़ी इज्जत के साथ भिजवायेंगे। मैं चाहता भी नहीं हूं कि जो तजुर्बा हमको हुआ है वह आप को भी हो। हमारे तो हथकड़ी और बेड़ी लगाई जाती थी। हम आशा करते हैं कि वे मायूस न होंगे।

काशीनाथ जी जानते हैं कि इंटरमीडियेट ऐक्ट पास होने के बाद आमतौर से यह धारणा बनी है कि सरकार का रुख अध्यापकों की तरफ ज्यादा मुलायम है बमुकाबले मैनेजमेंट के। इसीलिये कई बार उस बात की मांग भी हुई कि दोनों के अन्दर एक तरह का बैलेंस होना चाहिये। मेरे मित्र ने कह दिया कि डाइरेक्टर के डर के मारे वह इंटरमीडिएट बोर्ड में भी कोई भी कुछ नहीं पर पाते हैं। जो पोलीटीशियन टीचर असेम्बली, काउन्सिल या पार्लियामेंट में पहुंच जाता है उसको तो कम से कम डरने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। काशीनाथ जी नपुंसकता की बात शायद गुस्से में कह गये, लेकिन मैं उनको नपुंसक नहीं मानता हूं। मुझे उनकी इस बात से

[श्री नवलकिशोर]

कोई भी शिकायत नहीं है कि विरोधी दल नपुंसक है। क्योंकि मैं भी यही समझता हूं। मगर मैं उनके लिये पोटेंसी कहां से लाऊं? मेरी सहानुभूति उनके साथ है। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल सरकार को आगाह करने के लिये सजग रहे। यह छोटा सा विधेयक है। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेरे मित्र जगदीशशरण जी चले गये। उन्हें इंटरमीडिएट बोर्ड का बहुत अनुभव है। वह उसके मेम्बर हैं। जो बातें उन्होंने कहीं उनको अगर अपनी जगह पर मैं सही भी मानूं—और मैं मानता हूं कि एजूकेशन डिपार्टमेंट के अन्दर भी भ्रष्टाचार है और जो ग्रान्ट दी जाती है उसमें शिक्षा विभाग के बाबू भी १०, ५ परसेंट ले लेते हैं, मैंने भी एक आध बार शिक्षा मंत्री जी से यह बात कही थी—लेकिन उसका समाधान होने की इस विधेयक में कोई गुंजायश नहीं है। वह तभी हो सकता है जब एजूकेशन स्टाफ का कोड आफ कांडक्ट बने या इंटरमीडियेट बिल में कोई संशोधन सामने हो। जैसा माननीय जगदीशशरण जी और काशीनाथ जी ने ध्यान दिलाया है, और पहले सरकार का विचार भी था, मुझे उम्मीद है कि सरकार इंटर-मीडियेट बिल में व्यापक संशोधन लावेगी। इस मौजूदा विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मुझे कोई तुक नहीं मालूम होती। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको यूं ही पास करने की कृपा करेगा।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, इस इंटरमीडियेट विधेयक का विरोध में इसलिये करता हूं कि यह विचारपूर्वक नहीं लाया गया। सरकार चाहती है कि एक व्यक्ति के हाथ में जो उसकी हां में हां मिलाता हो, सारी शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के हाथ से निकाल कर दे दें। इससे अध्यापकों और मैनेजमेंट का हित नहीं हो सकता है। आप जनता के हाथ से शक्ति लेकर नौकरशाही के हाथ में देते चले जा रहे हैं। आपके पास और भी रैमेडी थीं। इसीलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना अत्यन्त आवश्यक है। झगड़े को देख कर सरकार फौरन अध्यादेश जारी करके बिल ले आयी। अगर यह बिल आप प्रवर समिति में नहीं ले जाते हैं तो निश्चय ही आपको फिर संशोधन बिल लाना होगा। इस विधेयक से तो जैसा इंसपेक्टर आफ स्कूल्स लिख देगा वैसा ही निर्णय शिक्षा उपनिदेशक कर देगा। चाहे वह अध्यापकों के हित में हो या न हो। अगर आप कठिनाइयों को दूर करने का यही एक तरीका समझते हैं कि सारी शक्ति एक ही अधिकारी के हाथ में केन्द्रित कर दें, तो यह उचित नहीं है और अप्रजातांत्रिक भी है। आप इस विधान सभा के ही माननीय सदस्यों की एक समिति बना कर उसकी राय ले सकते थे और यही उद्देश्य प्रवर समिति का है। अध्यापकों के प्रतिनिधि एक की जगह दो किये जा सकते हैं या सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, अगर कोई समिति की बैठक में उपस्थित न हो तो उनको कुछ भी लाभ न देकर, निर्णय कर दिया जायगा, इस तरह की बातें आप कर सकते थे। लेकिन आपने यह कुछ नहीं किया। इसका यदि हम सही अर्थ लगावें या इस सदन की मनोवृत्ति को पहचानने की कोशिश करें तो इसका केवल यही अर्थ मालूम होता है कि सरकार धीरे-धीरे जनता के प्रतिनिधियों के हाथ से शक्ति लेकर नौकरशाही के हाथ में देती चली जा रही है। इस मनोवृत्ति को आपको हटाना होगा। इसका अभी भी आपको अवसर है और इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाइये, नहीं तो निश्चित रूप से आपको ४,६ महीने में या साल भर में फिर संशोधन विधेयक लाना होगा। जो क्षति-ग्रस्त होंगे, चाहे वे अध्यापक हों या मैनेजर हों, वे अपने आपको आपके लिये सिर-दर्द बनाये रहेंगे।

आपने २२वीं धारा जोड़ कर यह कहा है कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि हाई कोर्ट में रिट के द्वारा जा सकते हैं। लेकिन छोटे कोर्ट्स में तो नहीं जा सकते। इसलिये मामला उलझ गया। अध्यापकों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे वहां जा सकें और नीचे के कोर्ट्स का दरवाजा उनके लिये बन्द कर दिया गया। यह उनके साथ न्याय नहीं

किया गया है। इस विधेयक में जो नयी धारा जोड़ी गयी है वह अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और असंगत है। मैं इन दो कारणों से इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और मंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि वह प्रवर समिति के द्वारा इस पर पुनः पूर्ण रूप से विचार करें।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने आया है उसमें हमें दो बातें सोचनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह कि आई० पी० सी० में एक दफा है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई कार्य बार-बार किया जाता है तो उससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह कार्य इन्टेन्शनली किया जा रहा है, चाहे ऐसा भले ही न हो। इस बीच में सरकार के ३–४ कार्य ऐसे हुए हैं जिनसे यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई है कि कदाचित सरकार डेमोक्रेटिक फोर्सेज पर आघात कर रही है, जिसके सदन में उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये। हो सकता है सरकार के दिमाग में यह बात बिलकुल न हो लेकिन यह धारणा, उत्पन्न हो गयी है और यह लाजिकल भी है। क्योंकि जो पार्टी रूल कर रही है उसने अपना पैटर्न सोशलिस्टिक बनाया है जिसमें जनता को अधिकाधिक अधिकार दिये जाते हैं। जनता के लोग एक्सपर्ट तो हैं नहीं, इसलिये अगर कहीं गलती भी करते हैं तो उनको माफ किया जाना चाहिये। वे अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। जनता के लोगों ने कोई गलती की है इसलिये उस डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म कर दिया जाय, यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। देखना यह होगा कि प्रेजेन्ट जो सेट अप है उसको कायम रखते हुए भी भूल को सुधारा जा सकता था या नहीं। भूल की बात अपनी जगह बिलकुल सही है कि केसेज एक्युमुलेट हो गये थे। टीचर्स गरीब हैं मुद्दत हो गयी उनकी सुनवाई नहीं हुई। वह गरीब आदमी हैं। अगर वह अपील दायर भी करता है तो पार्टीज नहीं आतीं। तब सरकार के विरुद्ध शोर मचता है कि अन्याय हो रहा है। यह भी कहा गया कि अध्यापकों से राय ले ली गयी थी। हो सकता है इस वजह से उन्होंने राय भी दे दी हो कि आर्डिनेंस जारी कर दो। लेकिन देखना यह है कि ऐसा हुआ क्यों? उसकी वजह यह थी कि सरकार ने इसकी जो नेचर रखी वह एक कोर्ट की रखी जिसमें तीनों सदस्यों की हाजिरी आवश्यक थी। टीचर्स का नुमाइन्दा, मैनेजर का नुमाइन्दा और डिप्टी डायरेक्टर तीनों का बैठना लाजिमी था। इस प्रकार से वह एक कोर्ट कम्पोज हुआ। इसलिये वह कोर्ट नहीं रहा और इसी वजह से यह बाधा पैदा हुई। लेकिन अगर सरकार अब भी चाहती है तो वह इस कोर्ट की नेचर को बदल सकती है और बजाय इसके कि अपीलेट कोर्ट बने उसको आर्बिट्रेशन कोर्ट कर दिया जाय, अगर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कर दिया जाता है तो सरकार के लिये यह लाजिमी हो जाता है कि वह मजदूरों और मैनेजर्स दोनों के प्रतिनिधियों को वहां बुलाये और वह सब सम्मिलित हों। अगर वह दोनों फरीक सम्मिलित हो जाते हैं तो अच्छा है और अगर कोई पार्टी शरीक नहीं होती है तो जो फरीक होगा वही निर्णय देगा और ऐसी सूरत में जो पार्टी शरीक न होगी वह यह नहीं कह सकेगी कि उसके, प्रतिनिधियों को नहीं सुना गया। अगर इस तरह से इस कम्पोजीशन को बदल दें तो यह दिक्कत रफा हो सकती है।

लेकिन अगर सरकार चाहती है कि हम इसको नहीं बदलेंगे तो जो मौजूदा सेट-अप है वही रखना है तो डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा ही अगर निर्णय करना है तो उसमें दो बात सोचनी होंगी। अब तक जो नेचर इस अपीलेट कोर्ट का था उसमें मैनेजर्स और टीचर्स के प्रतिनिधि थे और सरकार के भी प्रतिनिधि थे और तीनों बैठ कर बात कर सकते थे, उसमें सबकी बहस हो जाती थी और सबका प्रतिनिधित्व हो जाता था। ऐसी सूरत में यह जरूरी नहीं था कि सिविल कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत हो, लेकिन अब वह दोनों तो एलीमिनेट हो गये। तो फिर डिपार्टमेंट का ही कोर्ट रह गया। अगर सिंगिल जज के खिलाफ कोई न्याय चाहता है तो कोर्ट का दरवाजा बन्द करना उचित न होगा। अगर पहले में होता, जो ट्रिब्यूनल का नेचर होता उस वक्त बन्द कर देते तो कोई बात नहीं थी लेकिन एक आदमी के फैसले के खिलाफ अपील को रोकना उचित नहीं है। यह एक जुडिशियल रेमेडी है। और इसको बन्द नहीं करना चाहिये। पहली शक्ल में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो इसकी और भी ज्यादा जरूरत हो गई है।

[श्री मौरंगलाल]

इस सेट-अप में सिविल कोर्ट से डिबार करना उचित नहीं है। यह एक सेक्शन यहीं ठीक किया जा सकता है और सारी बहस खत्म हो सकती है या बिल प्रवर समिति में चला जाय और वहां इस सम्बन्ध में जो कनसेशन दे सकें वह दे दें। एक तरकीब यह भी हो सकती है कि जहां आपने लिखा है कि डिप्टी डायरेक्टर निर्णय देंगे वहां आप यह कर दें कि डिप्टी डायरेक्टर दोनों पार्टीज के प्रतिनिधियों को सुनेंगे और उनको सुनने के बाद अपना निर्णय देंगे। इस तरह से मैनेजर्स और टीचर्स के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद वह प्रैक्टिकल नतीजा निकाल सकते हैं, दोनों उनके सामने बहस से एक दूसरे का काट कर सकते हैं और सही चीज उनके सामने फैसला देने से पहले आ सकती है। इस तरह से वह एक तरह का डेमोक्रेटिक सेट-अप भी रहेगा और सारा झगड़ा खत्म हो सकता है। फिर इसको प्रवर समिति में भी भेजने की जरूरत नहीं होगी। फिर किसी तरह के अपीलेट बाडी की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि यदि संशोधन सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाये तो, इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत नहीं है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है मैं इसका विरोध करता हूं। मैं तो इस बात का हामी हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीय करण होना चाहिये। अगर इस बिल द्वारा उस ओर यह कदम है और हमारी सरकार इस बात के लिये तैयार है कि शिक्षा नेशनलाइजेशन किया जाय तो मुझे कोई आपत्ति न होती और मैं इसे खुशी से मान लेता। लेकिन देखा यह जाता है कि जो बात उन्हें सूट करती है, जिस ढंग से भी, वैसे ही अपनी इच्छा की पूर्ति के लिये ये कोई बिल ले आते हैं और उसके पूर्व आर्डिनेन्स ले आते हैं। तो विरोध करना ही पड़ता है। सरकार की कुछ ऐसी मनोवृत्ति हो रही है कि एक तरफ तो प्रजातंत्र की बात करते हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो कदम हैं वे बिलकुल डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अभी नगर महापालिकाओं के सम्बन्ध में आर्डिनेन्स लाकर प्रजातंत्र की पद्धति को आघात पहुंचाया है और उन्हें समाप्त कर दिया है। आज उनकी मनोवृत्ति सारे कानूनों को आर्डिनेन्सेज के द्वारा प्रसार करने की ओर जा रही है। दूसरे यदि आप इस बिल के उद्देश्य और कारणों को देखें तो उसमें दिया हुआ है कि जो अधिकार मैनेजर एसोसियेशन, माध्यमिक शिक्षाक संघ और संभागीय शिक्षा उप निदेशक के प्रतिनिधि को थे, उनको समाप्त करके डिप्टी डाइरेक्टर को पावर सौंपना आवश्यक समझा गया है। पावर देने के पश्चात् कोर्ट में, दिवानी कचहरियों में न जाने का जो प्रबन्ध लगा दिया है कि कोई मामला कोर्ट में नहीं जा सकता है तो मैं नहीं समझ सका हूं कि कौन इस बात को तय करेगा कि जो आदेश होंगे वे सद्भावना से किये गये हैं। इससे संविधान में दिये गये प्राविधान का उल्लंघन होगा। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के सम्बन्ध में लीगल पोजीशन के बारे में जो प्राविधान किया गया है वह धारा १४ में स्पष्ट किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि:—

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India"

संविधान की धारा १४ के दो हिस्से हैं। एक तो इक्वैलिटी विफोर दी ला और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन आफ दी लाज। अमेरिकन संविधान में इक्वैलिटी विफोर ला हम नहीं पाते हैं। हमारे संविधान में जानबूझ कर दोनों बातें दी गयी हैं। तो प्रतिनिधियों के हाथ से ले कर यहां पर डिप्टी डायरेक्टर्स को पावर्स दी जा रही हैं। वह चाहें तो फैसला करें, उसे अधिकार है उस फैसले के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अतः यह जो बिल लाया गया है हमारे संविधान के बिलकुल विरुद्ध है और यह बिल नहीं लाया जा सकता है। इस बिल द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। कोर्टस् को पूरा अधिकार है जब तक संविधान में स्पेसिफिकली प्रोवाइड न कर दिया गया हो कि फलां-फलां मैटर कोर्ट में नहीं जा सकता है, जैसे ट्रीटीज हैं, या कुछ अन्य संविधान के अनुच्छेद हैं। उनके अलावा कोर्टस् में हर मैटर जा सकता है। क्या इस बिल को ला करके कोर्ट्स के जूरिस्डिक्शन को आप बार कर सकते हैं? यह भी विचारणीय प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि आप स्वयं इसको देखें कि मेरा जो संवैधानिक प्रश्न है इसमें कहां तक बल है।

आप संशोधन से यह प्रतिबन्ध लगा दें कि यह कोर्ट में नहीं जा सकेगा, कर सकते हैं ? फंडामेन्टल राइट्स के विरुद्ध क्या आप कोई कानून बना सकते हैं ? मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि मैं गलत हूं। आप और सरकार अपने लीगल डिपार्टमेंट से इस बात की राय ले लें कि क्या यह सही है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यह जो आपकी भावना है कुछ अच्छी होते हुये भी एक बड़े खतरनाक रास्ते पर जा रही है। एक तो आप सबसे बड़ा कंटेप्ट हाउस का यह कर रहे हैं कि सदन के अधिकारों को आर्डिनेन्स जारी करके ले रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट तथा विधान सभायें इसीलिये बनायी गयः कि जितने भी आप बिल लायें, सदन में लायें बहुत ही आवश्यक हों तभी आर्डिनेन्स आवे। सदन उन पर विचार करके पास करे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि कितने आर्डिनेन्स सन् १९३७ से ५२ तक आये और कितने आर्डिनेन्सज १९५२ के बाद और खासतौर से १९६२ से और आज तक इन तीन, चार साल में लाये गये। यह सरकार की मनोवृत्ति का परिचायक है, द्योतक है कि किस तरह से सरकार कानून बनाना चाहती है, किस तरह से प्रजातंत्र का हरण करना चाहती है, किस तरह से हाउस का इस सदन का अपमान करना चाहती है। यह मनोवृत्ति अगर सरकार में आनी शुरू हो जाय, और डिक्टेटर की तरह आप अधिनायकवाद की तरह बढ़ने लगें तो कहां रहेगा देश। इस सदन के पश्चात् कचहरियां होती हैं जहां सरकार के गलत कानूनों और आर्डिनेंसेज को चैलेंज किया जाता है। लेकिन यह संशोधन करने के पश्चात् आपने उसको बार कर दिया कि वह कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यह एक विचारणीय बात है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आपने स्वयं देखा होगा कि कितने आर्डिनेंस, कितने ऐक्ट हमसे पास कराये गये जबरदस्ती बहुमत के आधार पर पास कराये गये और कितने चैलेंज हुये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कितने इनवेलिड हुये, कितने वायड हुये। और यह इसलिये होता है कि आप लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को जल्दी में कोई बात करने को कहते हैं तो उनके पास एक ही फिज्योलाजी होती है जिसके आधार पर वह आर्डिनेन्स या विधेयक बना कर तैयार कर देता है। अगर यह बात सही है कि आपके ऐक्ट यहां से पास हुये और कोर्ट्स में चैलेन्ज हुये तथा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इनवेलिड डिक्लेयर किये गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के ड्राफ्ट्समैन के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? ऐसे ही यह विधेयक प्रतीत होता है जिसके द्वारा आप पावर लेना चाहते हैं। आपके मस्तिष्क में कोई बात हुई, एक इंडीविजुअल केस को ले कर आप जेनरेलाइज कर देते हैं और उसके आधार पर सारी पावर्स अपने हाथ में केन्द्रित करने का यह जो कदम है मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

मान्यवर, हां, अगर आप यह घोषणा करें कि हम सारी शिक्षा, प्राइवेट संस्थाओं को, सबको नेशनलाइज करना चाहते हैं, और हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, एजूकेशन को सरकार लेना चाहती है तो मैं आपके साथ हूं। आप सारी शक्ति लीजिये और नेशनलाइज कीजिये। लेकिन जहां भी आपके रास्ते में कहीं कोई बाधा पड़ी उसको हटाने की कोशिश की यह नीति बड़ी घातक है। यह बिल फंडामेंटल राइट्स के बिलकुल विरुद्ध जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दें या इसको आप पुनः विचार के लिये वापस कर लें तो अच्छा होगा।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख है आज उसको मैं नौकरशाही को बढ़ावा देने वाला विधेयक कहता हूं और इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं यह चाहता हूं कि प्रवर समिति में यह जाय।

मुझे आश्चर्य हुआ माननीय नवलकिशोर जी की स्पीच पर आज। और कल मैंने समाचार पत्रों में उनकी स्पीच में नौकरशाही के विरुद्ध बहुत कुछ पढ़ा था, उस समय मैं सदन में तो था नहीं, मैं उन्हें बधाई देने वाला था। मगर वह मौका मुझे नसीब नहीं हो सका। दुर्भाग्य से उनकी स्पीच सुनने को मिल गई। आज फिर मैं सोच रहा हूं कि बधाई किस तरह दूं। मैं नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल—]

समझ पाया कि इस सीधे विधेयक को जिसके जरिये से शिक्षक संस्थाओं के संचालकों से और शिक्षकों से अधिकार लेकर, उनको अदालत में जाने से रोक कर नौकरशाही को बढ़ाने वाला विधेयक नहीं कहा जायगा तो क्या कहा जायगा और वह इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे यह सोचना पड़ा कि विधान सभा में बहुत से सदस्य ऐसे हैं, जिनकी राय रोजाना शायद बदलती रहती है। मैं अधिक क्या कहूं वह तो एक वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं इस सदन के और बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं और कम से कम जिम्मेदार लोगों को अपनी बातें, अपने खयाल एक दो दिन पहले के तो रखने ही चाहिये। मुझे भी थोड़ा सी शिक्षण संस्थाओं में काम करने का अनुभव है। उसके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं जैसा जगदीशशरण जी ने भी कहा था कि कदम-कदम पर शिक्षण संस्थाओं को चलाने वाले शिक्षकों को कठिनाई है सरकारी दफ्तरों से और फिर यह सारे अधिकार एक इतने बड़े आफिसर को जो जिले के भी बाहर रहता है उसको दे देना मैं समझता हूं कि बहुत अनुचित कदम है सरकार का। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री जी जो इस विधेयक को पेश कर रहे हैं यह हमारी राय अब तक रही है कि वे जनता की कठिनाइयों को हमसे भी ज्यादा जानते हैं, वे सही तौर से सोचें कि ये अधिकार डिप्टी डायरेक्टर को देना, शिक्षण संस्थाओं के नुमाइन्दों को हटा देना, जो शिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हैं उनके नुमाइन्दों को हटा देना और अदालतों के अधिकार से भी रोक देना यह कहां तक उनकी दृष्टि में न्यायोचित कदम है और न्यायोचित वाला अन्यायवाला ही कदम है। और यह उनके द्वारा सदन में पास कराया जाय तो मेरा उनसे अनुरोध है कि उनको अपने अनुभव का फायदा उठाकर इसमें जरूर संशोधन करा लेना चाहिये। मैं अधिक न कहते हुये यह कहना चाहता हूं कि अव्वल तो अध्यादेश और अध्यादेश के बाद यह विधेयक दोनों ओर से जो गलती बढ़ती जा रही है यह उचित नहीं है।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उन्होंने कई दफा ऐसे कानून पास कराये, जिनका आज बहुत दुरुपयोग हो रहा है। यह जो नाले नाली की जमीन वाला कानून पास कराया-जब मैं अनेक जगह गांवों में जाता हूं तो डी० आई० आर० किसानों पर ही लागू होता है, किसी पाकिस्तान अथवा चीन के जासूस के खिलाफ डी० आई० आर० लागू नहीं होता है। यह विधेयक जिस तरह से आप पास कराना चाहते हैं इससे शिक्षक जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं उनको सहायता पहुंचने के बजाय इससे उनको कष्ट ही बढ़ेगा। उनको खींचने से शिक्षा की प्रगति वैसे ही सबसे पीछे है और भी पीछे रह जायगी। अगर इस तरह का विधेयक लाया गया तो मुझे जरा भी इसमें शक नहीं है कि शिक्षण संस्थाओं का बोझ सरकार पर आ जायगा और सरकार के हित में यही है कि इसमें संशोधन लाया जाय और पिछले जैसे नियम थे वैसे ही कम से कम लागू किये जायं। मेरा अनुरोध है कि प्रवर समिति में भेजकर इस पर ठंडे दिल से विचार कर लिया जाय।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में जो भी अध्यादेश या विधेयक पेश होता है तो जनता के प्रति उच्च और विशाल भावनायें उसके लाभ की होनी चाहिये। यदि यहां पर आने वाले विधेयक की मंशा केवल इतनी हो कि किसी एक आदमी के हाथों को मजबूत किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह सदन के अधिकारों का हनन है और इससे प्रजातंत्र पर विश्वास हमेशा के लिये खत्म हो जायेगा और पाकिस्तान जैसी स्थिति यहां पर पैदा हो जायेगी। आज बहुत से माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं कि यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इससे कोई लाभ या हानि होने वाली नहीं है, लेकिन दोनों ओर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने नौकरशाही की यहां पर काफी चर्चा की है और उनकी कटु आलोचना रही है कि मंत्रिमंडल पर नौकरशाही इस तरह से हावी हो जाती हैं कि वे स्वयं नहीं जानते कि उनके क्या अधिकार हैं और कौनसा कदम सही है और कौनसा गलत है।

आपने भारतवर्ष का संविधान बनाया है और यदि आप मानव समाज की स्वतंत्रता का हनन करते हैं तो प्रजातंत्र का गला घोटने वाले इस कानून को लाने वाले आप लोग हैं, यहां इधर के बैठने वाले नहीं हैं क्योंकि शासन की बागडोर आपके हाथ में है। अभी तक इस समिति में तीन सदस्य होते थे और उसके द्वारा किसी मामले पर निर्णय लिया जाता था। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि इस सरकार की मंशा केवल इतनी है कि इस कमेटी के कारण बहुत से मामलों के निर्णय में विलम्ब होता था और इस समिति के सदस्य इकट्ठे नहीं हो पाते थे, इसलिये यह कठिनाई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समिति को भंग करने का यही प्रमुख कारण है तो मैं मांग करता हूं कि आप इस सदन को भी भंग कर दें क्योंकि इस सदन के ४३३ माननीय सदस्य हैं और इस समय जो इस बिल पर बहस हो रही है तो मुश्किल से ५० माननीय सदस्य ही उसमें भाग ले रहे हैं। आपने यदि इस समिति को इसलिये भंग किया है कि इसके सदस्य इकट्ठे नहीं हो पाते थे तो इस सदन को भी भंग किया जा सकता है। लेकिन इसको आप भंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आगामी चुनाव में इस तरह के कानून आपको हमेशा के लिये कब्र खोद देंगे। इसलिये आप ऐसा कानून नहीं ला सकते हैं। आज शिक्षक वर्ग और मजदूर वर्ग पर ही आपके कानूनों का असर पड़ रहा है। आपने संविधान बनाया है और आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और इधर इसकी नींव को खोखली करते हैं तो देश के साथ विश्वासघात करने वाले आप लोग हैं। हम लोग नहीं हैं। यह खुला हुआ प्रमाण है कि आज का मंत्रिमंडल अपने को अयोग्य साबित कर चुका है। वह हुकूमत करने लायक नहीं है। इस बिल ने साबित कर दिया है कि आपके ऊपर नौकारशाही हावी है और आपसे जो चाहे करा सकती है आप करने के लिये तैयार रहते हैं।

मैं आपके सामने दो एक चीजें और रखूंगा। यह सही है कि मान्यता प्राप्त संस्थायें प्रदेश में हैं और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि इन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बहुमत कांग्रेस के आदमियों का है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हरिजनों के लिये जो यहां से अनुदान जाता है उसमें काफी गबन मिलेगा। माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सी० आई० डी० को इंक्वायरी दे दें तो अनेक संस्थाओं में जो आपके आशीर्वाद से चल रही हैं, हजारों रुपये का गबन मिलेगा। आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करायें यह ठीक नहीं है कि लोग संस्थाओं का इस तरह से रुपया खा जायं। अनेक प्रकार से गबन और बेईमानियां होती हैं। अभी मैंने कई लाख रुपये का मामला सरकार को दिया। उस पर गोल माल हुआ। अगर किसी सी० आई० डी० अधिकारी को दे दें तो मैं साबित करवा दूंगा। अभियुक्तों के द्वारा ही यहां के एक सदस्य ने स्कूल के नाम पर करीब तैंतिस सौ रुपया चन्दा ले लिया और वह स्कूल में जमा नहीं हुआ। अगर सी० आई० डी० जांच करे तो मैं साबित करा दूंगा। इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं। आप एक आदमी के हाथ में पूरे अधिकार दे देना चाहते हैं, उप निदेशक शिक्षा विभाग को। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले अगर सरकार को दिये जायं तो आपके विभाग के अधिकारी अपने मातहत की रक्षा करते हैं। उनको इस लिये बोलना पड़ता है क्योंकि वह जानते हैं कि यदि यह चीज साबित हो गई और सरकार के सामने पेश हुयी तो हमारी बदनामी होगी कि हमारे विभाग का इंतजाम कितना खराब है। अपनी कुर्सियों को बनाये रखने के लिये, अपने अधिकारों की रक्षा के लिये, जो बेईमानी से बेईमान हैं, जो प्रजातंत्र की जड़ों को खोखला करने के लिये अग्रसर हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह छोटी सी आड़ ले लेना कि सदस्य कमेटी के अन्दर समय पर इकट्ठा नहीं होते थे इसलिये उस कमेटी को भंग कर दिया यह कोई ऐसी चीज नहीं जो लोगों पर असर डालें। आप जनतंत्र की सारी शक्तियों को खींच कर कुछ हाथों में केंद्रित कर देना चाहते हैं। आप मजबूर क्यों हैं नौकरशाही के सामने सर झुकाने के लिये? महज इसलिये हैं, महात्मा गांधी के चित्र के सामने सर ऊंचा करके आप कह नहीं सकते कि आप अपने मातहतों से सुबह से शाम तक नाजायज काम नहीं लेते। आपके टेलीफोन नाजायज कामों में इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि आपका मातहत आप पर हावी हो चुका है। जो उसने नोट लिख कर भेज दिया उस पर आपने हां कर दिया। न करने की आपकी शक्ति छिन चुकी

[श्री लखपतराम शर्मा]

हैं। जब आप अपने मातहत से नाजायज काम करवाना बन्द कर देंगे तभी आप न भी कर सकते हैं। लेकिन आप नाजायज काम न करें तो आप जानते हैं कि इस कुर्सी पर नहीं रह सकते। आपने प्रदेश की जनता को और अपने को एक कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन जनता की शक्ति महान है। जनता का बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन उस कगार के अन्दर जो ज्वाला है, जो १९६७ में आने वाली है, जिस समय उसमें विस्फोट होगा आपके नामोनिशान का पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रदेश की ८ करोड़ जनता अमर है। ऐसे काले कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में आया करते थे। इस तरह के काले कानून को समझदारी से वापस ले लें या प्रवर समिति में भेज दें या लोगों की राय जानने का मौका दें। आपने कहा कि इसमें अध्यापकों की राय ली गयी।

श्रीमन्, मेरी बात को आप बिलकुल सही मानें कि जब पिछले साल प्रदेश के अन्दर अध्यापकों का इतना बड़ा आन्दोलन हुआ तो बहुत से अध्यापकों को माननीय मंत्री जी के कमरे में बुला बुला कर उनके सर पर हाथ रखा गया ताकि वे आन्दोलन में भाग न लें, उनको तरह तरह के लालच दिये गये। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है, आप कहेंगे तो मैं नाम तक ले सकता हूं। मैं मानता हूं कि इन्सान में कमजोरी होती है इसलिये भले ही अध्यापकों ने आपकी हां में हां मिला दिया हो और आपके साथ सहानुभूति व हमदर्दी प्रकट की हो, लेकिन अगर उनके हृदय से पूछा जाय तो किसी तरह की भी सहानुभूति व हमदर्दी उनकी आपके साथ नहीं है। अगर आपको मेरी बात के ऊपर विश्वास न हो तो इस विधेयक के ऊपर ही इस्तीफा देकर जहां से चुनाव लड़ कर आये हैं वहीं से चुनाव दोबारा लड़ कर देख लें, फिर अध्यापक वर्ग की और आम जनता की राय मालूम हो जायगी। यदि आपको उन्होंने दोबारा चुन कर भेज दिया तो मैं समझूंगा कि आप इस देश के बड़े ही अच्छे और लाड़ले सपूत हैं और आपने इस प्रदेश के लिये अच्छे अच्छे कानून बनाये हैं और अगर आप नहीं चुने जा सकें तो आप नमस्कार करके यहां से चले जायं इसी में आपका और प्रदेश का हित है क्योंकि जनता का विश्वास आपको प्राप्त नहीं हो सका। इस तरह के कानून लाना जिससे एक आदमी के हाथ में ही सत्ता चली जाय, जनतंत्र के लिये सबसे खतरे की बात है। इससे लोगों का प्रजातंत्र में से विश्वास उठ सकता है। जहां जहां से प्रजातंत्र में से जनता का विश्वास उठा, आप समझ लें कि जीता जागता समाज होते हुये भी वह देश जहन्नुम में चला जायगा। आप पाकिस्तान को ही देख लें, वहां जब जनता का विश्वास प्रजातंत्र से हटा वैसे ही वहां की सत्ता एक आदमी के हाथ में या मिलिटरी के हाथ में चली गयी। हमारी आजादी अभी नन्हीं है।

यह सही है कि सन् ६७ के चुनाव की आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और तब तक आप इस कुर्सी पर बने रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से, न्यायेक रूप से अगर आप जनता के हृदय से पूछें तो आप एक सेकन्ड के लिये भी यहां रहने के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रदेश के लिये यह शर्म की बात है कि आप सुबह से शाम तक आपस में लड़ते रहते हैं। आप कहते हैं कि हमारे अन्दरूनी मामले में मत पड़ो, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है जबकि यहां माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ एक पर्चा शाया हुआ था। मैं समझता हूं कि इस तरह की नीच हरकतें विरोधी दल का कोई सदस्य कभी भी नहीं कर सकता। वह इतने नीचे स्तर पर नहीं गिर सकता जिस स्तर पर पहुंच कर मंत्रिमंडल का एक गुट दूसरे गुट से लड़ता रहता है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र को कायम रखने के लिये, प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास बनाये रखने के लिये, जम्हूरियत को कायम रखने के लिये तथा इस देश व प्रदेश की भलाई के लिये यह आवश्यक है कि आप अपनी गलती को मान लें। गलती इन्सान से ही होती है, "देर आयद दुरुस्त आयद" भूल स्वीकार कीजिये। अगर आप महात्मा गांधी के चरणों में बैठ कर उनसे अपनी गलती के लिये क्षमा मांगें तो वे अवश्य आपकी गलती को क्षमा कर देंगे। जो आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वह महान होता है, लेकिन जो व्यक्ति गलती करके भी उसको मानता नहीं, वह बहुत बड़ी गलती करता है। इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी की कड़ी से कड़ी

आलोचना की है। और मैं समझता हूं कि मौजूदा हालत में, आज देश और प्रदेश की जो दशा है उसको देखते हुये तथा जनता और माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुये एक आदमी के हाथ में सत्ता देना प्रजातंत्र के बिलकुल विरुद्ध है। लिहाजा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे आम जनता के हित में वापस ले लीजिये, यही मेरा सुझाव है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बिल के सम्बन्ध में अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूं। मैं पहले यह बात जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो बीमारी मैनेजमेंन्ट और स्टाफ के दरम्यान है, यह केवल प्राइवेट संस्थाओं में है या गवर्नमेन्ट संस्थाओं में भी इसी प्रकार के झगड़े हर समय होते चले जाते हैं और आज भी हैं। पहले तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि अगर मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच झगड़े के निपटारे में मैनेजमेन्ट के ऊपर शक किया जाता है तो एक तीसरी एजेंसी सरकार अपने विधेयक को पास कर के, कानून बनाकर के ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देती है? जो मैनेजमेंट सरकार के हाथ में है, उस के लिए क्यों तीसरी एजेंसी सरकार सेट अप नहीं करती। क्या गवर्नमेंट समझती है कि उसकी संस्थाओं का जो मैनेजमेंट है वह इस तरह का है कि उस के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता और जो प्राइवेट हैं उस के ऊपर शक किया जा सकता है। इस सरकार के सोचने का जो तरीका है वह अंग्रेजों के समय का तौर तरीका है। मैं इस को बतलाना चाहता हूं। एक जमाने में हमारे भारतवर्ष के बड़े-बड़े नेताओं ने विदेशी सरकार से दरख्वास्त की कि भारत में प्राइमरी कम्पलसरी एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। किन्तु सरकार ने इस से इनकार कर दिया तो उन्होंने परामिसिभ कम्पलसरी एजुकेशन की इजाजत सरकार से ली। लेकिन विदेशी सरकार को कभी यह गवारा नहीं हुआ कि यहां पर कम्पलसरी एजुकशन हो, जब कि इंग्लैण्ड में १८वीं सदी से ही कम्पलसरी प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था थी। मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद सोचने का अंग्रेजियत का तौर तरीका अब भी हमारे इस मुल्क में कायम है बावजूद मुल्क आजाद होने के। इससे हमें बड़ा खेद मालूम होता है।

हमारा कई शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, और वर्षों से सम्बन्ध है, मैं शिक्षा विभाग के कार्यों में रुचि लेता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट अपने इन्स्टीट्यूशन खोलती है किराये के मकान में, कभी इस बात की जांच पड़ताल नहीं होती कि कमरे की लम्बाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और कितनी है, उसमें प्ले-ग्राउन्ड जो होना चाहिये वह है या नहीं और उसकी जो आवश्यक चीजें हैं, वह हैं या नहीं। लेकिन फिर भी सरकार खोल देती है। किन्तु जो जनता अपना सहयोग इस तरफ देकर सरकार के काम में उसका बोझा कम करना चाहती है, उसको डिस्करेज किया जाता है उस को निराश किया जाता है। जब किसी प्राइवेट संस्था को रिकग्नीशन, ग्रान्ट देने की बात आती है तो छान बीन होती है, जो पुराने नियम हैं सारे के सारे सरकार की मेज पर रखे जाते हैं। उस पर एतराज लगाये जाते हैं कि इसके कमरे इतनी इतनी लम्बाई चौड़ाई के नहीं हैं, इस में ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहूं, मुझे गवर्नमेंट संस्थाओं का बहुत ही खराब अनुभव है। मैंने देखा कि एक गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन में १२-१२ १४-१४ अन्ट्रेन्ड अध्यापक भरे पड़े हैं, जिन के बारे में सरकार पूछ तांछ नहीं करती है। ये गवर्नमेंट संस्थाओं में जो खामियां हैं उस की परवाह नहीं, लेकिन जनता जो अपने पैसे से अपने प्रयास से सरकार का बोझ कम करना चाहती है, उसको शुक्रिया अदा करना तो दूर रहा, उसको क्रश करने की कोशिश करती है। यह अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। बिफोर दि ला या बराबरी कैसे हुई? यह सरकार सरकारी इन्स्टीट्यूशन के लिए अलग व्यवहार करती है और जनता के इन्स्टीट्यूशन के लिए अलग व्यवहार करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार मैनेजमेंट पर शक करती है कि वह इन्डिपेंडेंट नहीं हैं और वह इन्साफ नहीं दे सकता तो जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है उस को भी गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन के स्टाफ को इन्साफ देने में हम को शक है। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि मेरे पास सरकारी इन्स्टीट्यूशन के कई प्रिंसिपल और कई मास्टर और मास्टरनियां दारुलशफा का चक्कर काटा करती हैं।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

एक साहब ने २, ३ साल तक प्रिंसिपल के पद पर आफिशियेट किया, लेकिन उनको आज तक प्रिंसिपल की तनख्वाह नहीं मिली है। जिसका फैसला एक सेकिन्ड में हो सकता है उसकी फैसला मिलने में, ४, ६ साल हो गये, और ८ साल तक हो गये हैं। गवनमेंट इन्स्टीट्यूशन का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जितने सरकारी नौकर हैं उनकी सरकार को चिन्ता नहीं है, लेकिन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के लोगों की तकलीफ इनकी खोपड़ी को बहुत तकलीफ दे रही है यह समझ में नहीं आता।

इसलिए मैं चाहता हूं कि कानून में कोई डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए। मैं आप के सामने इन्साफ की बात कहना चाहता हूं। एक इन्स्पेक्ट्रेस साहिबा दौरे पर गईं। वह अपने साथ मेल चपरासी को ले गयीं। उनके कमरे के दूसरे सूट में एक और साहब ठहरे हुये थे तो इन्स्पेक्ट्रेस साहिबा ने उस चपरासी से कहा कि रात को तुम मेरे कमरे में ही सोना, क्योंकि दूसरे कमरे में दूसरे साहब ठहरे हुये हैं। उस ने कहा कि मैं नहीं सो सकता हूं, क्योंकि हमारे लिए यह कानून नहीं है। उन्होंने उस को जबरदस्ती अपने कमरे में सोने के लिए मजबूर किया। जब वह रात को सो गयी, तो चपरासी धीरे से रात को बाहर निकला और बाहर की कुंडी लगाकर चला गया। सवेरे उठने पर जब उन्होंने देखा कि वहां वह नहीं है तो उन्होंने आव देखा न ताव ८ साल की सर्विस वाले उस चपरासी को डिसमिस कर दिया। यह इत्तिला ऊपर भेज दी चूंकि रात को यह मेरे कमरे में नहीं सोया इसलिए इसको डिसमिस कर दिया गया। अगर इस प्रकार के फैसले सरकार की तरफ से किये जाते हैं तो जनता को क्या लाभ मिल सकता है? जिसका एक मिनट में फैसला हो सकता था उसका फैसला उन्होंने कई वर्षों में किया। उससे जवाब तलब नहीं किया गया, लेकिन उस को नौकरी से निकाल दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया विषय पर बोलिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं स्टाफ की बात ही मैनेजमेंट से सम्बन्धित बता रहा हूं। उस से जवाब तलब नहीं किया गया, लेकिन उसको डिसमिस कर दिया गया। मुझे खेद है कि नैनीताल की आबहवा में जाकर उसका फैसला हुआ। उससे जबरदस्ती लिखवा लिया गया कि उसको तनख्वाह नहीं चाहिये, बल्कि नौकरी चाहिये। इससे स्पष्ट पता चलता है कि मैनेजमेंट और स्टाफ के दरमियान जो झगड़े हैं वह सरकारी इन्स्टीट्यूशन में भी हैं और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में भी। बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं कि सरकारी इन्स्टीट्यूशन में और भी भयंकर हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार इस बात में विश्वास रखती है कि यहां की जनता इतनी योग्य है कि वह उत्तर प्रदेश के असेम्बली के लिए अपने नुमाइन्दों का चुनाव सही रूप से करती है और अपनी सरकार बनाने में काबिल है और वह अच्छी तरह से अपने नुमाइन्दों का चुनाव करके भेजती है, तो उनको यह पावर देनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि जब आप उसको योग्य समझते हैं तो उन को आप फैसला देने के लिए पावर क्यों नहीं देना चाहते हैं। वे अपने मस्तिष्क से फैसला देने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं। जनता को आप काबिल समझते हैं चुनाव में वोट देने के लिए और उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसी प्रकार क्यों नहीं इन मामलों का फैसला करने के लिए आप उसे योग्य समझते? इस प्रकार सोचने का जो ढंग है वह फौरेन है, हिन्दुस्तान का नहीं। जो विदेशी हुकूमत थी, उसने अपनी बहुमत बनाये रखने के लिए इस प्रकार की विचारधारा हमको दी थी। वह अंग्रेज आज इस मुल्क से चला गया है इसलिए सोचने के तौर तरीके में बदलाव होना चाहिये।

हमें जनता पर विश्वास करना चाहिये। जनता पर विश्वास न करना जनतंत्र की जड़ों को खोदना है। इसलिये मैं अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि पहले जो व्यवस्था थी वही कुछ अच्छी थी। जो व्यवस्था इसमें रखी गयी है उसे एक चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है

जो हवा का एक झोंका लगते ही समाप्त हो जायगी, चकनाचूर हो जायगी । अगर नई व्यवस्था से सुधार नहीं होता है तो पुरानी व्यवस्था को रहने देना ही ठीक होगा । ऐसी व्यवस्था को तो हम अव्यवस्था कहेंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वकील रहे हैं । हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपुल है—'नो बाडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड'। दुनिया के परदे में किसी को भी कंडम करने का अधिकार नहीं है बिना उसे सुने हुए। इस प्रकार की व्यवस्था में वह जो चाहेंगे फैसला दे देंगे और उसके खिलाफ कोई रेमिडी नहीं रहेगी । ऐसा करने से सिवाय इसके कि वह आत्म-घात करले और कोई चारा उसके पास नहीं रहेगा । ही हैज नो च्वायस एक्सेप्ट टु कमिट सुसाइड हिम यू सेल्फ। माननीय राममूर्ति जी बड़े विद्वान हैं, एम० ए०, एल० एल० बी० हैं । उन को तो खुद समझना चाहिये इस बात को । अगर किसी के दिमाग की परिधि के परे हो कोई बात तो उसे मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन ट्रेनिंग से, शिक्षा से हमारे दिमाग की परिधि विस्तृत की जाती है और विस्तृत दिमाग होते हुये भी हम इस बातको न सोचें जिसे सोचना चाहिये, इसके लिये मैं आप को दोषी मानता हूं । इसलिये जो मौजूदा व्यवस्था सुधार करने के लिये रखी जा रही है इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है । परिस्थिति इस से खराब होगी ही और मैं अंत में बतलाना चाहता हूं कि इस से हम जनता के ऊपर, उसमें उसका अपने और अपनी सरकार के प्रति विश्वास कम करेंगे और उसे अपने दायित्व को सम्पादन करने में, निर्वहन करने में कमजोर बनायेंगे, उसकी शक्ति में अविश्वास उत्पन्न करेंगे । मैं उसे बता सकता हूं जो कानून समझता हो, लेकिन जो नहीं समझता उसे जो समझाये उससे बड़ा नालायक कोई नहीं । इसलिये मैं अपने को नालायकों की श्रेणी में नहीं ले जाना चाहता, इसलिये अपना और सदन का समय जाया नहीं करूंगा। अगर हम अपनी गलती को देर में भी महसूस करें, तो भी "देर आयद दुरुस्त आयद"। लेकिन गलती करने के बाद उसी पर अड़े रहना जबरदस्ती इसको मैं अकलमन्दी नहीं समझता। हमारी सरकार की बेहतरी इसी में है कि फिर से इस पर देखभाल हो कि इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। जिसका पलड़ा भारी हो उसको ध्यान में रखकर आगे अमल करने की जरूरत है । इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

यह उत्तर प्रदेश इंटरमीडियेट संशोधन विधेयक जो एक अध्यादेश द्वारा आया और सदन में उस पर विचार हो रहा है। यह सही है कि बहुत छोटा विधेयक है परन्तु जनता की मंशा का हनन हो रहा है यानी वह समिति जिसमें कि शिक्षा संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स, मैनेजर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्स और सरकार का एक नुमाइंदा रहता था, जैसा कि हमारे संविधान में व्यवस्था है और पंचायत राज का दृष्टिकोण भी था, अब केवल इस विधेयक द्वारा जनता के दो रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा कर सीधा एक शासक अधिकारी के हाथ में सारी शक्ति दी जा रही है । यही मुख्य उद्देश्य है।

प्रश्न यह है कि आर्डिनेन्स जो जारी किया गया है क्या यह आर्डिनेन्स हमारे उन सिद्धान्तों को जो जनतंत्र में निहित हैं, यह उस पर आघात करता है या उनको शक्ति देता है ? जब हम आर्डिनेंस द्वारा जनता की शक्ति को छीन कर एक आदमी में निहित करते हैं तो विकेन्द्रीयकरण की नीति नहीं है बल्कि उसको केन्द्रीयकरण की नीति कह सकते हैं और मैं समझता हूं कि यह हमारे जनतांत्रिक सिद्धान्तों के विपरीत है। यह सरकार अगर साहसपूर्वक यह संशोधन करना चाहती है तो उसको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार प्रजातांत्रिक तरीकों से हट कर डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है । अब तक जो भी कार्य सरकार ने किये हैं उसको देखते हुये ऐसा लगता है कि यह सरकार डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है । उसके कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं । अभी नगरपालिकाओं को भंग करके उनके शासन को अपने हाथ में लेना, प्रत्येक जिले की औद्योगिक समितियां थीं जिनमें एम० एल० ए० भी रहते थे उनको समाप्त कर सारे अधिकार जिलाधीश को दे देना, तथा पंचायतों के चुनाव आदि की जो पद्धति अख्तियार की है वह सब इस बात का द्योतक है कि सरकार डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है, उसका प्रजातंत्र में विश्वास उठता जा रहा है । पहले सरपंच के चुनाव की जो पद्धति थी उसको भी सरकार ने बदल दिया । इसलिये इस बिल को प्रजातांत्रिक बिल नहीं कहा जा सकता ।

[श्री रामप्रकाश कनौजिया]

मान्यवर, यह कहा गया कि सदस्यों की उपस्थिति नहीं होती थी, मुकदमों का निर्णय देर में होता था, इसलिये इस पद्धति को बदलना पड़ा। जो दलील सरकार ने दी है अगर वह सही है और उसको मान लिया जाय तब तो सरकार को चाहिये कि वह इन पंचायतों आदि को भी भंग कर दे और सारे अधिकार ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० आदि को ही दे दें। एक ओर आप उनको प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, दूसरी ओर उनके अधिकारों को भी छीनते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार आज ऐसे चौराहे पर पहुंच गयी है जहां पहुंच कर उसके हाथ पैर डगमगा रहे हैं और जिस घोड़े पर वह सवार होकर चलना चाहती है वह घोड़ा इतना ताकतवर हो गया है कि सरकार को गिराने की कोशिश करके भाग जाना चाहता है।

शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों को जो आप अधिकार देने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके यहां कितनी गड़बड़ी है। मैं बहराइच के बारे में कहना चाहता हूं। जितने भी वहां गैर सरकारी स्कूल चल रहे हैं वहां के शुल्क की पूर्ति के बिल सन् ६३–६४, ६४–६५ तथा ६५–६६ के आज तक भुगतान के लिये पड़े हुये हैं और इतनी लापरवाही से काम हो रहा है जिसको कहा नहीं जा सकता। हायर सेकेन्डरी स्कूलों में जहां कृषि योग्य भूमि होती है तो उस स्कूल के लिये बोर्ड या डायरेक्टर की स्वीकृति से एक एक्सटेन्शन टीचर मिल जाता है। फखरपुर हायर सेकेन्डरी स्कूल को कृषि अध्यापक के लिये एक साल हुआ इन्स्पेक्टर आफ स्कूल ने डिप्टी डायरेक्टर को पत्रादि भेजा था परन्तु आज तक उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं आया। ऐसे कार्य के परिणाम से जिससे जनतान्त्रिक प्रणाली को आघात पहुंचे उस कानून को बनाना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिये मैं अवश्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल में बहुत कुछ विचार करने की आवश्यकता है। अतः इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। अगर आपको शिक्षा का स्तर जैसा कि गिरा हुआ है, ऊंचे उठाना है जो मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ उस पर विचार करना चाहिये। वह इन्टरमीडियेट कालेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के बीच का मसला है, जिसमें हमेशा झगड़ा लगा रहता है। सन् ५४ से पहिले प्रिन्सिपल, गवर्नमेन्ट कालेजेज के, इन्टरमीडियेट स्कूल्स और उनके प्रोफेसर्स जो क्वालिफिकेशन में भी ज्यादा होते हैं, योग्यता में भी ज्यादा होते हैं। पहिले उनका सम्बन्ध डि० डायरेक्टर से था। अब इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स से कर दिया। गया सब इन्स्पेक्टर आव स्कूल्स का प्रामोशन डिप्टी डायरेक्टर की जगह प्रिन्सिपल, गवर्नमेन्ट स्कूल का न होना अन्याय है। मैं समझता हूं कि ऐक्ट में संशोधन करके कालेज के प्रिन्सिपल के प्रोमोशन की व्यवस्था की जाय। सब डिप्टी इन्सपेक्टर आव स्कूल्स जब वह इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पद पर होता है तो निश्चय ही उसका सम्पर्क छोटे-छोटे स्कूल्स से होता है। इसलिये उनकी जो आदतें उस समय की पड़ी रहती हैं वे डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स होने पर प्रिन्सिपल गवर्नमेन्ट स्कूल्स से मेल नहीं खातीं, उनमें आपस में कोई सहयोग नहीं होता है जिसकी वजह से आपसी होड़ लगी रहती है। मैं समझता हूं कि शिक्षा का उत्थान कालेजेज और इन्टरमीडियेट स्कूल्स में तभी हो सकता है जब कालेजेज के प्रोफेसर्स और प्रिन्सिपल्स को उनकी योग्यता के अनुसार प्रोमोशन डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन के पद पर दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट या डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को डिप्टी डायरेक्टर के पद पर करना ठीक नहीं है। यह भी बहुत विचारणीय प्रश्न है जो पहिले से था। इतना कहकर मैं आपसे आशा करूंगा कि प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लें।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो छोटा विधेयक था। मेरा विचार इस पर बोलने का नहीं था। मैं इस सदन में इस बात का समर्थक रहा हूं कि किसी प्राजातान्त्रिक संस्था के अधिकार लेकर सरकारी कर्मचारी को न दिये जायं। मैं प्रायः इस पर बोला भी हूं और इस पर संशोधन भी रक्खे हैं। परन्तु इस विधेयक के विषय में सरकार यह जो कदम उठा रही है इसके विषय में मुझे जानकारी है और इस संबंध में क्या परिस्थितियां हैं यह मैं जानता हूं इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। और जो प्रस्ताव आया इसमें संशोधन का, उसका विरोध करता हूं।

वस्तुस्थिति यह है कि सदन ने जब वह अधिनियम बनाया था तो उसमें प्राविधान किया था कि रीजनल अपीलेट कमेटी होगी, वह अपीलों को सुनेगी और वह सुनती रही। मैं भी उसका मेम्बर रहा हूं। बहुत से केसेज में बैठा हूं। अब कुछ वजूहात से कुछ कारण हुए जिनके बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रदेशीय मैनेजर्स असोसियेशन ने यह निर्णय कर लिया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। उस कमेटी के तीन सदस्य थे—टीचर्स एसोसियेशन, का एक नुमाइन्दा, मैनेजर्स एसोसियेशन का एक नुमाइन्दा और रीजनल डिप्टी डायरेक्टर। मैनेजर्स एसोसियेशन ने किसी कारण से यह निश्चय कर दिया कि उसमें वे भाग नहीं लेंगे। यह निर्णय क्यों लिया, यह दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने यह निर्णय ले लिया और मेरे पास भी उनकी चिट्ठी आई और मैंने भी जाना बन्द कर दिया। उन्होंने मेरी जगह दूसरा सदस्य चुन लिया। इसलिये वहां बहुत सी अपीलें पड़ी हुई हैं। जब कोई मैनेजमेन्ट किसी अध्यापक के विरुद्ध कुछ करता है तो वह मामला इंस्पेक्टर के पास जाता है। उसकी अपील इस कमेटी के सामने होती थी। अब इसमें जो तीन सदस्य थे उनमें से अगर एक भी न होता तो कैसे काम चल सकता था। इसमें कोई अधिकार छीनने की बात नहीं है। अब भी मैनेजर्स अगर इसमें आना स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार कर लेंगे। जो सरकार ने कदम उठाया है, मैनजर लोग भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो भी यहां विरोध हो रहा है वह न जानकारी की वजह से है। मैनेजर्स ने क्यों ऐसा निश्चय किया, उनकी मांगें क्या थीं, यह अलग बात है। इस समय उस पर विचार नहीं हो रहा है। मैं मैनेजर्स की मांग को ९० प्रतिशत सही मानता हूं, लेकिन मैं भी इस तरमीम से सहमत हूं। इससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता। इसलिये प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं भी इस छोटे से विधेयक पर बोलने की इच्छा नहीं रखता था लेकिन माननीय जगदीश प्रसाद जी ने क्योंकि मेरा नाम लिया इसलिये मैंने भी उचित समझा कि मैं भी अपने विचार प्रकट करूं। प्रवर समिति में भेजे जाने का जो प्रस्ताव माननीय बसन्त सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह सही है कि इस संशोधन विधेयक में केवल एक वाक्य है, लेकिन इस पर गौर करना होगा कि इसका असर जन जीवन पर और हमारी मान्यताओं पर क्या पड़ता है। मैं हैरत में पड़ जाता हूं जब यह देखता हूं कि हमारे वे साथी जो जनतांत्रिक विश्वासों को मान्यता देते हैं, इस प्रकार का विधेयक इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो अब तक एक विकेन्द्रित व्यवस्था झगड़ों को निबटारे की थी, उसको खत्म करने के लिये यह विधेयक लाया गया है और उसके द्वारा सरकारीकरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जैसा कि माननीय कनौजिया जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर नौकरशाही को मजबूत किया जा रहा है। इस बात को कांग्रेस पक्ष के माननीय साथी भी बार बार कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही शासन पर हावी है। मैं भी कष्ट के साथ यह अनुभव करता हूं कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही का राज्य चल रहा है और जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है कि शासन को जिस तरफ चाहें मोड़ दे सकते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि कौन सी ऐसी कठिनाई उपस्थित हुई कि मैनेजर एसोसियेशन ने बहिष्कार किया और निर्णय किया कि उनके प्रतिनिधि कमेटियों की बैठक में भाग नहीं लेंगे। आपके सूबे में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो सज्जन हैं, उनकी यह मैनेजर्स एसोसियेशन एक संस्था है जिसको सरकार ने मान्यता प्रदान की है और सरकार ने उसको अधिकार दिया है कि वह कमेटी में अपने सदस्यों को भेजे। ऐसी जिम्मेदार संस्था ने जिसको कि सरकार ने मान्यता प्रदान की है, उसने क्यों यह निर्णय किया कि वह अपने आदमी वहां नहीं भेजेंगे? आपने कभी यह जानने की कोशिश की? मैनेजर्स एसोसियेशन का जो प्रस्ताव शासन के सामने आया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि उनकी यह शिकायत है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

मैनेजर एसोसियेशन की बातें अनसुनी की जा रही हैं और शिक्षा विभाग द्वारा बराबर उस एसोसियेशन की उपेक्षा हो रही है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या पिछले ८-९ मास में यह उचित नहीं था कि उनके पदाधिकारियों को बुलाया जाता, उनकी बात सुनी जाती और उसको समझने की कोशिश की जाती और उनको समझाने की कोशिश होती कि कैसे उनकी शिकायतें रफा की जा सकती हैं। आप मानते हैं कि इस प्रदेश में जो शिक्षा की प्रगति हुई है उसका श्रेय ८० प्रतिशत प्राइवेट मैनेजमेन्ट को ही है, जो यहां शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है उसका अधिकांश श्रेय प्राइवेट मैनेजमेन्ट को ही है। ऐसे लोग जो आपकी शिक्षा की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं उनको बुलाकर बात करने में शासन की कौन सी हेटी होती थी? शासन ने कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे शिकायत है कि शिक्षा विभाग राजनीति का अड्डा हो गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह संशोधन विधेयक लाया गया है उससे बहुत बड़ा अनर्थ होगा और पिछले सालों में जो कुछ संशोधन इस अधिनियम में हुए हैं उनका ही यह दुष्परिणाम है कि सूबे की शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता फैली है। आपका ऐक्ट कहता है कि अगर कोई टीचर मैनेजर के दस जूते लगा दे तो मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, उसको ससपेंशन का अधिकार नहीं है। किस तरह से काम चल सकता है? आये दिन हम देखते हैं कि प्राइवेट संस्थाओं के मास्टर मैनेजरों की बात नहीं सुनते। हमारे यहां एक डी० ए० वी० स्कूल है बिलथरा रोड में वहां कमेटी का चुनाव हुआ और वहां वह बहुमत में थी, लेकिन जब उनके ऊपर अभियोग लगा, कुछ पैसों की गड़बड़ी का चार्ज लगा तो उन्होंने जो मैनेजर थे रातोरात बनारस के डिप्टी डायरेक्टर श्री शर्मा के निर्देशन में एक फर्जी कमेटी का निर्माण किया। वह प्रिंसिपल जो खुद इस कमेटी की मातहती में काम करता था लेकिन जब ढाई साल के बाद आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि यह कमेटी नहीं दूसरी कमेटी है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि माननीय राममूर्ति जी जांच करा लें सी० आई० डी० से कि इस सारे झगड़े में श्री शर्मा डिप्टी डायरेक्टर, का हाथ रहा है या नहीं रहा है। उन्होंने स्वयं मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस्तीफा लिख दो। कलेक्टर साहब के यहां मीटिंग हुयी। उन्होंने भी कहा कि इस्तीफा लिख दो। मैं भी संयोगवश वहां पहुंच गया और पंडित जी से पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेन्ट के लोगों ने यह गड़बड़ी की है। वहां पर कहा गया कि प्रिंसिपल की जो शिकायत है और जो मैनेजर की एक दूसरे के प्रति शिकायत है, दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाय, वे छानबीन करके कि कौन बेईमान है, उस पर मुकदमा चलायें। हमारे जिलाधीश ने भी कहा कि केस को रजिस्टर कर देते हैं और तब बाकायदा कार्यवाही हो जायगी। तब डिप्टी डायरेक्टर वहां से भाग गये। इस अध्यादेश के जारी होते ही वे प्रिंसिपल बरखास्त हो गये थे। मुझे किसी ने बतलाया है कि कल डिप्टी डायरेक्टर साहब ने इस आर्डिनेन्स का सबसे पहला लाभ यह उठाया है कि प्रिन्सिपल को रिइंस्टेट कर दिया है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिर गलती किस की है। मैनेजमेन्ट भी कुछ खराब हो सकते हैं और डिप्टी डायरेक्टर्स भी खराब हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से डिप्टी डायरेक्टर घूसखोर हो सकते हैं। पार्टी बाजी करने वाले हो सकते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे डिप्टी डायरेक्टर के हाथ में पावर दे दी जाय और क्या वह न्याय कर सकता है?

इसमें आपने यह भी नहीं रखा कि डिप्टी डायरेक्टर के निर्णय के विरुद्ध कोई सरकार के यहां या डायरेक्टर महोदय के यहां अपील भी कर सके। न्यायालय पहुंचने की आपने बन्दिश लगा दी है, गवर्नमेन्ट के यहां कोई अपील कर नहीं सकता है तो आपने इसमें कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आपने मन मानी घर जानी कर रखी है। यदि आपकी यह मंशा है तो इसे आप पास कर लें, सदन में आपका बहुमत है, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इससे शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरेगा ही। इससे शिक्षा की कोई प्रगति

नहीं हो सकती है। आपकी ओर से २-२ बार इन्टरमीडिएट एजूकेशन विधेयक में संशोधन बिल आये हैं। एक बार तो आपस की पार्टी बाजी की वजह से रखा गया था। यहां पर माननीय आचार्य जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसमें एमेंडमेन्ट करने वाले हैं। मौजूदा शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम इस विधेयक में एमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इससे आप डिप्टी डायरेक्टर को रिजन भर के अख्तियार देने जा रहे हैं। इससे शिक्षा का बहुत बड़ा अहित होने जा रहा हैं। यदि आप समझते हैं कि अध्यापकों और मैनेजमेन्ट को लड़ाकर कोई राजनीतिक लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो यह गलत है। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शिक्षा का स्तर गिरेगा। पिछले ८-१० सालों में आपने इस प्रदेश के अन्दर शिक्षकों और मैनेजमेन्ट को लड़ाने का सफल प्रयत्न किया है। क्या यह कोई मिल मालिक और मजदूरों का झगड़ा हो गया है? जिस शिक्षण संस्था में अध्यापकों को सुरक्षा न मिले, उनको वेतन न मिले तो वह शिक्षण संस्था रहकर भी न रहने के बराबर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री में बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट में मजदूरों को बैठाने की कोशिश की है?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

हर जगह मैनेजिंग कमेटी बनी हुई है। उनसे हम सहयोग लेते हैं। उनकी तुलना क्या आप टीचर्स से करना चाहते हैं?

श्री मैनेजरसिंह—

मैं जानता हूं कि जिन विद्यालयों ने आपकी प्रशासन योजना के अनुसार कमेटियां बना ली हैं उनमें भी अध्यापक बैठ कर के शून्य के बराबर हैं। कोई उनकी आवाज नहीं है। आप ऐसे नियम बनाइये जिनसे उनकी सेवा की सुरक्षा हो जाय, उनको उचित वेतन मिले, सुविधा मिले। इधर आप का ध्यान नहीं जायगा और आप चाहते हैं कि लोग बराबर आपस में लड़ते रहें। अध्यापक का ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ देंतो इसमें आप को सफलता मिली है। लेकिन इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा। तो मेरा जो सबसे बड़ा विरोध है इस संशोधन विधेयक में वह यह है कि आपने डिप्टी डाइरक्टर को अधिकार दिया है। यदि कोई डिप्टी डायरेक्टर बेईमान है तो वह बेईमानी से निर्णय करेगा। अगर कोई घूसखोर है तो घूस खोरी करेगा। मैं चार्ज करना चाहता हूं आपके शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, मैं कहना चाहता हूं कि आपके हेडक्वार्टर पर, मैं नाम लेकर कहता हूं कि श्री लारी डिप्टी डायरेक्टर इलाहाबाद में है उनके यहां रिश्वत चलती हैं, उनके यहां पार्टी बाजी होती है अनुदान लेने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नाम न लीजिये किसी का, क्यों कि वह अपने को डिफेन्ड नहीं कर सकता।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं नाम इसलिये लेना चाहता हूं कि जो ईमानदार हैं वे भी उसी में न आ जायं। अभी आपने ग्रान्ट के सिलसिले में सोचा कि डिप्टी डायरेक्टर को अधिकार दिया जाय कि वह ५ हजार रुपये तक की ग्रान्ट बांटें। मैं कहता हूं कि पिछले साल की वाराणसी रीजन की लिस्ट मंगा लें, एक एक विद्यालय को जिसकी छात्र संख्या भी पर्याप्त नहीं है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, प्रबन्ध भी अच्छा नहीं है, जहां ८, १२ महीने का अध्यापकों को वेतन बाकी है, उनको फरनीचर में तीन तीन ग्रान्ट मिल गई। फरनीचर ग्रान्ट में तीन स्कीमें हैं तो यदि तीन संस्थाओं को आप दे दें तो तीन को लाभ पहुंचे। लेकिन एक ही संस्था को आप तीन ग्रान्ट देते हैं। जहां प्ले ग्राउन्ड नहीं है वहां खेलने की ग्रान्ट देते हैं। वाराणसी के डिप्टी डायरेक्टर को मैं बेईमान नहीं समझता, लेकिन पहले दर्जे का पार्टीबाज समझता हूं। ऐसे ही जहां बेईमान डिप्टी डायरेक्टर हैं वे बेईमानी से ग्रान्ट देते

[श्री मैनेजरसिंह]

हैं। इसलिये मैं इसका विरोधी हूं कि एक व्यक्ति को एक अधिकारी विशेष को आप यह अधिकार देते हैं, यह गलत है। आप कम से कम उसकी अपील डायरेक्टर को या गवर्नमेन्ट में करने का अधिकार भी देते तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती। क्योंकि अगर एक अवरोध पैदा हुआ था और उसका हल ढूढते हैं तो बेहतर हल ढूढ़िये। ऐसा हल न ढूढिये कि सत्यानाश ही कर दे। इन सारे मामलों में तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे शिकायत है कि शिक्षा विभाग ने और शासन ने मैनेजर एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं की। उनकी जो शिकायतें थीं, उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश नहीं की, उनको उन्होंने राजी करने की कोशिश नहीं की। बल्कि एक ऐसा डिक्टेटोरियल ऐटीट्यूड लिया है, वह चाहते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर को सर्वे सर्वा बना दें और उनके द्वारा ही सारा नियंत्रण करावें। तो मैं नहीं चाहता कि शिक्षक संघ और मैनेजर संघ के प्रतिनिधि बैठें और फैसला करें। क्या यह उचित नहीं होगा यदि कोई मैनेजमेन्ट कोई निर्णय करता है तो आप उसको भेज दें दिवानी में। आप कहेंगे कि वहां काफी समय लगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डिप्टी डायरेक्टर के यहां एक डेढ़ दो साल का समय नहीं लगेगा? मैं भी रीजनल कमेटी का सदस्य रहा हूं। हमारे यहां बनारस में मुझे मालूम है कि एक मामले में डिप्टी डायरेक्टर चेयरमैन थे, डिप्टी डायरेक्टर एक पक्ष को गलत मदद करना चाहता था। जब उनको सफलता नहीं मिली तो डेढ़ साल तक उस मामले को लटकाये रहे। डेढ़ साल के बाद जब मैं नहीं रहा तब फिर उन्होंने उस मामले में अपनी मनमानी करा ली। तो कहीं-कहीं डिप्टी डायरेक्टर की वजह से भी देर लगी है। तो आप उसकी अवधि निश्चित करें और आपको यह व्यवस्था करनी चाहिये कि दीवानी से इसका फैसला हो जाय। या कोई रिटायर्ड जज हो उसी के जिम्मे कर दीजिये। आप ऐसा बोर्ड बनायें रीजन में जिसमें किसी रिटायर्ड जज को नामीनेट कर दें तो हमको कोई एतराज नहीं। जज स्तर का रिटायर्ड अधिकारी कर दें, उसका फैसला हमको मान्य होगा। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे जो विधेयक में है तो यह बहुत गलत होगा। यदि आप इसको पास ही कराना चाहते हैं तो आप का बहुमत है। मुझे इसलिये और शिकायत है कि यह विधेयक हमारे सामुदायिक विकास मंत्री, पंचायती राज के मंत्री इसको पायलट कर रहे हैं, जो पंचायत राज की भावनाओं पर कुठाराघात कर रहा है। यदि आपको मुसीबतें हैं और परेशानियां हैं और आप इसको प्रवर समिति में भेजने में असमर्थ हैं तो खुदा के नाम पर आप इतना अवश्य करें कि डिप्टी डायरेक्टर के फैसले की अपील डायरेक्टर के यहां हो और अन्तिम गवर्नमेन्ट के यहां हो वर्ना इससे बड़ा नुकसान होगा।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं जो उसने सेक्शन १६ जी में अमेन्डमेन्ट किया है।

श्री मुहम्मदहुसैन (जिला बरेली)—

व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं ५ दफा आपके सामने उठा और मुझे ५ मिनट के लिये भी मौका नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जब से आया हूं तब से ग्राइस साहब बराबर खड़े हो रहे हैं, इसलिये मैंने उनको मौका दिया।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ५८ के संशोधन को वेस्ट पेपर बास्केट में वह फेंक दें। पहले स्कूलों में केवल विद्यार्थियों में इंडिसिप्लिन था लेकिन अब वह टीचर्स में भी हो गया

है क्योंकि ५८ के अमेंडमेन्ट के बाद टीचर्स को न आप निकाल सकते हैं और न उनका वेतन काट सकते हैं। उनको वतन मिलगा ही चाह कुछ भी हो जाय। बहुत खुशी की बात है कि अब उनकी अपीलेट कमेटी फंक्शन नहीं करेगी और सरकार को उसके लिये आर्डिनेन्स लाना पड़ा और डिप्टी डायरेक्टर के पास उसका अधिकार रहेगा। जब से यह ५८ के बाद अपिलेट कमेटी बनी थी तब से यह एक हेडेक हो गयी थी। मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि पूरा सेक्शन ५८ रिपील कर दिया जाय। मेरा सम्पर्क ३०० क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के साथ है। क्या होता था और क्या हो रहा है? मालवीय जी तथा दूसरे एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के लोग जानते हैं कि कितनी दफा मुझे उनके पास दौड़ना पड़ता था कि यह करा दो, वह करा दो, यह तकलीफ है, वह तकलीफ है। मेरी सरकार से अपील है कि स्कूलों के साथ पोलिटिक्स करना कहां तक उचित होगा? स्कूलों के साथ पोलिटिक्स मत खेलिये। हमारे बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं वे तो इंडिसिप्लिंड ही निकलेंगे और अब शायद ग्रान्ड चिल्डरन डिसिप्लिंड हो जायं। ५८ के अमेन्डमेन्ट की वजह से शिक्षा में इतना अनर्थ हो गया है जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेन्ट बिल के लिये मुबारकबाद देता हूं।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इसको मानता हूं कि सरकार के सामने दिक्कत पेश आ गई थी और मैनेजमेन्ट ने कोआपरेट नहीं किया था इसलिये जो मामले पड़े हुए थे, वे कैसे तय होते। लेकिन सारी ताकत को अपने हाथ में लेने की बात मेरी समझ में नहीं आती। गवर्नर के ऐड्रेस पर कहा गया था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स को डेवलप किया जाय। लेकिन कहां डेवलप किया गया? इसी बात की मुझे सबसे बड़ी शिकायत है। डिप्टी डायरेक्टर को पावर दी गई है तो उसके ऊपर गवर्नमेन्ट का प्रेशर पड़ेगा और जैसा गवर्नमेन्ट चाहेगी वैसा उससे वह करायेगी।

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

इसके सबूत में मैं एक मिसाल देता हूं। १९५२–५७ में मैंने एक सवाल उठाया था और उसकी वजह से वह चीज मेरे दिमाग में ताजी है। इसलिये मुझे सरकार की ईमानदारी पर शुबहा है। एक लड़का क्रिश्चियन कालेज में फेल हुआ था। उसको पास कराया गया। उसके ट्रांसफर सर्टीफिकट में साफ लिखा हुआ है कि यह लड़का नियमों के मुताबिक फेल है, लेकिन डाइरेक्टर के पत्र के अनुसार इसको प्रोमोशन दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की ईमानदारी का यह नमूना है ऐसी हालत में मैं सरकार के ऐसे आदमी को ताकत देने के खिलाफ हूं जिस पर सरकार प्रेशर डालकर अपने पोलिटीकल एम्स को हल कर सके। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अगर सरकार के सामने मजबूरी थी तो उसके ५० तरीके हो सकते थे। आप इस हाउस के ५ मेम्बरों की एक कमेटी बना देते या कौंसिल के भी किसी मेम्बर को उसमें शामिल कर लेते। अगर फिर उस कमेटी से कोई गलत काम होता तो वह डेमोक्रेटिक ढांचा रहता और वह अथोरिटेटिव वे में होता।

श्री मुहम्मद हुसैन—

अधिष्ठाता महोदय, मैं संशोधन विधेयक के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने सभी माननीय सदस्यों की बातों को बड़े ध्यान से सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है और सरकार की नीयत पर हमला करने की कोई बात नहीं है। इसमें जो अध्यापकों को जो कठिनाइयां हो सकती हैं, जिसका जिक्र धारा १० में है जैसे उनका प्रोमोशन टर्मिनेशन आफ सर्विस, स्केल आफ पे, प्रावीडेन्ट फन्ड है, उनके निर्णय के लिये कोई तरीका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद हुसैन]

होना चाहिये जिससे जल्दी निर्णय हो सके और जल्दी इंसाफ मिल सके। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात दूर की गई है। जितनी जल्दी फैसला किया जायेगा उतना ही इंसाफ होगा और जितनी देर की जायेगी उतनी ही नाइंसाफी होगी। इस नीयत से देखा जाये तो सरकार का कदम ठीक है। प्रजातंत्र के विरुद्ध कोई बात नहीं हो रही है। हकीकत में देखा जाये तो बात यह है कि बहुत से मामले इकट्ठे हो गये थे, अध्यापकों के वर्षों से प्रोमोशन रुके हुए थे और उनकी परेशानी हल नहीं हो रही थी उसी के लिये यह कदम उठाया गया है। अध्यापकों के लिये यह अच्छी चीज है, इसका विरोध नहीं होना चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता जी, जो संशोधन विधेयक सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसके संबंध में दोनों पक्षों से काफी बातें कही गयीं। यदि विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से इसको देखा जाय, जैसा लोग कह रहे हैं कि सरकार ने विकेन्द्रीकरण किया था और अपीलों को सुनने के लिये कमेटी का निर्माण किया था जिसमें मैनेजमेन्ट के प्रतिनिधि, टीचर्स के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि थे, उसके दृष्टिकोण से तो कहा जा सकता है कि सरकार ऐसा कदम उठा रही है जिसमें नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखा जाय। इसमें टीचरों का बहुत बड़ा हित है। उनकी सैलरी, नौकरी, ग्रेड, सीनियारिटी के सवालों की दृष्टि से जिसका फैसला जल्दी हो जाय तो यह संशोधन विधेयक उससे कई कदम आगे ले जाता है और टीचरों का बहुत बड़ा हित इस विधेयक से होता है। टीचर्स एसोसिएशन इस बात की मांग करती रही है कि सरकार प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले। मैनेजमेन्ट उनके साथ बहुत अत्याचार और अन्याय करता है। सरकार उस कदम को उठाने के लिये तैयार नहीं है। प्रदेश की बहुत सी प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में टीचरों को १२० रुपया दिया जाता है और २०० रुपये पर दस्तखत करवाये जाते हैं। सारा खर्च सरकार देती है तो क्या वजह है कि सरकार प्राइवेट संस्थाओं को अपने हाथ में नहीं लेती? इस वक्त अपीलों की बहुत बड़ी तादाद बढ़ गयी है यह टीचरों से संबंधित है। सरकार का कदम बहुत ठीक है। उनके साथ जल्दी से जल्दी न्याय होगा। जिन टीचर्स से संबंधित मामले हैं उनको न्याय मिलेगा, मैनेजमेन्ट का अधिकार खत्म करके सरकार ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। यह टीचरों की सबसे बड़ी विजय है और उनके साथ न्याय है। मैं तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं सूचना दे दूं कि मैनेजर्स एसोसिएशन ने यह रेजूल्यूशन किया है कि गवर्नमेन्ट चाहे तो सारी संस्थाओं को ले ले।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन को गौर से पढ़ने पर यह मालूम होता है कि माननीय रामनूर्ति जी जो शिक्षा विभाग को इस संकटकाल में संभाले हुए हैं वह अपना खुद अस्तित्व खत्म करने जा रहे हैं। माननीय ऊदल और दूसरे लोगों की अगर दलील मान ली जाय कि डिप्टी डाइरेक्टर महोदय, ही अध्यापकों के एक मात्र संरक्षक हैं और जल्दी न्याय कर देंगे तो ४३१ सदस्यों के इस हाउस को बुलाने में कितना समय लगता है। कितना जन-धन बर्बाद होता है, वह भी अनावश्यक ही माना जाये और केवल एक डिक्टेटर मुख्य सचिव से ही शासन चलाया जाय। यहां इतने मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट है, वहां भी बहुत से मिनिस्टर्स हैं, आप किसी को डिक्टेटर बना दीजिए और नौकरशाही की तरफ से यहां मुख्य सचिव हैं ही, वे सब काम कर लेंगे। क्या जरूरत है इतने बड़े हाउस को बुलाने की और इतना पैसा खर्च

करने की ? लगता है कि आप जनतंत्र को नौकरशाही के कब्जे में देना चाहते हैं, आप अपनी कमजोरी उनको दिखलाते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल करने में अपनी अक्षमता को दिखलाते हैं। आप उनको लायक और अपने को नालायक समझते हैं।

जहां तक जस्टिस की बात है, शिकायत यह है कि मैनेजमेंट अध्यापकों के साथ न्याय नहीं करता है, तो जस्टिस का प्रिंसपुल यह है कि मुलजिम को भी सुनने का हक हो। अगर उसकी सुनवाई का प्रोविजन नहीं दिया गया होता तो गलती होती। जो रीजनल कमेटी बनायी गयी उसमें जब एक मैनेजमेंट का प्रतिनिधि, एक माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि जो अध्यापकों के हित का नुमाइन्दा था और उसमें डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद हैं तो इनको हटा कर और केवल डिप्टी डायरेस्क्टर को ही सभी अधिकार देकर फिर दूसरा प्रबंध करने की क्या जरूरत थी, मेरी समझ में नहीं आता ?

माननीय ऊदल जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उन्होंने जब इस विधेयक के समर्थन में यह बात कही तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तीन दिन तक अभी यहां बहस हुई कि यहां भ्रष्टाचार है, यह सरकार ऐसी है, वैसी है, जहां तक स्कूलों के राष्ट्रीयकरण का सवाल है, आप राष्ट्रीयकरण कर दें, सारे मैनेजर्स इसके लिए तैयार हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात है तो सब जगह भ्रष्टाचार है, न नौकरशाही ईमानदार है और न आपमें ही ईमानदारी है। जैसा कि माननीय काशीनाथ जी ने यूनिवर्सिटी के लिए कहा कि वहां कबाड़खाना है, युनिवर्सिटी रूपी फैक्ट्री में भी इनएफिशिएंसी है, सब जगह गड़बड़ सड़बड़ है। जब वहां पर आपका कंट्रोल नहीं है तो दूसरे की ईमानदारी पर भी शक न कीजिए। मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक अनडेमोक्रेटिक है, अप्रजातांत्रिक है, इसको नहीं लाना चाहिए था। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इसको वापस ले लें क्योंकि जनतांत्रिक आधार पर यह आघात करने वाला है।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जी, इस विधेयक पर मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अबकी विधान सभा जब से चली है तब से मैं देख रहा हूं बड़ा अफसोस है कि यह सरकार जा कहां रही है। यह सरकार अब कर क्या रही है ? और विशेषकर माननीय मंत्री जी राममूर्ति जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या यह हो रहा है ? हमारा सपना क्या था, हमारा दावा क्या था और क्या हो रहा है। एक तरफ हम डींग मारते हैं पंचायतराज की, एक तरफ हम डींग मारते हैं जनतंत्र की और जो यह आज विधेयक है वह इन सब के सर्वथा विपरीत है। इसका उद्देश्य मैंने पढ़ा है, इसमें लिखा है, "यू० पी० इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा १६—जी (३) के अधीन संभागीय अपीलीय समितियों में, जिन्हें अध्यापकों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधकों के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार था, संभागीय शिक्षा उपनिदेशक और यू० पी० स्कूल मैनेजर्स एसोसियेशन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमक शिक्षक संघ के प्रनितिधि होते थे" अब वह प्रतिनिधि हटाकर, प्रतिनिधि तो हटा दिए जाएं और उप शिक्षा निदेशक को सारे फैसले का अधिकार दे दिए जाए। तो फिर यह सब न्यायालय तोड़ दिए जाएं और न्यायालय तोड़कर एक एक डिक्टेटर को बैठा दिया जाय और वह न्याय करते रहें। यह कमेटी जो ३ सदस्यों की कमेटी थी, इसपर यह दोष लगाया गया है कि उसके पास बहुत सी फाइलें पड़ी थीं। तो मैं कहता हूं कि अदालतों में आप देखिए, कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, उन अदालतों को भी आप भंग कर दीजिए।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हाईकोर्ट में कितने मुकदमे पड़े हैं और हाई कोर्ट से लेकर एस० डी० ओ० तक कितने मुकदमें पड़े हैं, आप उन सबको भंग कर दीजिए। अगर यह मनोवृत्ति सरकार की बन गयी है तो मेरा अन्दाज है जनता देख रही है, एक साल रह गया है। आप इन कमेटियों कोभंग करके नौकरों के हाथ में देते हो, तो वह जनता बाद को आपको खत्म करके अपने हाथ में लेगी सरकार को। वह देख रही है सन् ६७ को कि यह तो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। यह तो विकेन्द्रीकरण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

को तोड़कर एक तानाशाही की तरफ जा रही है, तो फिर हम इसको वोट क्यों दें। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैंने ऊदल जी की भी दलील सुनी, जगदीश नारायण जी की भी सुनी और मैंने काशीनाथ जी की भी दलील सुनी। मैंने सुना है जिलों की उद्योग सलाहकार समिति को तोड़ दिया जाय, ऐसा कहा गया है और जिलाधीश के हाथ में दे दिया जाय।

एक सदस्य—

यह तो हो गया है।

श्री लखी सिंह—

श्रीमन्, यह तो अफसोस की बात है, आप तो वकील रहे हैं, पुराने नेता हैं, हम तुम अंग्रेजों के जमाने के आदमी हैं, हमने किस हृदय से नारा लगाया था जनतंत्र और स्वराज्य का, इसके पीछे हमारा क्या स्वप्न था। अंग्रेजों के राज्य काल में हम कहते थे कि यह नौकरशाही की सरकार है, नौकरशाही के हाथ में खेल रही है। यह अंग्रेज सरकार से हम कहते थे, किंतु यह सरकार उससे भी गई गुजरी है। कुछ माननीय सदस्य आए हैं मैं नहीं समझता वह किस विचार के हैं, मैंने यही समझा है कि उनके भी अंग्रेजों के से कुछ विचार हैं। जो यहां पर भाषण दे रहे थे, उनका नाम बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन वह सरकार को बधाई दे रहे थे कि यह सरकार बहुत बढ़िया है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह उनकी राय हो सकती है मेरी नहीं। माननीय राममूर्ति जी ने शिक्षा विभाग का भार संभाल लिया है तो मैं उनसे कहूंगा कि आप कृपा कर इस विधेयक को बहुत ठंडे दिल से सोचिए। कोई कहता है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मेरे विचार से इसको फाड़कर एक-एक टुकड़ा कर दिया जाय। अभी नवलकिशोर जी ने इसको मासूम विधेयक बताया था। इसके पन्ने मासूम हो सकते हैं और इसका लिखना मासूम हो सकता है, लेकिन अगर इसके सिद्धांत को देखा जाय, इसके असर को देखा जाय और इसके प्रभाव को देखा जाय तो मैं कहूंगा कि ऐसे विधेयक को दूसरी सरकार देखकर क्या कहेगी? मैं कहूं कि वह लानत देगी कि यह विधेयक क्यों पास होने दिया गया। सरकार बहुमत से इसको पास करा लेगी लेकिन मैं उसको यह सलाह देता हूं कि ऐसे विधेयक को बिलकुल पास नहीं करना चाहिए और आगे आप आर्डिनेंस की सरकार बनाने की जो यह चेष्टा कर रहे हैं, इसकी सरकार बनाने की चेष्टा न करें। वह दिन नजदीक आ रहा है कि जब यह सारी जनता यहां पर अपनी सरकार बनायेगी और आपको उलट कर रख देगी।

*श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह विधेयक जो आया है, यह पंचायती राज की जड़ को ही खत्म कर रहा है सवाल यह है कि यहां पर बहुत से सज्जनों ने भाषण दिये। किसी ने स्कूल के मास्टरों की बात की और किसी ने मैनेजमेंट की बात कही। मुझे तो दुख हो रहा है कि मैनेजमेंट अगर स्कूल न खोले तो मास्टर कहां से पढ़ाने आएं। झगड़ा पैदा हो। यह आप एक ऐसा बीज बोने जा रहे हैं जो एजुकेशन की प्रगति में बाधक होगा। मुझे यही बात मालूम पड़ती है। लोग हाई स्कूल खोलते हैं। यहां भी झगड़े होते हैं और वहां भी झगड़े होते हैं। परन्तु इसके माने यह नहीं है कि उनको खत्म ही कर दिया जाय और प्रोफेसर और मास्टरों को ही खत्म कर दिया जाय या मैनेजमेंट को ही खत्म कर दिया जाय। यह बात अच्छी नहीं मालूम होती है। परन्तु हमारी सरकार का यह रवइया हो गया है कि वह इस तरह से करने लगी है। अभी साल भर के बाद खुद वह जनता से वोट मांगने जायगी कि हमको विधान सभा का मेंबर बनाओ और आज क्या कर रही है? आपने देखा कि उद्योग विभाग के मैनेजमेंट को खराब बताकर उसका हक छीन लिया। कलेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और वहां पर मैंने देखा कि गुप्ता जी की पार्टी के आदमी बहुत जबरदस्त हैं या कमलापति जी के पार्टी का इस बात पर जोर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगता रहता है। यह मैंने देखा है कि इस वक्त गुप्ता जी की पार्टी के आदमियों की बात झट से मान ली जाती है। नतीजा क्या हुआ अभी हिसाब मैंने मंगाया और पूछा कि मामला क्या है वसूली कितनी हुई और कितनी कम हुई। मैंने यह भी पूछा कि जो रुपए दिये गये थे, वे काम में लाये गये अथवा नहीं। तो पता चला कि वह मामला जांच में है और वहां है कौन? उस कमेटी में विरोधी दल के तो दो सदस्य हैं, लेकिन आप लोग दस होंगे। इधर आपने महापालिकाओं में क्या किया। कहा गया कि उन्होंने बड़ी नालायकी की। मैं यह सब प्रसंगवश ही कह रहा हूं। बताया गया कि हजारों मकान यहां बन गये। मैं खुद जानता हूं और पिछले चालीस साल से महापालिका का सदस्य हूं। जैसी गड़बड़ इस साल हुई है वैसी कभी नहीं हुई। हजारों मकान बिना इजाजत के बन गये। उनका फैसला आपके नगर अधिकारी करते हैं अगर महापालिका के मेंबरों को कोई राइट नहीं है। सारा नाश कर दिया नगर अधिकारियों ने। लखनऊ की मिसाल दे दी। आप देखें कि बनारस महापालिका ने कितना कर्ज अदा कर दिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने लाद दिया था। अब आप यह बिल ले आये। झगड़ा मास्टरों और मैनेजमेंट में होगा और ठीक भी होगा, लेकिन स्कूल का बीस-बीस हजार रूपया फीस का खा डाला है मैनेजमेंट ने। वे और इंस्पेक्टर मिले हैं और डाइरेक्टर साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हमने जो अदालत में मुकदमा चलाया तो कुछ हो रहा है। बनारस दयानन्द कालेज का बीस हजार रुपया फीस का गबन किया गया है। वे अधिकारी इधर-उधर की बातें करते हैं और आप भी उन्हें ठीक समझ लेते हैं। जिस समय दूसरी लड़ाई हो रही थी, यहां पांच, चार आदमियों का काम था और सब काम बड़े तौर तरीके से चलता था। आपको सोचना चाहिए कि आप साल भर बाद फिर वोट मांगने जायेंगे। अगर डेमोक्रेसी ही न रहे तो वोट मांगने की जरूरत क्या? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी करके डेमोक्रेसी की जड़ न खोदिये। आपको साल भर बाद ही दरवाजे-दरवाजे जाना है। हमको तो बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह के कानून पास करते हैं, ऐसा करना हमारे लिए दरवाजा खोलना है। मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन भाई लोग तंग करते हैं इसलिए बोलता हूं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी बुद्धि इसी तरह के भ्रष्ट कानून पास कराती रहे।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से केवल एक प्रार्थना है कि स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी रखें या न रखें, लेकिन उसे कम्पनी की शक्ल न प्रदान करें। मैं पिछले २५ साल से एक संस्था का प्रिंसिपल रहा हूं, अभी भी हूं, लेकिन पिछले तीन, चार साल के अन्दर अनुशासन पर जो बुरा असर पड़ा है उसे आप भोग नहीं सकते और उसका प्रधान कारण किसी कंट्रोलिंग एजेन्सी का न होना है। मैनेजमेन्ट, कम्पनी के जमाने के नवाबों जैसा हो रहा है जिसमें नाम नवाब का और शक्ति कम्पनी के कारिन्दों के हाथ में रहती थी। यह तरीका बुरा है। अगर आपको प्राइवेट मैनेजमेन्ट में खराबी दिखाई देती है, तो जैसा हमारे भाई साहब ने कहा है, राष्ट्रीयकरण कर लीजिए। झगड़ा खत्म हो। लेकिन वह आपके बस की बात नहीं है। कई कारण हैं। बुनियादी भूलें मत कीजिए। आप समझते हैं कि आप जैसे मिनिस्टर हैं तो और सारे नौकर चाकर हैं या खादिम हैं, इस ढंग से नहीं सोचना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे ने कहा, डा० राधाकृष्णन ने कहा, बड़े-बड़े मनीषियों ने कहा कि एजूकेशन को राष्ट्रीयकरण के रूप में लाना हमारी प्रजातांत्रिक भावना का एक अभिशाप है। आप दोनों हाथ लड्डू नहीं खा सकते हैं। एक तरफ लाखों पंचायतें काम कर रही हैं, ब्लाक बना रहे हैं, जिला परिषदें बन रही हैं, असेम्बलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ एजूकेशन को नौकरशाही के हाथ में दे रहे हैं। मैं बुराई-भलाई की बात नहीं करता। अगर मैनेजमेंट बुरा है तो गांव पंचायत कौन अच्छा काम कर रही है? ब्लाक में, जिला परिषदों को देखिए, कचहरियों में नौकरशाही को देखिए, किसी मुहकमे में देखिए, हर जगह एक ही हालत दिखाई देती है। तो केवल मैनेजमेंट के ऊपर यह क्रोध किसलिए? यह ट्रेंड जिसको आप ला रहे हैं यह एजूकेशन के लिए बहुत ही खतरनाक है।

[श्री महादेव]

जहां तक प्राइवेट स्कूलों का सवाल है, कुछ लोगों को शिकायत है कि एजूकेशन का स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए कि बहुत ज्यादा स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खुले हैं, कहीं बिल्डिंग नहीं है, फट्टा नहीं है, टीचर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, बड़ी शिकायतें इस बात की हैं। आप अगर सारे देश के नागरिकों को ताजमहल होटल के स्टेंडर्ड का खाना दे सकें तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गरीब, भूखों की सूखी रोटी छीनकर अगर आप स्टेंडर्ड कुछ लोगों के लिए बनाते हैं तो आपके स्तर आपको मुबारक हों। इस समय देश को बहुत बड़े पैमाने पर एजूकेशन की जरूरत है। स्टेंडर्ड की बात मत सोचिए। हमको एजूकेशन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, चाहे थोड़ी घटिया ही ढंग की क्यों न हो। चाहे वह पेड़ के नीचे हो। मेरा स्कूल जब कायम हुआ तो उसमें ३ छप्पर थे। आज वहां साढ़ चार लाख की बिल्डिंग है, १,२०० छात्र हैं, ५० टीचर हैं और सरकार की मदद मुश्किल से जोड़-जाड़ कर २५ हजार रुपए—जहां तक कि निर्माण का सवाल है—से ज्यादा नहीं होगी, रिकरिंग एक्सपेंडीचर की बात नहीं करता। अब जो स्कूल छप्परों से शुरू हुआ तो आज वह स्टेंडर्ड आ गया। आपके सरकारी स्कूल तालीम नहीं दे सकते। बहुत कोशिश की जायगी तो जिले में एक स्कूल खोल देंगे, वह भी मुश्किल हो जायगा। आज हालत यह है कि मैंने बड़े-बड़े ब्राह्मणों को देखा है कि वह हरिजनों के लड़कों को दौड़-दौड़ कर अपने स्कूल में लाते हैं ताकि सरकार की एड मिल सके। तो राष्ट्रीयकरण की बात छोड़ दीजिए। अगर जनता को एजूकशन देना है तो २५ साल तक इन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। इनको आप तालीम देने से क्यों रोकते हैं? और किस स्तर की बात करते हैं? क्या बढ़िया अंग्रेजी बोली जाय, या पैंट पहनकर, क्रीम लगाकर लड़के जायं यह आपका स्तर है? अगर यह है तो जो कहता है वह पागल है। अभी आपके सामने कोई साफ तस्वीर ही नहीं है कि एजूकशन का स्तर क्या हो, कैसे नागरिक बनाना चाहते हैं। जब इतना भी कंसेप्शन नहीं है तो स्तर की बात क्यों करते हैं?

मैं तो कहता हूं आप हमको सूखी रोटी दे दीजिए। पहले रोटी दे दीजिये फिर स्टेन्डर्ड की बात कीजिये। उसी प्रकार पहले आप हमको एजूकेशन दे दीजिये, फिर उसके बाद और बातों को सोचिये। प्राइवेट संस्थाओं का होना बहुत आवश्यक है। प्राइवेट संस्थाओं और उनके मैनेजमेंट को बदनाम करके आप प्रजातंत्र पर गहरा आघात पहुंचा रहे हैं। आपकी मजबूरियां मैं समझ रहा हूं। मगर उसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी आप निकाल सकते थे। आपको यह रास्ता किसने सुझाया? ब्योरोक्रेसी ने। आपके एजूकेशन डिपार्टमेंट से ही यह सुझाव आया होगा कि डिप्टी डायरेक्टर को सारे अधिकार दे दिये जायं। पर आपने और कोई रास्ता नहीं देखा। आपकी दिक्कत को हल करने के लिए ५० रास्ते निकल सकते थे। मेरा कहना यही है कि यह रास्ता जो आप अपना रहे हैं बड़ा ही खतरनाक होगा। आज आपका बहुमत है, आप समझते हैं जो चाहेंगे कर लेंगे, मगर आपका ऐसा सोचना प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। ट्रेंड जब एक बनता है तो बड़ी से बड़ी शक्तियां बेकार हो जाती हैं। हमको हर जगह प्रजातंत्र को प्रीफरेंस देना है, उसको मजबूत बनाना है। अभी ४ रोज की बहस में आपने देखा होगा कि क्या-क्या कहा गया? बराबर यही कहा गया कि नौकरशाही का बोलबाला हो रहा है। लेकिन फिर भी आप आज एक ऐसा बिल ले आये। मेरी तो राय यह है कि माध्यमिक शिक्षा एक त्रिभुज की तरह है जिसके तीन तीन अंग हैं—शिक्षा, विद्यार्थी और शिक्षक। मैनेजमेंट ने अगर नादानी की तो उसको रोकने के और उपाय हो सकते थे। आज आपको मालूम है कि मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच कशमकश बढ़ रही है। इससे और बढ़ेगी और वह आपके लिए हितकर नहीं होगा। मैं यह भी जानता हूं कि आप इसे जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं। आप नौकरशाही के शिकार हो रहे हैं।

आज मैनेजमेंट और टीचर्स का वही संबंध होता चला जा रहा है जो आज पूंजीपति तथा श्रमिक का है। यह ट्रेन्ड अगर बढ़ता गया तो जरूर इसका प्रभाव बुरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके सामने जो समस्या है उसको आप हल कीजिए, मगर कोई

और रास्ता निकालिये। माध्यमिक शिक्षा को तथा उसके प्रबंध को एक नया रूप देने की कोशिश कीजिये। सीधी सी बात यह है कि बहुत कम स्कूल्स जिलों में हैं जिनमें किसी एम० एल० ए० या मिनिस्टर्स का सीधा टेढ़ा ताल्लुक न हो। प्रैक्टीकल बात देख लीजिए। मैनेजमेंट तक गया वह नवाब हो गया। नाम नाम के लिए गद्दी रह गई, सारी सहायता छिन गई। मैनेजमेंट के नाम पर नहीं दूसरे नाम पर भी किसी इंसपेक्टर को यह हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वह कुछ कर सके चाहे किसी का ताल्लुक कैसा भी हो। मेरे जिले में टीचर्स को सस्पेंड कर दिया और इंसपेक्टर साहब ने, जैसा कई साल पहले की बात है, निकाल दिया। हाईकोर्ट वह तीन साल तक लड़ता रहा और पार साल उनका झगड़ा खत्म हुआ। तो यह सोचना कि इंसपेक्टर के साथ में जाने से टीचर्स का इंटरेस्ट सुरक्षित रहेगा यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो यह चाहूंगा कि जिला स्तर पर टीचर्स और मैनेजमेंट की ज्वाईन्ट बाडी, सूबे स्तर पर उनकी ज्वाईन्ट बाडी हो और उनके सारे झगड़े उनके सामने आयें। उनकी अपील भी उनके सामने आये। इंसपेक्टर या डायरेक्टर जो जायं वे ऐसे अधिकारी हों कि वे उसके सेक्रेटरी का काम करें। यदि हम इस रास्ते पर चलेंगे तो आपकी जिम्मेदारियों का अहसास हो सकेगा कुछ इस ढंग से करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा की बड़ी सेवा होगी।

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विवाद का अन्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब इस विवाद का अन्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए कहा था और कहा था कि यह संशोधन विधेयक जनतंत्र की जड़ खोखली कर देगा, नौकरशाही को बढ़ावा देगा। शिक्षकों को जो भी कुछ राहत मिली थी वह समाप्त हो जायगी। इन बातों को अधिकांश सदस्यों ने समर्थन किया है और उन्होंने मेरे काम को बहुत हल्का कर दिया है। मेरे और मंत्री जी के अतिरिक्त अब तक १९ सदस्य बोले हैं, जिनमें केवल पांच मेरे प्रस्ताव के विरोध में थे और बाकी १४ ने समर्थन किया। यदि इस प्रकार भी देखा जाय तो सदन मेरे प्रस्ताव से सहमति प्रकट करता है। कांग्रेस पक्ष से आठ बोले, जिनमें चार ने तो समर्थन किया। यदि दलीय आधार पर भी देखें तो भी स्थिति स्पष्ट है। एक बात जो सामने रक्खी गई इससे जनतंत्र की जड़ खोखली होती है और जिस प्रकार की प्रवृत्ति दूसरे विधेयकों में पाई गई है, उसी प्रकार की इसमें भी पाई गई है। इससे सरकार किस दिशा में जा रही है, यह अच्छी प्रकार ज्ञात हो जाता है और इसकी सदन में काफी चर्चा रही है। मैं चाहूंगा इनका कुछ मंत्री महोदय के मस्तिष्क में प्रभाव होना चाहिए और सदन की आकांक्षाओं पर इस विधेयक को उन्हें पारित करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि जब यह अध्यादेश आया था तो शिक्षक इससे प्रसन्न हुए। पता नहीं कौन से शिक्षक प्रसन्न हुए। हो सकता है कि उन शिक्षकों को प्रसन्नता हुई हो, जिन्होंने शिक्षक आन्दोलन का बहिष्कार किया था और सरकार का साथ दिया था। वास्तव में शिक्षकों का हित चाहने वाले शिक्षकों को प्रसन्नता नहीं हुई और अगर प्रसन्नता हुई होगी तो उसका एक कारण है। जब मामला बहुत दिनों तक तय नहीं हुआ था तथा तय होने की कुछ उम्मीद बंधी गलत या सही किसी प्रकार की भी हो तो उससे प्रसन्नता होना स्वाभाविक होता है उस व्यक्ति की भांति जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जा रही हो और उसको फिर कह दिया जाय, जज द्वारा, कि अच्छा, हम तुम्हारी इस सजा को कम करके आजीवन कारावास देते हैं। तो उसे इससे थोड़ी-सी प्रसन्नता होगी। लेकिन क्या निर्दोष व्यक्ति को वह खुशी का कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बसन्तसिंह]

हो सकता है? प्राइस महोदय ने कहा कि ५८ से जितने संशोधन हुए हैं वह उन सबको रद्दी की टोकरी में फेंक देते। मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता के बाद जहां देश में जनतन्त्र की परम्पराएं जड़ पकड़ चुकी हैं, वहां इस प्रकार के विचारों के लिए कोई गुंजायश नहीं है। सन् ४७ से पहले उनकी गुंजायश थी, लेकिन अब बिलकुल नहीं है। आज अगर टीचर के प्रति मैनेजर ऐसी भावनाएं रखते हैं तो यह बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उनको अपना दिमाग बदलना चाहिए।

यह भी कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। लेकिन यह राजनीति में काम करने वाले लोगों द्वारा ही तो किया गया है जो आज उनसे राजनीति का काम लेना चाहते हैं। शिक्षकों के बारे में कहा गया कि जब से सन् ५८ से संशोधन आए हैं तब से डिसप्लिन नहीं रहा। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। शिक्षक जो पहले मैनेजमट का मजदूर समझा जाता था उसे अगर कुछ सुविधाएं मिली हैं तो उससे अनुशासनहीनता नहीं बढ़ी। अनुशासनहीनता तो सारे समाज में है और उसका सामाजिक कारण है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि ये संशोधन बहुत अच्छे हैं, चूंकि जल्दी निर्णय हो जायगा। निर्णय जल्दी ही करने थे तो और भी तरीके हो सकते थे। एक शासन-अधिकारी के हाथ में निर्णय दे दिया जाय, केवल यही तरकीब नहीं हो सकती है। अपीलेट कमेटी में अगर मैनेजमेंट का प्रतिनिधि नहीं आता था तो उसे भंग करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा और कमेटियों में होता है, एक-तिहाई कोरम पर काम हो सकता है। मैनेजमेंट प्रभावी है और डिप्टी डाइरेक्टर शासन के द्वारा उन्हीं से प्रभावित होगा। पीड़ित अध्यापकों को इससे राहत नहीं मिल सकती। मैं माननीय मन्त्री जी, कैसे कहूंगा कि माननीय लखीसिंह जी की बात पर भी विचार करें। उन्होंने कहा था बहुत से मुकदमे पड़े हुए हैं, सरकार का कौन-सा ऐसा विभाग है जिसमें ५, ६ साल से मुकदमे नहीं पड़े हैं? उन सब विभागों को समाप्त कर दिया जाय। यद्यपि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, उन्होंने यह भी कहा था कि इसे फाड़ दिया जाय। कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये हैं। इससे भी इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का पक्ष सिद्ध होता है। इस संशोधन विधेयक को, जिसे सरकार भले ही बहुमत के बल पर पास करा ले, शिक्षक को कोई राहत नहीं मिल सकती। उनकी जो सेवा-सुरक्षा इस समय है, वह भी समाप्त हो जायगी। डी० आई० ओ० एस० नियमों का उल्लंघन करते हैं और डिप्टी डाइरेक्टर ध्यान भी नहीं देते और साल-साल भर तक पत्रों के उत्तर नहीं मिलते हैं। उनके हाथों में न्याय देने से बड़ा अनर्थ होगा। वास्तव में, जैसा कहा गया, इससे शासन और न्याय दोनों बड़े बाबुओं के हाथ में आ जावेंगे। कहा गया कि अनुदान रिश्वत पर मिलते हैं, और वास्तविकता भी यही है कि अनुदान रिश्वत के अनुपात से मिलते हैं। उसी प्रकार से न्याय भी रिश्वत के अनुपात में ही प्राप्त होगा। बड़े बाबू जिस प्रकार से डिप्टी डाइरेक्टर को कहेंगे वैसा हो जायगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि डिप्टी डाइरेक्टर इन बातों के बारे में कितना जानते हैं। इसलिए यदि आप पंचायती राज और जनतन्त्र में विश्वास करते हैं तथा जनतांत्रिक परम्पराओं को प्रदेश में बलवती होते देखना चाहते हैं तो फिर कोई औचित्य नहीं है कि वे इस संशोधन विधेयक को वापस न लें। क्योंकि जितने भी सदस्य बोले हैं उन सब में से तीन-चौथाई वक्ताओं ने इस बात का समर्थन किया है कि इस विधेयक से नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा, तानाशाही के लिए मार्ग प्रशस्त होगा तथा शिक्षकों को न्याय न मिल सकेगा। मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे, एक्ट में जो और परिवर्तन होने हैं, उन पर व्यापक रूप से विचार हो जाय। इसीसे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हो सकेगी। आज भी आपके सब नियमों के होते हुए भी मैनेजमेंट जब चाहता है अध्यापकों को निकाल देता है। यह भी देखा जाय कि शिक्षकों को उनका पूरा वेतन दिया जाना चाहिए, यह नहीं कि अधिक पर हस्ताक्षर ले लिए जायं और कम वेतन दिया जाय। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। प्रबन्ध समिति में शिक्षकों की संख्या कम से कम आधी रखी जाय। १५ सदस्यों में से २ बहुत ही कम है।

उसमें यह विचार भी किया जाय कि बोर्ड के सहायक अध्यापकों का प्रतिनिधित्व एक तिहाई रखा जाय। एक समय था जब विश्वविद्यालय में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व था। लेकिन जिनका परिषद् से सम्बन्ध हो उनका प्रतिनिधि बिलकुल भी न हो यह बात बहुत ही बुरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी प्रजातांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने के हेतु इस संशोधन विधेयक को वापस ले लें अथवा प्रवर समिति के सामने भेज दें।

*श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने, उन सब माननीय सदस्यों को जो इस विधेयक के सम्बन्ध में बोले, बड़े गौर से सुना। मेरा विचार है कि थोड़े से भाषणों को छोड़ कर बाकी सदस्यों ने, ऐसा मालूम पड़ता है कि इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हम किस चीज पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी चीज इस सदन के अन्दर रखी जाय, उस पर दुनिया की कोई भी बात कही जा सकती है, कोई रुकावट तो है नहीं। बात संगत होती है तो अच्छी लगती है। किसी खास परिस्थिति को मीट करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था और अब उसके बारे में यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है। सरकार को खुजली तो लगी नहीं थी कि आपका और अपना समय खराब करती। सरकार ने एक एपेलेट कमेटी बनायी थी; जिसमें मैनेजर्स, टीचर्स के रिप्रेजेन्टेटिव और एक सरकारी अधिकारी था। जब तक कमेटी ने काम किया, वह चलती रही। लेकिन तजुर्बे ने यह बताया कि दोनों पार्टीज में विरोधाभास है। जब जिसको जो बात सूट की उसमें आ गया और जो सूट नहीं की उसमें नहीं आया। सन् ६२ से स्त्री टीचर्स जो सस्पेन्ड हैं उन का वेतन नहीं मिलता, परेशान हैं। उसके बाद मेन टीचर्स हैं उनकी भी यह हालत है कि सरकार जितनी भी एडेड संस्थाएं हैं उन को मदद देती है, उसका बजट आपके सामने आता है, लेकिन साल बीत जाता है पेमेन्ट नहीं होता। ४ साल के बाद तय होगा कि इस महिला टीचर को हम ने रिइन्सटेट किया और उसका ४ साल का वेतन इकट्ठा हो गया। फिर सप्लीमेन्टरी आता है और उससे सारा बजट अपसेट होता है। न तो इस तरह की सारी वस्तुस्थिति को दूर करने के लिए यह बिल आया है। कितने ही इस तरह के केसेज इकट्ठा हैं, उनको किसी तरह से तय करना है। सरकार का कोई इरादा डेमोक्रेसी का गला घोटने का नहीं है। पिछले २० सालों से मैं यहां लगातार बैठा हूं और हमने यहां बैठकर आजादी के बाद से कितना लेजिस्लेशन किया है और शायद उससे पहले के सौ साल में भी इसका एक चौथाई लेजिस्लेशन भी न हुआ होगा। यह इसलिए हुआ है कि हम आप यहां की जनता की दिक्कतों को देखते हैं, महसूस करते हैं, हालत को देखकर कोई न कोई उसका निबटारा करते हैं और उसकी भी फिर कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसका भी संशोधन बिल लाकर फिर निबटारा करते हैं तो इस तरह से यह एक निरन्तर कार्य लेजिस्लेशन का होता रहता है, यह एक सिस्टम है जो हमेशा चलता है।

यह कहीं नहीं है कि साल भर अमल करने के बाद या किसी समय भी हम कोई नई व्यवस्था किसी कानून में संशोधन कर के नहीं ला सकते। माननीय भगवान सहाय जी ने कहा कि इसी सदन के लोग नामिनेट कर दिये जाते, अगर ऐसा ही किया जाता तो जाहिर है कि उसमें मेजारिटी दल के ज्यादा सदस्य होते तब भी यह चार्ज लगाया जाता कि ज्यादा पर शासक दल के लोग रख दिये हैं। तो इन सब चीजों पर हमें ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। मैं माननीय बसन्त सिंह जी की इस बात से इत्तिफाक नहीं करता कि हमने कौंसिल के जो विधिवत् प्रतिनिधि आते हैं उनकी राय नहीं ली। हमने उनको आमंत्रित किया और उनके ५–७ नुमाइन्दे भी आए, जिन में एक बहिन भी आयीं, उनसे हमने पूछा कि यह जो बिल हम ला रहे हैं आप इससे सहमत हैं क्या और क्या आप की दिक्कत इस से दूर हो जायगी। इस पर उन सब ने कहा कि आज की वस्तुस्थिति में इससे अच्छी कोई चीज नहीं होगी और सबकी ऐसी राय थी कि इसको लाकर हमारी दिक्कतें दूर की जायं। हमने बहुत से टीचर्स से इस तरह से सलाह ली। हां सारे प्रदेश के टीचर्स से जरूर नहीं पूछा, लेकिन जो नुमाइन्दे आते हैं उनसे जरूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति]

पूछा और उन सब की राय है कि यह ठीक है। आप के चीफ व्हिप श्री टम्बेश्वर प्रसाद को भी बता दिया कि सारे टीचर्स के प्रतिनिधियों की ऐसी राय है उन्होंने भी इससे इत्तिफाक किया और मुझे आश्वासन दिया कि हम एक मिनट में बिल पास करा देंगे।

दूसरी बात यह है कि हम चीजों को जो हालात हैं उनके लिहाज से देखें। यह नहीं होना चाहिए कि सरकार जो कुछ करे तो ऐसी बातें की जायं कि जनतन्त्र का गला घुट रहा है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, भ्रष्टाचार फैल गया है। इन बातों से ऐसा मालूम होता है कि ब्यूरोक्रेसी को पसन्द कतई नहीं किया जाता, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि वह तो डेमोक्रेटिक आर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है और शासन का, लेजिस्लेचर का, मन्त्रियों तक का उससे सम्बन्ध है। न कोई चढ़ाव है न उतार है, अगर ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसा काम करेगी जिसकी प्रतिक्रिया खराब होगी तो ब्यूरोक्रेसी को लोग तोड़ देंगे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

डेमोक्रसी की फंकशनिंग में जितने भी हमारी बाडीज हैं, म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, नगर महापालिकाएं हैं, जिला परिषदें हैं, आदि उन सब में आपने वहां पर ब्यूरोक्रसी को एग्जीक्यूटिव पावर्स इतनी दे रखी हैं कि उससे ज्यादा और कहीं नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को तो आपने इतनी असीम पावर दे दी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरे देशों में तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी नहीं हैं लेकिन यहां पर सब प्रकार की पावर्स उनको ही दे रखी हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

प्रजातन्त्र में ३ पार्टीज होती हैं, लेकिन आपने यहां पर मिनिस्ट्री का एक और ग्रुप बना दिया है।

श्री राममूर्ति—

माननीय बलवान सिंह जी ने म्युनिसिपल बोर्ड और कार्पोरेशन्स का जिक्र किया है। लेकिन जब वहां पर कोई व्यवस्था बिगड़ जाती है, तब उसकी देख-रेख किसी आफिसर को सुपुर्द कर दी जाती है और वहां की हालत को ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं देखा गया है कि यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड या और कोई स्थानिक संस्था यदि सुपरसीड हो गयी तो वहां की हालत, फाइनेन्शियल पोजीशन बिगड़ गयी और कोई खराबी हो गयी। तो इसलिए उनको सुपरसीड किया जाता है कि उनकी दशा सुधर जाय। जहां तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीजें हमने अंग्रेजों से ली हैं, उसी पद्धति में हमारे जिलाधीश भी काम करते चले आ रहे हैं। हमारे यहां तो ट्रांसफर आफ पावर हुई है। अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के चुने हुए लोगों को पावर ट्रांसफर की। उसी सिस्टम से जो पहले चल रहा था, हमने काम आरम्भ किया। इंग्लैंड में यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स नहीं हैं, तो आज भी वहां नहीं हैं। तो हमने कोई नयी बात यहां पर नहीं चालू की है। यह मानना पड़ेगा कि हम लोग डेमोक्रेसी के शैशव काल में हैं। फिर भी हमने यह नया तरीका निकाला कि म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पब्लिक के जरिए से चेयरमैन चुने जायेंगे। उसी तरह से मेम्बर्स भी चुने जायेंगे।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

आजादी जो मिली है, वह बड़े संघर्ष के उपरान्त मिली है। यूंही छप्पर फाड़ कर थोड़े ही मिली है। लोगों ने इसके लिए कुर्बानी की है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यादवेन्दु जी, जब तक मिनिस्टर महोदय न बैठें, कृपया आप न बोलें।

श्री राममूर्ति—

तो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि यह जो हम बिल लाए हैं, यह तो एक टेम्पोरेरी फेज है। झगड़ों को निपटाने के लिए हम यह बिल लाए हैं और इसी के लिए यह अध्यादेश भी लाए थे। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है ४–५ महीने विधान सभा की बैठक नहीं हुई। अगर इसको हम अप्रैल में पास करते तो फिर वे ही तनख्वाह के झगड़े वगैरह हो जाते। इसलिए इसको मजबूरन हमें लाना पड़ा। मैं आपको यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग और यह हाउस यह समझेगा कि यह काम गलत हुआ है और डिप्टी डाइरेक्टर्स के जरिए से यह काम ठीक नहीं होता है तो फिर भी हम और आप बैठ कर दूसरा निर्णय ले सकते हैं। यह सरकार तो संशोधन बिल लाया ही करती है। इसमें किसी को यह खयाल नहीं होना चाहिए कि कोई चीज बहुत रिजिड हो गयी। अगर कोई काम खराब होता पाया जायगा तो हम और आप इस पर पुनः विचार कर सकते हैं।

दूसरी बात मुझे अर्ज करनी है कि यदि हम सारे एजूकेशन विभाग की खराबियों के बारे में एक बिल लाते तो निस्सन्देह इसे प्रवर समिति को विचारार्थ भेजने पर विचार करते, लेकिन यह तो छोटा-सा संशोधन विधेयक है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे। और एक खास बात को, तकलीफ को दूर करने की बात है। इसे प्रवर समिति में भेजने की कौन-सी बात है? चर्चा तो यहां बहुत सी कर डाली, लेकिन उनका इस बिल से कम से कम कोई वास्ता नहीं है। वह तो जब कोई दूसरा बिल आयेगा तो उसके बारे में हो सकता है। इसलिए इस मौके पर प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव है इसको प्रेस नहीं करना चाहिए। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। और जो सरल सा विधेयक आ गया है, इसको मानना चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मन्त्री जी ने इसमें कोई गारन्टी की बात रखी है, कोई टाइम लिमिट रखी है जिसके अन्दर तमाम केसेज तय हो जायंगे?

श्री राममूर्ति—

तजुर्बे से यह साफ होता है कि जब हम किसी अथारिटी को काम सुपुर्द करते हैं, तो वे पब्लिक के आदमी तो होते नहीं, इसलिए उनकी ड्यूटी है कि वे जल्दी से जल्दी इन केसेज को समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मूल प्रस्ताव को आपके सामने रख रहा हूं अगर वह पास हो जायगा तो अमेंडमेंट अपने आप गिर जायंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अब कल के लिए रखिए।

अनेक सदस्यः सदन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें टाइम बढ़ाने का सवाल नहीं है। यह तो वहां से आया है, अगर नहीं पास होगा तो ७ बजे तक सदन बैठेगा।

खंड २

२—यू० पी० इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १६-जी की उपधारा (३) में—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा १६-जी का संशोधन

(१) खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(सी) कोई पक्ष, खण्ड (बी) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध, चाहे वह उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर संभागीय शिक्षा उप निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, और संभागीय उप निदेशक, ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हों, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है;"

(२) खण्ड (डी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात्—

"(डी) खण्ड (सी) के अधीन जैसा कि वह उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व था, प्रस्तुत की गयी सभी अपीलें जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व निर्णय के लिए विचाराधीन थीं, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (सी) के अनुसार संभागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा निर्णीत की जायेंगी।"

श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं खण्ड २ के प्रारम्भ के शब्द "यू० पी०" निकाल दिये जायं।

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे मानता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वही बात हो गई। अभी संशोधन पेश नहीं हुआ और मन्त्री जी मानने लगे और आप मनवाने लगे।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने पेश कर दिया।

श्री राममूर्ति—

जो हमारा ओरिजिनल बिल है, उसमें यू० पी० लफ्ज नहीं है। उसमें खाली एजूकेशन बोर्ड के नाम से है। इसलिए यू० पी० शब्द रिडन्डेंट है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के प्रारम्भ के शब्द "यू० पी०" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ (१) के द्वारा प्रस्तावित धारा १६ (जी) के प्रस्तावित भाग ३ (सी) की ७वीं पंक्ति में वाक्यांश "जो वह आवश्यक समझे" के बाद तथा "आदेश की" के पूर्व निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"नियत समय के अन्दर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात्"

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछली विधान सभा की कार्यवाहियों के उपरान्त मैं यह निश्चित् रूप से जानता था कि अपने बहुमत के बल पर प्रवर समिति को भेजने का यह संशोधन मन्त्री जी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसमें केवल दो बातों का जिक्र रखा गया है एक तो नियत समय की बात है और दूसरी उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् की बात है। मैनेजमेंट और अध्यापकों के झगड़े का मामला इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से हो कर डिप्टी डाइरेक्टर के पास पहुंचे और वहां लटकता रहे तो जो कठिनाई आज दरपेश है वही कठिनाई इस संशोधन विधेयक के पास होने पर भी बरकरार रहेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि समय आप नियत कर दें और दोनों पक्षों की बात सुन लें। इसी प्रयोजन के लिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक समय निश्चित करने की बात है, तो डिप्टी डाइरेक्टर को शीघ्र निर्णय तो करना ही है। अगर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो समय का बंधन लगाना निरर्थक हो जाता है। दूसरे उभय पक्षों को सुनने की बात का जहां तक सम्बन्ध है, यह प्रज्यूम किया जाता है कि दोनों को वह बुलायेंगे, नहीं आते हैं तो जो पक्ष आता है, उसे ही सुनने के बाद फैसला दे देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि राव जी अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री जगन्नाथ राव—

माननीय मन्त्री जी ने कठिनाई, समय निश्चित करने में बतलाई कि यदि उभय पक्ष आते ही नहीं हैं तो समय निश्चित करने से क्या फायदा होगा। अगर नहीं आते हैं तो आप उनको बंधन में क्यों नहीं डालते हैं कि इतने समय के अन्दर उनको निर्णय देना होगा। नहीं आयेंगे तो उनकी अनुपस्थिति में निर्णय दे दिया जाएगा। लिहाजा माननीय मन्त्री जी को मेरा संशोधन मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री राममूर्ति—

मैं इसको मानने में असमर्थ हूं क्योंकि इससे डिप्टी डाइरेक्टर को सहूलियत नहीं होगी, जिसकी वजह से यह विधेयक लाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ (१) के द्वारा प्रस्तावित धारा १६ (जी) के प्रस्तावित भाग ३ (सी) की ७वीं पंक्ति में वाक्यांश "जो वह आवश्यक समझें", के बाद तथा "आदेश की" के पूर्व निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"नियत समय के अन्दर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात्"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री देवीदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १६-जी (३) में प्रस्तावित खंड (सी) की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'उसे रद्द' के पूर्व शब्द "या" बढ़ा दिया जाय।

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, यह ठीक है। मैं इसको मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १६-जी (३) में प्रतिस्थापित खंड (सी) की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'उसे रद्द' के पूर्व शब्द "या" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २(१) के द्वारा प्रस्तावित धारा १६-(जी) के प्रस्तावित धारा ३ (सी) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"जो कि अन्तिम तथा बंधनकारी होगा"।

मान्यवर, मैंने इन शब्दों को जोड़ने के लिये इसलिये कहा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे कि एक निश्चित समय के अन्दर दोनों पक्ष के लोगों को सुन लेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे और वह अन्तिम और बंधनकारी होगा। जैसा मंत्री जी ने फरमाया कि अगर उभय पक्ष नहीं आया तो क्या होगा? इसलिये मैंने कहा कि अगर न भी उपस्थित हो तो भी निर्णय हो जायगा और वह दोनों के लिये बंधनकारी होगा। इसलिये मैंने यह उपस्थित किया है।

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका इतना हिस्सा मानता हूं कि जो "अन्तिम होगा" क्योंकि हमारे ओरिजिनल ऐक्ट में है कि—

"and the order passed by the Regional Appellate Committee shall be final"

"बंधनकारी होगा"

इसको इसलिये नहीं मानता हूं कि यह हमारे यहां आलरेडी है। इसलिये इसकी जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि—

"An order made or decision given by the competent authority under sub-Section 3 shall not be questioned in any court and the parties concerned shall be bound to execute the directions concerned in the order or decision within the period that may be specified therein."

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २(१) के द्वारा प्रस्तावित धारा १६-जी के प्रस्तावित धारा ३(सी) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय।

"जो कि अन्तिम होगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

नयी धारा २१ और २२ का बढ़ाया जाना

सद्भावना से किये गये कार्य आदि के लिये संरक्षण

"२१—राज्य, सरकार, बोर्ड या उसकी समिति अथवा बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी

ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी को इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो ।

दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक

२२—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।"

श्री देवीदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा २१ में शब्द "राज्य" और शब्द "सरकार" के बीच में कामा का चिन्ह हटा दिया जाय और उसी नई धारा की पांचवी पंक्ति में शब्द "ऐसे कार्य के लिये" के स्थान पर शब्द "ऐसे कार्य के सबन्ध में" रख दिये जायं ।

श्री राममूर्ति—

श्रीमन, यह ठीक है, मैं इसको मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा २१ में शब्द "राज्य" और शब्द "सरकार" के बीच में कामा का चिन्ह हटा दिया जाय और उसी नई धारा की पांचवी पंक्ति में शब्द "ऐसे कार्य के लिये" के स्थान पर शब्द "ऐसे कार्य के सम्बन्ध में" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री देवीदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा २२ के पार्श्व शीर्षक में शब्द 'दीवानी" निकाल दिया जाय ।

श्री राममूर्ति—

मैं इसको मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गयी धारा २२ के पार्श्व शीर्षक में शब्द "दीवानी" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगन्नाथ राव—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि खंड ३ में नई प्रस्तावित धारा २२ को निकाल दिया जाय । इसको रखने की आवश्यकता नहीं है । यह 'पावर्स आफ दि बोर्ड ऐंड कमिटीज टु मेक बाईलाज' से सम्बन्धित है । मंत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार की धारा जोड़ दी जाय जिससे किसी को अदालत में जाने के लिये आवश्यकता न रहे । मान्यवर, अगर बाईलाज नागरिक के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध बनाये गये तो कहते हैं कि ऐसे बाईलाज के बारे में कोई कोर्ट में नहीं जा सकता । मैं इसका इसलिये विरोध करता हूं कि धीरे-धीरे इनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो रही है कि यह अदालत में जाने और न्याय मांगने से भी वंचित करना चाहते हैं । हर नागरिक को अधिकार है कि अगर उसके मूलभूत अधिकारों का हनन हो तो अपनी आवाज न्यायालय में रख सके । अगर न्यायालय में जाने से किसी को रोका जाता है तो यह अप्रजातांत्रिक और अनैतिक होगा । मूल अधिनियम में यह नहीं था कि बाईलाज को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता । यह नई धारा जोड़ कर उनको इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है । इसलिये मैं २२वीं धारा का विरोध करता हूं ।

श्री राममूर्ति—

यह जो प्रावीजन किया गया है, इसमें यह चीज है कि अगर कोई आफिसर गुडफेथ में काम करता है, और अगर उसको संरक्षण न हो तो चल नहीं सकता। रोज मुकदमें होते रहेंगे। इससे कानून का रास्ता बन्द कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर वक्त झगड़े न हों, इसलिये यह साधारणतया सभी विधेयकों में रखा जाता है। इसलिये फार्मल चीज है।

*श्री रक्षपालसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, दीवानी अदालत में जाने की रोक लगा दी गयी है, यह ठीक नहीं है। मैं फतेहपुर जिले में प्रत्यक्ष देखता हूं। मैनेजर ने फोन पर सस्पेंड कर दिया और सवेरे स्कूल में बैठा प्रिंसिपल को कुर्सी पर तो बाडिली निकाल कर कमरे के बाहर कर दिया। दूसरे आदमी को नियुक्त कर दिया। ऐसी सूरत में जब कि कोई चार्ज शीट नहीं है, ऐसे आदेशों के विरुद्ध कोर्ट में इंजेक्शन न ले सके तो ऐसी स्थिति हो जायगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मंत्री जी के कहने का मतलब है कि कोई फैक्ट के लिये जाना चाहता हो तो जा सकता है। साधारणतया नहीं जा सकता है। तो यह प्रतिबन्ध हो जाने से हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में लोग जा सकते हैं और इस से किसी को कोई फायदा न होगा। मेरा निवेदन यह है कि आप किसी को अदालत में जाने से रोकते क्यों हैं। यदि किसी को अपनी नौकरी के लिये संरक्षण प्राप्त करना है, और उसके लिये वह कोर्ट में जाना चाहे तो इसके लिये ऐक्ट में किसी तरह का प्राविधान न किया जाना ठीक नहीं है। यह तो उनके अधिकारों को क्षति पहुंचाने वाली बात है।

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, धारा २० के उपरान्त जो धारा २१ और २२ रखी गयी है, मेरी समझ में नहीं आता कि सन १९२१ से ले कर आज तक काम करते हुये हो गये, इस से कितने प्रकार की कठिनाई व परेशानियां सामने आयी हैं जिनकी वजह से इस नयी धारा को जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। आपने कहा कि गुड विल में काम करने वालों के लिये कोई रुकावट नहीं आयेगी। मैं कहता हूं कि अगर गुड विल की बात को ही ले लें जो आपने ऊपर कही है, उसी की आड़ में धारा २२ को लाकर आप सबके हाथ और पांव बांध लेना चाहते हैं ताकि वह किसी तरह से अदालतों के अन्दर न जांय। अगर कोई संरक्षण के लिये साधारण तौर से कोर्ट में जाना चाहता है तो उसको आप क्यों रोक रहे हैं? इसलिये मैं समझता हूं कि आप इस विधान सभा से कोई गलत काम करवाने की कृपा न करें और इसको वापस ले लें।

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें मैंने पहले कहीं हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि बगैर इसके जो परपज है वह फ्रस्ट्रेट हो जायगा और छोटी-छोटी बातों के लिये मुकदमेंबाजी बढ़ जायगी और उससे लोगों की तखलीफ और बढ़ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ में नई प्रस्तावित धारा २२ को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ४

निरसन तथा अपवाद

४—(१) उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम २४ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हो गया हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट ऐजूकेशन (संशोधन) अधिनियम १९६६ कहलायेगा ।

श्री देवीदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ (संक्षिप्त नाम) में से शब्द 'उत्तर प्रदेश' निकाल दिये जायं ।

श्री राममूर्ति—

मुझे यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ (संक्षिप्त नाम) में से शब्द 'उत्तर प्रदेश' निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६

यू० पी० इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

श्री देवीदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के दीर्घ नाम में से शब्द "यू० पी०" निकाल दिये जायं ।

श्री राममूर्ति—

मुझे यह स्वीकार है ।

विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधेयक के दीर्घ नाम में से शब्द "यू० पी०" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और संशोधित शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३ फरवरी, १९६६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५८ पर)

परिशिष्ट 'अ'

विधान मण्डल के सदस्यों को उद्योग विभाग द्वारा सन् १९६२ से अगस्त, १९६५ तक दिये गये ऋण का विवरण।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम व जिला		ऋण जो दिया गया (रुपया)	कब दिया गया	ऋण अदा करने की अवधि पूर्ण हुई या नहीं और रकम अदा हुई अथवा नहीं	यदि ऋण अदा नहीं हुई तो क्यों ? तथा वसूली के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है ।
१	२		३	४	५	६
			रुपया			
१	श्री बनवारी लाल, एम०एल०ए०, आगरा	..	१,०००	२९-१-६३	अवधि पूर्ण नहीं हुई इस कारण पूरी रकम अभी नहीं अदा हुई	प्रश्न नहीं उठता
२	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, एम०एल०ए०, गोंडा	..	८,०००	२-१२-६३	,, ,, ,,	,, ,,
३	श्री जगदम्बाप्रसाद, एम०एल०ए०, फैजाबाद	..	७,०००	८-३-६३	,, ,, ,,	,, ,,
४	श्री परमाई लाल, एम०एल०ए०, हरदोई	..	५,०००	१६-१०-६३	,, ,, ,,	,, ,,
५	श्री मोहनलाल, एम०एल०सी०, हमीरपुर	..	६,०००	३०-३-६२	,, ,, ,,	,, ,,
६	श्री सीताराम यादव, एम०एल०सी०, जौनपुर	..	३,०००	४-९-६३	,, ,, ,,	,, ,,
७	श्री मोहम्मद ऐजाज हुसेन, एम०एल०सी०, मेरठ	..	१७,५००	२८-४-६४	,, ,, ,,	,, ,,
			१७,५००	१२-३-६५	,, ,, ,,	,, ,,
८	श्री गंगाधर मैठाणी, एम०एल०ए०, चमोली	..	१०,०००	१९६२-६३	,, ,, ,,	,, ,,
	योग	...	७५,०००			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५८ पर)

परिशिष्ट "अ"

बांदा जिले में सन् १९५८, १९५९ और १९६० में ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों की सूची

क्रम-संख्या	ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते
	१९५८
१	जिला सहकारी संघ, बांदा
२	श्रीमती बिलकिस बेगम, अर्दली बाजार, बांदा ।
३	श्री राम प्रसाद विश्वकर्मा , डिग्गी तालाब, बांदा ।
	१९५९
४	श्री बी० एल० चौरसिया, स्टेशन रोड
५	श्री महावीर प्रसाद, मनोहरीगंज
६	श्री शेर बहादुर, स्टेशन रोड
७	श्री छुटवा भौंरी
८	श्री हर प्रसाद गुप्ता, कैलाशपुरी, बांदा
९	श्री किशोरा नन्द सरस्वती, भीखमपुर, भरतकूप
१०	श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी, महेश्वरी देवी, बांदा
११	श्री कालिका प्रसाद, मर्दननाका
१२	श्री द्वारिका प्रसाद सेनी, सीतापुर
१३	श्री ओम प्रकाश भरद्वाज, मर्दननाका
१४	श्री मुन्नी लाल, नीवीमऊ
१५	श्री शिवधानी, नीवीमऊ
१६	श्री चुन्नी लाल, नीवीमऊ
१७	श्री उल्फत, नीवीमऊ
१८	श्री बल्देव प्रसाद, नीवीमऊ
१९	श्री पंचा चमार, नीवीमऊ
२०	श्री पुर्रा चमार, नीवीमऊ
२१	श्रीमती फहीमन बेगम, अर्दली बाजार, बांदा
२२	श्री रामसुरिथ, नीवीमऊ
२३	श्री कस्तूरी लाल, चौक बाजार
२४	श्री नन्हें खां, बलखंडी, नाका ।
२५	श्री शेख ईदू , कटरा
२६	श्रीमती पीताम्बरी देवी, बसरेही अतरा ।

अध्यक्ष विधान सभा

क्रम-संख्या	ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते
२७	श्री एजाज अहमद, मनोहरी गंज, बांदा
२८	,, मंगली प्रसाद सिछारिया, कर्बी ।
२९	,, साधू मऊ, बांदा ।
३०	,, राम निवास, मानिकपुर ।
३१	,, दुर्गा, मानिकपुर ।
३२	,, छोटे लाल, मानिकपुर ।
३३	,, बच्चू, मानिकपुर ।
३४	,, भोला, भौंरी ।
३५	,, जवरा, मानिकपुर ।
३६	,, लच्छी, मानिकपुर ।
३७	,, राम गरीब, मानिकपुर ।
३८	,, रिक्खी, मानिकपुर ।
३९	,, गुलजार, भौंरी ।
४०	,, रघुवीर, भौंरी ।
४१	,, चुन्नीलाल, भौंरी ।
४२	,, लक्ष्मी प्रसाद, भौंरी ।
४३	,, गनेसवा, भौंरी ।
४४	,, बल्देव, भौंरी ।
४५	,, केशव प्रसाद, भौंरी ।
४६	,, घुरई, भौंरी ।
४७	,, बैजनाथ, भौंरी ।
४८	,, चुन्नी लाल, मानिकपुर ।
४९	,, प्रेमचन्द, मानिकपुर ।
५०	,, बाबू लाल, भौंरी ।
५१	,, रत्तीवा, भौंरी ।
	१९६०
५२	,, मोती लाल भार्गव, कटरा ।
५३	,, राजा भइया गुप्ता, खुटला नाका, बांदा ।
५४	,, गंगादीन साहू, छांठी बाजार ।
५५	,, बुद्धू प्रसाद, तिंदवारी ।
५६	,, राम टहलू, तिंदवारी ।
५७	,, सुखदेव प्रसाद, तिंदवारी ।
५८	,, सत्तू लाल, तिंदवारी ।
५९	,, कृष्ण दत्त वैद्य, राजापुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते
६०	श्री शंकर लाल, स्टेशन रोड, बांदा
६१	,, जागेश्वर प्रसाद, मानिकपुर
६२	,, राम बिहारी, मर्दननाका
६३	,, राम प्रताप, मानिकपुर
६४	,, शिव विशाल अवस्थी, विसंडा
६५	,, मटरू, खिचरी, मानिकपुर
६६	,, महोक, मानिकपुर
६७	,, ठेगा, मानिकपुर
६८	,, अकाली, मानिकपुर
६९	,, नन्हु, मानिकपुर
७०	,, दोहरू, मानिकपुर
७१	,, वाचूराम, मानिकपुर
७२	,, भागवत, एंचवारा
७३	,, भोला राम, एंचवारा
७४	,, सुखराम, एंचवारा
७५	,, दुबरी लाल, एंचवारा
७६	,, जागेश्वर, एंचवारा
७७	,, चुक्का राम, एंचवारा
७८	,, बोधन प्रसाद, एंचवारा
७९	,, छोटेलाल, एंचवारा
८०	,, श्री कोदू, एंचवारा
८१	,, श्री हरी, जिला मानिकपुर
८२	,, श्री साजन, मानिकपुर
८३	,, ब्रह्मदीन, जिला मानिकपुर
८४	,, गजाधर, जिला मानिकपुर
८५	,, मूल चन्द जैन, कालवनगंज
८६	,, भगवान दास जड़िया, खिन्नीनाका
८७	,, सन्नू लाल चौधरी, खाईपार
८८	,, राम शरण गुप्ता, कर्बी
८९	,, वाचूराम भौंरी, कर्बी
९०	,, श्री भवानीदीन, भौंरी
९१	,, जमुना, खुरखन्ड
९२	,, शिवदास, एंचवारा
९३	,, होरा, भौंरी
९४	,, सजीवन, भौंरी

विधान सभा

क्रम-संख्या	ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते
९५	श्री खुन्नीवा, भौंरी
९६	,, शिवदास, भौंरी
९७	,, जौहरिया, भौंरी
९८	,, कोदू राम, भौंरी
९९	,, नन्हु राम, भौंरी
१००	,, हुल्ला, भौंरी
१०१	,, छक्कीलाल, भौंरी
१०२	,, वैथूराम, भौंरी
१०३	,, गनपत, भौंरी
१०४	,, छोटका, भौंरी
१०५	,, सिधवा, भौंरी
१०६	,, गन्नूलाल, मर्दननाका
१०७	,, बैजनाथ शर्मा, मर्दननाका
१०८	,, राधेश्याम राय, मर्दननाका
१०९	,, मन्नीदास, माफी कर्बी
११०	,, राम निहोरे, भौंरी
१११	,, सुन्दर, माफी कर्बी
११२	,, वोधन, माफी कर्बी
११३	,, सहदी, वरहायी, वदौसा
११४	,, राम अधार, वदौसा
११५	,, वोडा, बदौसा
११६	,, दुजवा, बदौसा
११७	,, पोसा, बदौसा
११८	,, रत्तीवा, बदौसा
११९	,, झल्लू, बदौसा
१२०	,, सीताराम, माफी कर्बी
१२१	,, परदेशी, माफी कर्बी
१२२	,, श्री शुकरू, माफी कर्बी
१२३	,, श्री जगन्नाथ, माफी कर्बी
१२४	,, छेदीलाल, माफी कर्बी
१२५	,, किलकिल, माफी कर्बी
१२६	,, मुन्नीलाल, माफी कर्बी
१२७	,, रामगोपाल, माफी कर्बी
१२८	,, चूरामणि, माफी कर्बी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१२९ श्री डोरीलाल, माफी कर्बी
१३० ,, पराग, माफी कर्बी
१३१ ,, बाबूलाल, माफी कर्बी
१३२ ,, राम स्वरूप, तिंदवारी
१३३ ,, रामरतन मिस्त्री, अगर्रा
१३४ ,, राजा भइया गुप्ता, खुटलानाका
१३५ ,, आर० के० अरोरा, प्रिन्सिपल आयु० कालेज अतर्रा
१३६ ,, छोटेलाल वैश्य, कर्बी

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

सितम्बर, अक्तूबर तथा उसके बाद ३० नवम्बर, १९६५ तक जो मन्त्रिगण और अन्य सरकारी अमला, भारत, पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के दौरे पर गये, उनके खर्च का ब्यौरा ।

क्रम-संख्या	मंत्री/अमला जो दौरे पर गये	यात्रा की तिथि	स्थान जहां की यात्रा की	यात्रा पर व्यय	विवरण
१	२	३	४	५	६
				रु० पै०	
१	मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी ।	३ अक्तूबर, १९६५	अमृतसर	५७१.९०	प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अभी यात्रा का बिल नहीं बना है ।
		२९ अक्तूबर, १९६५	पठानकोट		
२	शिक्षा मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश ।	३० अक्तूबर, १९६५	अमृतसर तथा पाकिस्तान बाईर	..	शिक्षा मत्री चंडीगढ़ एक मीटिंग में गये थे वहां से अन्य प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ पंजाब सरकार द्वारा दी गई गाड़ी में बार्डर देखने भी गये । इस यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ व्यय नहीं करना पड़ा ।
३	मुख्य मंत्री के सचिव श्री एस० एस० सिद्धू ।	२७ से २९ अक्तूबर, १९६५		३७२.५१	मुख्य मंत्री जी के साथ गये ।
४	उप सचिव श्री एस० बी० शरण ।	४ से ६ अक्तूबर, १९६५		४०७.०९	मुख्य मंत्री जी के साथ गये ।
		२७ से २९ अक्तूबर, १९६५			
५	मुख्य मंत्री जी के चपरासी श्री हरीश, चन्द्र ।	४ से ६ अक्तूबर, १९६५—२७ से २९ अक्तूबर, १९६५		१३१.४२	मुख्य मंत्री जी के साथ गये ।
६	शिक्षा मंत्री के शैडो कान्सटेबिल, श्री रामदेवसिंह ।	२८ से ३० अक्तूबर, १९६५		६६.३२	शिक्षा मंत्री जी के साथ गये ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६३ पर)

सूची १

चुने गये छात्रों की शैक्षिक योग्यतायें

हरिजन छात्रों की शैक्षिक योग्यताएं

क्रम-संख्या	नाम	हाई स्कूल		इन्टरमीडिएट	
		श्रेणी	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी	प्राप्तांक प्रतिशत
१	श्री बचान केवल	प्रथम	६०.८		
२	,, मुकन्द लाल		६२.३		
३	,, राम कृष्ण		६६.८		
४	,, हलम चन्द्र	द्वितीय	५२.८	तृतीय	४४.८
५	,, जगदीश प्रसाद		४५.००	द्वितीय	५१.८
६	,, बृजेन्द्रपाल सिंह ..		४९.००	द्वितीय	४८.८
७	,, चितरंजन सिंह ..		४५.३	तृतीय	३७.६
८	,, चन्द्र पाल		५३.००	तृतीय	४१.२
९	,, प्रताप सिंह		३३.६	,,	३७.००
१०	,, शीतला प्रसाद		५७.०५	,,	४४.४
११	,, लोट लाल प्रथम ..		४९.००		
१२	,, जय किशोर		४८.००		
१३	,, रमेश चन्द्र		५१.००		
१४	,, छोटे लाल (द्वितीय) ..		४६.००		
१५	,, श्री राम		४७.४		
१६	,, राम कैलास प्रसाद ..		५५.५		
१७	,, मुन्ना		४६.१		
१८	,, राम सहाय वर्मा ..		४६.२		
१९	,, मांगे सिंह		४९.६		
२०	,, घनश्याम		४५.६		
२१	,, लोट लाल (तृतीय) ..		४६.००		
२२	,, राम अनुज जैसवार ..		५७.००		
२३	,, प्रभू राम		४७.३		
२४	,, राज देवराम		४६.००		
२५	,, राम आसरे		४८.००		
२६	,, हरि राम वर्मा		४८.००		
२७	,, झीनक प्रसाद		५४.८		
२८	,, सुशील कुमार		५३.२		

क्रम-संख्या	नाम		हाई स्कूल		इन्टरमीडिएट	
			श्रेणी	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी	प्राप्तांक प्रतिशत
२९	श्री राम केशव प्रसाद	..		४६.००		
३०	श्री बेचू राम ..	..		५३.४		
३१	श्री शिवनाथ प्रसाद	..		४७.५		
	बैकवर्ड छात्रों की शैक्षिक योग्यतायें					
१	श्री मोहम्मद इदरीश अंसारी	..	प्रथम	६१.१	द्वितीय	४६.३
२	श्री रफीक अहमद	..		६९.२		
३	श्री करन देव सिंह	..	द्वितीय	५२.००	तृतीय	४३.००
४	श्री अच्छे लाल ..	..		५२.३	,,	४३.६
५	श्री राम सिंह ..	..		५९.००	,,	५४.२
६	श्री छंगुर प्रसाद ..	..		५५.००		
७	श्री शफदर अली अंसारी	..		५५.००		

सूची २

चुनाव के लिये निर्धारित क्रमवार शैक्षिक योग्यतायें

क्रमानुसार प्राथमिकता	फिजिक्स केमिस्ट्री तथा मैथ्स के साथ इन्टरमीडियट में प्राप्त सम्पूर्णांक	हाई स्कूल तथा हाई स्कूल (टेक्निकल) उच्च माध्यमिक शिक्षा (टेक्निकल) विज्ञान तथा मैथ्स के साथ प्राप्त सम्पूर्णांक
१	२	३
१	६० प्रतिशत तथा उसके ऊपर	३३ प्रतिशत या उससे ऊपर
२	३३ या ,, ,, ,, परन्तु ६० प्रतिशत के नीचे	६० प्रतिशत या ऊपर या ५५ प्रतिशत या ऊपर हाई स्कूल (टेक्निकल) के लिये
३	६६ प्रतिशत या ऊपर हायर सेकण्डरी टेक्निकल सर्टीफिकेट (पहले जिसे जूनियर टेक्निकल सर्टीफिकेट कहते थे)।	
४	— —	६० प्रतिशत तथा ऊपर या ५५ प्रतिशत हाई स्कूल टेक्निकल या ६१ प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक टेक्निकल सर्टीफिकेट के लिये।
५	४५ प्रतिशत या ऊपर परन्तु ६० प्रतिशत से कम।	३३ प्रतिशत या उसके ऊपर।
६	— —	हाई स्कूल में विज्ञान नहीं।
७	३३ प्रतिशत या ऊपर परन्तु ४५ प्रतिशत से कम।	४५ प्रतिशत या उसके ऊपर परन्तु ६० प्रतिशत से कम।
८	४५ प्रतिशत या ऊपर परन्तु जो पहले प्रमाण पत्र—प्रमाण पत्र—कहलाता था।	६१ प्रतिशत से कम उच्च माध्यमिक टेक्निकल तथा जूनियर टेक्निकल सर्टीफिकेट।

१	२	३
९	.. ..	४५ प्रतिशत और ऊपर परन्तु ६० प्रतिशत से कम (५५ प्रतिशत हाई स्कूल टेक्निकल के लिये)।
१०	३३ प्रतिशत या ऊपर परन्तु ४५ प्रतिशत से कम।	३३ प्रतिशत या ऊपर परन्तु ४५ प्रतिशत से कम।
११	३३ प्रतिशत या ऊपर परन्तु ४५ प्रतिशत से कम।	जिनका हाई स्कूल में विज्ञान नहीं हो।
१२	.. ..	४५ प्रतिशत जो हाई स्कूल बिना विज्ञान तथा मैथमेटिक्स में हो (जो कि विज्ञान और या अर्थमेटिक्स अतिरिक्त विषय लेकर हाई स्कूल पास करते हैं।

संसद सदस्य सूचना केन्द्र

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७३ पर)

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में ३०-११-६५ तक प्राप्त धन तथा सोने की जिलेवार तालिका

जिले का नाम	धन	सोना ग्राम में
देहरादून	७,०५,००८.८९	४३.३५०
सहारनपुर	४,३०,५८२.९०	१६.४५०
मुजफ्फरनगर	३,६१,५५९.४०	
मेरठ	८,६७,२०२.९८	..
बुलन्दशहर	२ २५,६६८.९८	..
अलीगढ़	४,८१,९४३.३३	..
मथुरा	३,५६,९५५.५५	..
आगरा	५,३०,२९६.००	..
मैनपुरी	१,४५,०४५.३५	२३.८००
एटा	२,०५,१८९.५६	..
बरेली	५,६३,४९५.२४	..
बिजनौर	४,६२,०८३.०९	११८.०००
बदायूं	२,६०,२५७.२५	..
मुरादाबाद	७,४१,४४५.८९	..
रामपुर	३,०५,२५०.९२	६०९.०००
शाहजहांनपुर	३,१६,७८९.८०	..
पीलीभीत	९६,७८३.३६	..
फर्रुखाबाद	१,७१,९४३.७०	..
इटावा	१,०८,२९९.६६	..
कानपुर	१४,४२,९८२.७७	..
फतेहपुर	२,००,८४३.६०	..
इलाहाबाद	६,९०,६०२.२०	..
झांसी	३,१२,९०९.१४	..
जालौन	२,०३,४२६.४९	१८१.५००
हमीरपुर	३,६७,७००.४०	४.०००
बांदा	३,०४,९६५.४५	२४.०००
वाराणसी	९,२४,४४२.८७	२२६.१५०
मिर्जापुर	५,६०,४५४.३९	३५८.०००
जौनपुर	३,२०,९५२.३१	..
गाजीपुर	४,०८,६७७.५३	..
बलिया	६,३३,३१३.३२	..
गोरखपुर	११,३५,८७३.००	१५.०००
देवरिया	४,१८८.०९	..
बस्ती	५,१४,७९५.७९	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिले का नाम				धन	सोना ग्राम में
आजमगढ़	..	..	..	२,९४,१४१.९४	..
नैनीताल	..	..	..	४,२४,१५३.६७	..
अल्मोड़ा	..	..	..	३३,०७५.१४	..
गढ़वाल	..	..	..	३,३१,९८५.७५	३३.०००
टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	७५,८१४.९६	..
लखनऊ	..	..	..	३३,२२,२६९.८९	१००.१९०
उन्नाव	..	..	..	३,६६,३१७.९३	३९.३५०
रायबरेली	..	..	..	१,२४,०३४.६६	..
सीतापुर	..	..	..	१,६५,२४५.२६	१५.८००
हरदोई	..	..	..	४,१६,८२३.१२	२२७.०००
खीरी	..	..	..	२,४३,७००.४६	..
फैजाबाद	..	..	..	१,३३,६८१.९४	..
गोंडा	..	..	..	२,१३,२९२.९१	..
बहराइच	..	..	..	२,१५,१८२.२९	..
सुल्तानपुर	..	..	..	६३,८४३.५१	..
प्रतापगढ़	..	..	..	५८,३९९.१७	..
बाराबंकी	..	..	..	६८,१९३.८८	..
पिथौरागढ़	..	..	..	२६,९६४.८४	..
चमोली	..	..	..	१४,७३२.९४	..
उत्तरकाशी	..	..	..	९०,५६४.५३	..
				२,२०,४४,४३७.२९	२,०३४.५९०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

घटना का विवरण

दिनांक ५/६-११-६५ को तिलक राम शर्मा इन्सपेक्टर, थाना कोतवाली को सूचना मिली कि मोइनउद्दीन नामक अभियुक्त, जिसकी पुलिस को तलाश थी, स्लाटर हाउस अटाला के पास जेर तामीर क्वार्टर में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस इन्सपेक्टर श्री शर्मा पुलिस पार्टी के साथ वहां पहुंचे और क्वार्टर के बरामदे में टार्च डाली। इस पर मोइनउद्दीन तुरन्त बन्दूक तान कर खड़ा हो गया। पुलिस ने भी पोजीशन लेकर मोइनउद्दीन से हथियार डालने को कहा। इस पर मोइनउद्दीन ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्म रक्षार्थ फायर किया जिससे मोइनउद्दीन की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१–३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

देवरिया जिले में वर्ष १९६३–६४ से दिसम्बर, १९६५ तक हरिजनों के हितार्थ किये गये कार्य का विवरण

क्रम-संख्या	विषय	१९६३–६४		१९६४–६५		दिसम्बर, १९६५ तक	
		लाभान्वित व्यक्ति	धनराशि	लाभान्वित व्यक्ति	धनराशि	लाभान्वित व्यक्ति	धनराशि
१	२	३	४	५	६	७	८
			रु० पै०		रु० पै०		रु० पै०
१	पूर्व दशम कक्षाओं में हरिजनों के सहायता कार्य—						
	(अ) छात्रवृत्ति—						
	१—टेक्निकल	५	६७९.७४	१५	३,४४२.५९	१५	२९२९.९६
	२—एच० टी० सी० ..	२१	३,८९८.७७	२२	४,३८८.७७	१९	२,६११.६९
	३—माडल स्कूल	१३	४२८.००	११	४२२.००	१२	१२२.००
	४—स्थानीय निकायों से संबंधित संस्थायें	५३८	१४,९२२.००	५३८	१४९२२.००	..	..
	५—स्थानीय निकायों से असम्बन्धित	७०४	५५,०१४.००	८१६	५९,४७६.००	१,००६	४०,६९५.००
	(ब) पुस्तकीय सहायता—						
	१—स्थानीय निकायों से सम्बन्धित	३१०	१ ,१५५०.००	३१०	१,५५०.००	..	..
	२—स्थानीय निकायों से असम्बन्धित	४६६	७,६७८.००	७०५	१,६५७४.००	३७४	२,८३५.००
	(स) रिइम्बर्समेंट—						
	१—स्थानीय निकायों को ..	..	..	६७५	४०,४७०.००	..	..
	२—अन्य शैक्षिक संस्थाओं को ..	२,८६४	१६,८००.००	३,०००	२०,२३,५०.००	३,२००	१,१९,७०३.००

अनुभव विधान सभा

	(द) अन्य पिछड़ी जातियों, मोमिन, अन्सार तथा विमुक्त जातियों के हितार्थ—						
	(अ) छात्रवृत्ति—						
	१—पिछड़ी जाति ..	२०८	१३,८१८.००	२०८	१३,८१८.००	२०८	६,७७८.००
	२—मोमिन अन्सार ..	२९	२,१८४.००	२९	२,१८४.००	२९	४३२.००
	३—विमुक्त जाति ..	३२	१,१२८.००	८८	३,०७२.००	८८	१,३४८.००
	(ब) पुस्तकालय सहायता—						
	१—मोमिन अन्सार ..	९	२१०.००	९	२१०.००	५	२१०.००
	२—पिछड़ी जाति ..	१९१	७,७६६.००	१९८	८,४०६.००	१२०	२,७४३.००
	३—विमुक्त जाति ..	२४	१९८.००	१८	३९८.००	..	..
२	दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्तियां आदि	३६७	१,४१,८५०.००	४१५	१,७२,३८८.००	५१०	१८,३४९.००
३	शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान—						
	(अ) प्रारम्भिक पाठशालायें ..	३३	३४,३४२.००	३६	३७,५५८.००	३१	१८,२८४.००
	(ब) छात्रावास ..	३	३,६९६.००	३	५,६३०.००	३	२,८६५.००
	(स) रात्रि पाठशालायें ..	१९	६,८२२.००	१९	६,२२२.००	१७	२,९७६.००
	(द) पुस्तकालय	२४	६,३००.००	२४	६,३००.००	१४	३,१५०.००
४	छात्रावास निर्माण	१	१०,०००.००	२	१२,०००.००	२	११,३००.००
५	अस्पृश्यता निवारण प्रचार हेतु ..	६	२,१९०.००	५	१,५००.००	१	४००.००
६	स्वास्थ्य, आवास तथा औद्योगिक सुविधायें—						
	(अ) हरिजन—						
	१—कूप निर्माण ..	५३ कूप २०८ नल	३३,७११.००	२५ कूप ५४६ नल	४३,८५५.००	१३ कूप २८५ नल	४०,२९६.००
	२—गृह निर्माण ..	१२	५,९६१.००	४८	२३,८८५.००	२२	१८,०२५.००
	३—लघु उद्योग ..	३६ २ सहकारी समिति	९,३१०.००	५७ ४ सहकारी समिति	१४,२८४.००	१२	१०,१८९.००

१	२	३	४	५	६	७	८
	४—कृषि अनुदान ..	३१८	९,६२१.००	३२९	१३,६५१.००	२८	१०,०१६.००
	५—सिंचाई कूप ..	९	२,३४०.००	३०	१३,४५०.००	१५	६,२९०.००
	६—गृह स्थल एवं कार्य-स्थल के लिये भूमि क्रय हेतु ..	१९	४,०२५.००	४५	१४,६८०.००	२२	९,९३०.००
	(ब) विमुक्त जाति—						
	१—गृह निर्माण ..	३	२,२५०.००	४	५,७५०.००	१०	६,४००.००
	२—लघु उद्योग ..	४	१,२००.००	१२	८,३५०.००	११	६,९३७.००
	३—कृषि उद्योग ..	४१	२,१००.००	६४	३,३४०.००	४४	४,६००.००
	४—गृह स्थल एवं कार्य-स्थल के लिये भूमि क्रय हेतु ..	..	..	३	८५०.००	३	१,०००.००

देवरिया जिले में १९६३–६४ से दिसम्बर, १९६५ तक हरिजनों को हाई स्कूल तक दी गई छात्रवृत्तियों का वार्षिक विवरण

वर्ष	छात्रवृत्तियों की संख्या	कुल धनराशि
		रु०
१९६३–६४	१,५११	८७,०६६
१९६४–६५	१,६७९	९३,४७२
दिसम्बर, १९६५ तक	१,३३१	४९,६५३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

दिनांक ३१–७–६५ को ग्राम जटपुरा थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद में हुई घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार विवरण

दिनांक ३१ जुलाई, १९६५ को करीब ५ बजे सुबह ग्राम जटपुरा, थाना डिलारी, में श्री पूरन की आढ़त पर थानाध्यक्ष काशीपुर ने गूंगे नामक एक अभियुक्त को श्री सन्तोष सिंह का बटुआ चोरी करते हुए मय बटुए के पकड़ा जिस पर गांव के २५–३० आदमी इकट्ठे हो गये और उन लोगों ने थानाध्यक्ष काशीपुर व उनके अन्य साथियों को मारा पीटा और कुछ सामान लूट लिया। वे लोग अभियुक्त गूंगे को छुड़ा ले गये और थानाध्यक्ष काशीपुर व अन्य दो व्यक्तियों को रस्सी से सड़क के किनारे पेड़ से बांध दिया। जब इस बात की सूचना थानाध्यक्ष डिलारी को मिली तो वे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और थानाध्यक्ष काशीपुर व अन्य बचे हुए व्यक्तियों को मुक्त किया।

इस घटना के सम्बन्ध में २० अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

विवरण पत्र

क्रम-संख्या	गांव	थाना	कातिलों द्वारा व्यक्ति जिसका कत्ल हुआ	औरतों से लूटे गए जेवर की कीमत	घटना का समय	कारण
१	मौजा केर-हला।	बरसाना	शकुन्तला पुत्री नेत्रपाल।	..	..	माता द्वारा बच्ची को लेकर कुएं में कूद कर आत्महत्या करना।
२	कस्बा छाता	छाता	राम जी लाल की माता, श्रीमती भगवती का कत्ल।	..	रात्रि	मृतक का मोहल्ले के एक व्यक्ति से अनुचित सम्बन्ध होना।
३	नगरिया सात बिसा	कोसी	सर्वश्री अनन्तदास व नारायणदास की हत्या। चोरी	..	रात्रि	चोरी की नीयत से
४	ग्राम जाब	कोसी	श्रीमती भगवती, पत्नी किशन वैरागी।	५१० रु० के आभूषण	शाम ५ बजे	अज्ञात
५	हुलवाना	कोसी	परमा पुत्र मूला जाटव।	..	दिन	पुरानी रंजिश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामौ, जिला सुल्तानपुर में १९६५–६६ में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के नाम तथा छात्रवृत्ति का धन

क्रम-संख्या	नाम	कक्षा	स्वीकृत छात्रवृत्ति का विवरण
			रु० प्रतिमास
हरिजन—			
१	नन्द किशोर	६	६
२	राम सुमेर	७	८
३	राम दयाल	७	८
४	विन्दा प्रसाद	८	८
५	अमृत लाल	८	८
६	छोटे लाल	८	८
७	बाबू लाल	८	८
८	बुधराम	९	१२
९	राम सुमेर	९	१२
१०	राम कुमार	९	१२
११	गयादीन	९	१२
१२	सिद्ध नाथ	१०	१२
१३	गया प्रसाद	१०	१२
१४	राम सुमिरन	१०	१२
पिछड़ी जाति—			
१	राम बख्श	९	१२
२	राम कुमार	१०	१२

फार्म भरने पर भी छात्रवृत्ति न मिलने वाले छात्रों की सूची कारणों सहित

क्रम-संख्या	नाम	कक्षा	छात्रवृत्ति न मिलने के कारण
हरिजन—			
१	राम बख्श	६	१९६५–६६ में ६५ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। इन लोगों के अंक कम थे।
२	सुन्दर लाल	६	
३	गया प्रसाद	६	आयु अधिक होने के कारण
४	सुन्दर लाल	६	निर्धनता के आधार पर भी छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जा सकी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम		कक्षा	छात्रवृत्ति न मिलने का कारण
५	राम स्वरूप	..	७	१९६५–६६ में कक्षा ७ में कोई नई छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की गई। केवल उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकार की गई जो कक्षा ६ में पाते थे।
६	राम जियावन	..	७	
७	तुलसी राम	..	७	
८	शिव रतन	..	९	१९६५–६६ में केवल उन छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकार की जा सकी। जिन्होंने ५३ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे। इन लोगों के अंक ५३ प्रतिशत से कम थे। अधिक आय के कारण निर्धनता के आधार पर भी छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जा सकी।
९	राम नरेश	..	९	
१०	राम लाल	..	९	
पिछड़ी जाति —				
१	राधे श्याम	..	७	कोई नई छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की गई। केवल उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई जो कक्षा ६ में पाते थे।
२	बृज लाल	..	९	१९६५–६६ में केवल उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकार की गई जिनके अंक ६८ प्रतिशत या उससे अधिक थे। इन लोगों ने कम अंक प्राप्त किये थे। आय अधिक होने के कारण निर्धनता के आधार पर भी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकी।
३	दल बहादुर	..	९	
४	कृष्ण प्रसाद	..	९	
५	राम वरन	..	९	
६	राज बहादुर	..	९	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

विवरण

दिनांक ६–११–६५ को रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप कानपुर चेसिस यार्ड के वाचमैन ने एक लड़के को चोरी के शुबहे में पकड़ा और उसे दो चार थप्पड़ मारे जिससे वह लड़का बेहोश जैसा बन गया। कुछ मजदूरों ने यह समझ कर कि वाचमैन ने लड़के को मार डाला, हल्ला किया और वाचमैन को पकड़ना चाहा जिसके कारण वाचमैन गार्ड रूम में चला गया। इस बीच भीड़ बढ़ती गई और लोगों ने नारे लगाने तथा ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप हेड कान्सटेबिल इंचार्ज व दो कांस्टेबिलों के चोटें आईं। भीड़ गार्ड रूम के अन्दर घुसना चाहती थी और ज्यादा जोशपकड़ रही थी। हेड कांस्टेबुल इंचार्ज ने भीड़ को तितर–बितर हो जाने के लिये चेतावनी दी पर जब भीड़ तितर–बितर नहीं हुई और उग्र रूप धारण करने लगी तो फायरिंग की गई।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे ४७९ पृष्ठ पर)

उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें गाजीपुर जनपद में सन् १९६४–६४ एवं १९६४–६५ में पांच हजार रुपये या इससे अधिक धन विभिन्न उद्योगों हेतु वितरित किया गया

क्रमांक	ऋण प्राप्त कर्ता का नाम व पता	उद्योग का नाम
	१९६३–६४	
१	श्री सरजू सिंह पुत्र श्री नरायन सिंह, ग्राम रजदेपुर, पोस्ट पीथापुर, गाजीपुर	वोन मिल
२	श्री लौह विश्वकर्मा गृह उद्योग सह० समिति लि० जमानिया स्टेशन	लोहार गिरी
३	श्री जगदीप सिंह, पुत्र श्री दीवान कर्तार सिंह, मु० लाल दरवाजा, गाजीपुर	बन्दूक कारतूस।
	१९६४–६५	
१	श्री मोती राम विश्वकर्मा, पुत्र श्री दुबराम, ग्राम व पोस्ट सैदपर, गाजीपुर	रहट निर्माण
२	श्री सरदार संत सिंह, उर्फ गोपाल सिंह, पुत्र सरदार प्रधान सिंह, स्टीम मरघठ, गाजीपुर ..	लोहे की ढलाई
३	श्री वैजनाथ विश्वकर्मा, पुत्र श्री लक्ष्मन राम, मो० पीर नगर, गाजीपुर	इंजीनियरिंग वर्कशाप
४	श्री मुकुन्द लाल, पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास, परसपुरा गाजीपुर	सुर्खी निर्माण
५	श्री मुख्तार अहमद, पुत्र श्री अब्दुर रहमान, ग्राम पो० बहादुरगंज गाजीपुर	होजरी क्लाथ निर्माण
६	श्री नरायन सिंह, पुत्र श्री भोला सिंह, ग्राम व पोस्ट बुद्धूपुर गाजीपुर	होजरी उद्योग
७	श्री बाबूलाल, पुत्र श्री सुखराज, मो० फूननपुर, गाजीपुर	सुर्खी चूना निर्माण
८	श्री वकील अहमद, मु० श्री हाफिज नबीवक्स, मो० नूरुद्दीनपुरा, गाजीपुर	लघु रेडियो सेट निर्माण
९	श्रीमती सिद्धेश्वरी तिवारी, पत्नी श्री मुरलीधर तिवारी, महुआबाग, गाजीपुर	इंजीनियरिंग वर्कशाप
१०	श्री भगवती प्रसाद, पुत्र श्री बालगोविन्द राम, सैदपुर गाजीपुर	होजिरी उद्योग
११	श्री मंगलेश्वर राय, पुत्र श्री बेनीमाधव, ग्राम पोस्ट करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर	सुर्खी चूना उद्योग
१२	श्री शौकत अली, पुत्र श्री अब्दुल चौधरी, मु० सराय खास गाजीपुर	लोहे की आलमारी आदि
१३	श्रीमती द्रोपदी, पत्नी श्री श्रीनाथ दास, मु० रायगंज ..	बुक बाइंडिंग
१४	श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी, मु० श्री दशरथ चतुर्वेदी, ग्राम व पो० जखनिया	कराहीउद्योग
१५	श्री हरख नारायण राय, पुत्र श्री जगदीश नारायण राय, ग्राम पोस्ट वटावर	वोन मिल
१६	श्री डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोआपरेटिव हन्डलूम वीवर्स लि० गाजीपुर	हैन्ड लूम क्लाथ

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

सूची उन व्यक्तियों की जिनको बन्दूक का लाइसेंस जिला बदायूं के थाना बिनाबर में १ जनवरी, सन् १९६५ से ३० नवम्बर, १९६५ तक दिये गये

क्रम-संख्या	नाम व पता उन व्यक्तियों का जिनको लाइसेंस बन्दूक दिया गया	किस्म बन्दूक
१	२	३
१	श्री नाजिरउद्दीन, पुत्र श्री अनुउद्दीन, निवासी बरी शमसपुर	इकनाली कारतूसी बन्दूक
२	श्री किमाई सिंह, पुत्र श्री मिश्री सिंह, निवासी घटबेटी	,,
३	श्री प्यारे, पुत्र श्री गरीबी, निवासी उतरना ..	दुनाली टोपीदार
४	श्री गजराम सिंह, पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी ब्यौर	इकनाली कारतूसी
५	श्री गिरीश चन्द्र, पुत्र श्री बिशन सहाय, निवासी सिताब नगर	,,
६	श्री छोटे लाल, पुत्र श्री परशादी लाल, निवासी इमलिया (होम गार्ड)	दुनाली टोपीदार
७	श्री चन्द्र पाल, होम गार्ड, पुत्र श्री रत्न लाल, निवासी इमलिया	,,
८	श्री जागन लाल, पुत्र श्री भूपाल, निवासी नबावगंजमजरा अम्बयौपुर	,,
९	श्री सरदार, पुत्र श्री बदले, निवासी मौसाझाग	,,
१०	श्री फरीद अहमद, पुत्र श्री अजीम उद्दीन, निवासी मुहम्मदपुर बिहार	,,
११	श्री गोकिल, राम पुत्र श्री बिका, निवासी बिहारी की गाटिया	,,
१२	श्री मुंशी लाल, पुत्र शोभा राम, निवासी बनगवां ..	,,
१३	श्री जैराम सिंह प्रधान, पुत्र श्री होरीलाल, निवासी सिताब नगर	इकनाली कारतूसी
१४	श्री ओंकार शर्मा, पुत्र श्री गुलाब शंकर, ए० आर० के०, निवासी मुहम्मदनगर सुलेरा।	दुनाली कारतूसी
१५	श्री खेमकरन, पुत्र श्री रते, निवासी इमलिया ..	दुनाली टोपीदार
१६	श्री थम्मन लाल, पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी फकीराबाद	इकनाली कारतूसी
१७	श्री रघुवीर सिंह, पुत्र श्री हप्पू, निवासी उतरना	दुनाली टोपीदार
१८	श्री पृथ्वीपाल सिंह, पुत्र श्री अंगन सिंह, निवासी पुठी सराय	इकनाली कारतूसी
१९	श्री नाजिर, पुत्र श्री मौले, निवासी रहमां ..	दुनाली कारतूसी
२०	श्री रामस्वरूप सिंह, पुत्र श्री झाऊ राम, निवासी रसूलपुर बलिया	इकनाली कारतूसी
२१	श्री जाकिर अली, पुत्र श्री कमरउद्दीन उर्फ कब्बू, निवासी औरंगाबाद।	दुनाली करातूसी
२२	श्री जीराज सिंह, पुत्र श्री मिश्री सिंह, निवासी पुठीसराय	इकनाली कारतूसी

१	२	३
२३	श्री आराम सिंह, पुत्र श्री रुकम सिंह, निवासी युसूफ नगर	दुनाली कारतूसी
२४	श्री जालिम राम, पुत्र श्री जोधाराम, निवासी सिकरौरी	इकनाली कारतूसी
२५	श्री खूब चन्द, पुत्र श्री उमराव, निवासी सिकरौरी	,,
२६	श्री दीन दयाल, हवलदार मेजर, पुत्र श्री टीका राम, निवासी व्यौर	दुनाली टोपीदार
२७	श्री अतिराज सिंह यादव, पुत्र श्री जयमल सिंह यादव, निवासी घटबेटी	दुनाली कारतूसी
२८	श्री महेन्द्र सिंह, पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी पुठीसराय	दुनाली टोपीदार
२९	श्री रैमराज प्रधान, पुत्र श्री प्रताप, निवासी बिहारी की गोठिया	दुनाली कारतूसी
३०	श्री अजीमउद्दीन, पुत्र श्री मुहब्बत, निवासी उसेता	इकनाली कारतूसी
३१	श्री सूत अली, पुत्र श्री बाहवउद्दीन, निवासी ददमई	दुनाली टोपीदार
३२	श्री नाजिरउद्दीन, पुत्र श्री सरदार अली, निवासी ददमेई	,,
३३	श्री बिलासी उर्फ बद्री सिंह, पुत्र श्री राजा राम, निवासी असिस बरखन	दुनाली कारतूसी
३४	श्री नत्थू सिंह, उप प्रमुख, पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम सिकरौरी	,,
३५	श्री बुन्दी प्रसाद, होम गार्ड प्लाटून कमांडर, निवासी ददमई	दुनाली टोपीदार
३६	श्री गनेश, पुत्र श्री भूपाल, निवासी नवाबगंज	,,
३७	श्री रनवीर सिंह, पुत्र श्री केहरी सिंह, निवासी कैली	,,
३८	श्री मौले सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी केली	इकनाली कारतूसी
३९	श्री राम लाल, पुत्र श्री गुमानी, निवासी इमलिया	इकनाली टोपीदार

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८१ पर)

बर्तन निर्माण उद्योग सहकारी समिति लि०, शमसाबाद, तहसील सिराथू, जिला इलाहाबाद

बैलेंस-शीट बाबत वर्ष १९६२–६३

पूंजी	रु० पै०	जिम्मेदारी	रु० पै०
१—रोकड़ बाकी	०–१८	१—अमानत जो मेम्बरों को वापस करनी है	७०५–००
२—बैंक में जमा	१०५–३९		
३—विनियोग—		२—अमानत जो गैर-मेंम्बरों को वापस करनी है	३,६६२–७५
अ—भूमि और भवन	६,५६८–६५	३—कर्जा जो सरकार को वापस करना है	३,६८०–००
ब—प्लांट और मशीनरी	७,२६५–२४	४—सदस्यों के हिस्से की रकम	१०,३२०–००
स—यूपिका में हिस्सा	७००–००	५—सूद जो देना है	६१–५०
		६—वेतन व सायर खर्च	२००–००
४—ऋण जो सदस्यों पर लगाया हुआ है	२६४–००	७—अनुदान	५,०००–००
		८—दीगर रकम जो देनी है।	३३९–८५
५—डेड स्टाक	१,३४०–६३		
६—ट्रेडिंग स्टाक	२१,६६६–०९	९—योग कुल जिम्मेदारी	२३,९६९–१०
७—अन्य रकम जो पानी है	१,५२४–७१	१०—सकल लाभ (+)	१५,४६५–७९
८—बृहत् योग	३९,४३४–८९	११—बृहत योग	३९,४३४–८९

बर्तन निर्माण उद्योग सहकारी समिति लि० शमसाबाद, तहसील सिराथू, जिला इलाहाबाद ।

बैलेंस शीट बाबत वर्ष १९६३–६४

पूंजी	रु० पै०	जिम्मेदारी	रु० पै०
१—रोकड़ बाकी	४,९१३–९९	१—अमानत मेम्बरों की	८००–००
२—बैंक में जमा	६०२६४	२—अमानत गैर मेम्बरों की	८,१६२–७५
३—विनियोग—		३—कर्जा जो सरकार को वापस करना रह गया है	१,१६८–००
अ–भूमि और भवन	१५,८९६–८४	४—हिस्सा पूंजी	११ ०२०–००
ब–प्लांट और मशीनरी	७,२६५–२४	५—सूद जो देना है	६१–५०
स–यूपिका में हिस्सा	७००–००	६—वेतन व सायर खर्च	५५–००
४—कर्जा जो सदस्यों पर लगाया हुआ है	१३८–५०	७—दीगर रकम (अनुदान आदि)	१०,४०४–२८
५—डेड स्टाक	१,४२३–४३	८—योग कुल जिम्मेदारी	४२,१८३–५३
६—ट्रेडिंग स्टाक	२३,७५४	९—कुल लाभ	१४,३९६–४६
७—अन्य रकम जो प्राप्त करनी है	१,८८४–७१		
८—बृहत् योग	५६,५७९–९९	१०—बृहत योग	५६,५७९–९९

बैलेंस शीट बाबत वर्ष १९६४–६५

पूंजी	रु० पै०	जिम्मेदारी	रु० पै०
१—रोकड़बाकी	७१०–४०	१—अमानत गैर मेंबरों की	१,७६२–७५
२—बैंक में जमा	१,४८०–३४	२—कर्जा जो सरकार को वापस करना रह गया है	१०,४२०–००
३—विनियोग—			
अ–भूमि और भवन	१९,७६४–०९		
ब–प्लांट और मशीनरी	६,५३९–००	३—हिस्सा पूंजी	१२,२८०–००
		४—अन्य रकम (अनुदान आदि)	१०,१७९–९१
स–यूपिका में हिस्सा	७००–००		
४—कर्जा सदस्यों पर	१०६–००	५—कुल योग	३४,६४२–६६
५—डेड स्टाक	१,९१९–००	६—कुल लाभ	१४,८४१–५७
६—ट्रेडिंग स्टाक	१७,२९४३७–००		
७—अन्य रकम	९७१–०३		
८—बृहत् योग	४९,४८४–२३	७—बृहत् योग	४९,४८४–२३

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८४ पर)

विवरण

दिनांक ३ अक्तूबर, १९६५ के श्री देवराज यादव, निवासी शहाबुद्दीनपुर केराकत, जिला जौनपुर ने थाना केराकत पर इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट की कि दिनांक ३ अक्तूबर, १९६५ को प्रातः ६ ।। बजे दीनानाथ उपाध्याय, सर्वजीत उपाध्याय व बल्ली ने उनकी गाय को बल्लम से मारा, जिसके फलस्वरूप गाय मर गई । इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ४२९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मामला दर्ज करके जांच की गई जिससे ज्ञात हुआ कि गाय को मारने वाले अभियुक्त अब्दुल गनी, गुलाम नबी व वाजिद खां निवासी मनियरा थे और वे गिरफ्तार किए गए । इन तीनों अभियुक्तों का धारा ४२९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान किया गया है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'त'

(देखिए अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८४ पर)

विवरण

थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक २० / २१ नवम्बर, १९९५ की रात को ग्राम मंगूपुर सिमाने की पुलिया दिल्ली-मुरादाबाद रोड के पास लगभग ११ बजे कुछ लुटेरों ने एक ट्रक को रास्ता बन्द करके रोका और लूटा। इसके बाद कार नं० यू० एस० क्यू० २९५९ अमरोहा की तरफ से घटनास्थल पर पहुंची। रास्ता बन्द देखकर ड्राइवर ने कार रोक दिया। डाकुओं ने इस कार की खिड़की का अगला शीशा तोड़ दिया, अगली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को बाहर खींच लिया और उसके सीने में तमंचा रखकर उनके जेब से नकदी और कलाई की घड़ी छीन ली। मौका पाकर इस व्यक्ति ने डाकू के तमंचे वाले हाथ को ऊपर कर दिया और इसी बीच में अपना रिवाल्वर निकाल लिया। डाकू के तमंचे से फायर हुआ जिस पर आत्मरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने दो फायर किए जिससे डाकू भाग गए और कार अमरोहा की तरफ वापस लौट गई।

२—ट्रक चालक द्वारा लिखाई गई उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर भा० दं० वि० की धारा ३९५ / ३९७ के अन्तर्गत अपराध अंकित किया गया। थानाध्यक्ष मुगलपुरा तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे, इससे पूर्व थाना कोतवाली से पुलिस का उड़न दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंच चुका था। घटनास्थल पर यह ज्ञात हुआ कि कार में सहकारिता मंत्री जी थे जो अमरोहा से मुरादाबाद वापस आ रहे थे। कार से डाकुओं ने जिस व्यक्ति को खींचा था और जिसने रक्षार्थ गोली चलाई थी वह मंत्री महोदय के शैडो थे।

३—मामले की विवेचना की गई, जिसके फलस्वरूप अपराधियों के गिरोह का पता चला। इस घटना में ८ अपराधी सम्मिलित पाये गए जिनमें से ६ को पुलिस ने गिरफ्तार किया और दो ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। समस्त अपराधियों का चालान अदालत किया जा चुका है और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

नत्थी 'थ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश में विद्युत् के उपभोग और बिक्री पर शुल्क लगाने से संबद्ध विधि को संशोधित और संहत करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विद्युत् कर अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे

परिभाषायें

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य—

(१) उस विद्युत् प्रतिष्ठान की दशा में जिसका स्वामी राज्य सरकार हो या जिसका प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो और जो विद्युत् शक्ति के सम्भरण कार्य में लगा हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, और

(२) उस विद्युत् प्रतिष्ठान की दशा में जिसका स्वामी भारत सरकार या परिषद् हो या जिसका प्रबंध भारत सरकार या परिषद् द्वारा किया जाता हो और जो विद्युत् शक्ति के सम्भरण कार्य में लगा हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार, यथास्थिति, भारत सरकार या परिषद् की सहमति से तदर्थ नियुक्त करे :

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए सरकार का कोई विभाग जो विद्युत् शक्ति के सम्भरण कार्य में लगा हो, उक्त प्रकार का विद्युत् प्रतिष्ठान है ;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य राज्य विद्युत परिषद् से है ;

(ग) "उपभोक्ता" का तात्पर्य लाइसेंसधारी से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे निम्नलिखित द्वारा विद्युत् शक्ति का संभरण किया जाता है—

(१) कोई लाइसेंसधारी ;

(२) परिषद् ;

(३) राज्य सरकार अथवा भारत सरकार ;

ऐक्ट संख्या ९, १९१०

(घ) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे विद्युत् शक्ति का सम्भरण करने के लिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० के भाग २ के अधीन लाइसेंस प्राप्त हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने विद्युत् शक्ति का सम्भरण करने के लिए उक्त ऐक्ट की धारा २ के अधीन राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली हो ;

(ङ) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है ;

(च) "नियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों से है ;

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ; और

(ज) ऐसे शब्दों तथा पदों का जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किन्तु इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में उनके लिए दिया गया हो । ऐक्ट संख्या ९, १९१०

विद्युत् शुल्क का लगाया जाना

३—(१) आगे दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) किसी लाइसेंसधारी, परिषद्, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी विद्युत् शक्ति ; या

(ख) किसी लाइसेंसधारी या परिषद् द्वारा अपने विद्युत् प्रतिष्ठान के निर्माण, बनाये रखने या चलाने से भिन्न, वाणिज्यिक या आवासिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले भूगृहादि में उपभुक्त विद्युत् शक्ति, या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत् जनन के अपने स्रोत से उपभुक्त विद्युत् शक्ति—

पर एक शुल्क (जिसे आगे विद्युत् शुल्क कहा गया है) लगाया जायगा और राज्य सरकार को दिया जायगा जो इस प्रकार सम्भरित या उपभुक्त विद्युत् शक्ति के प्रति किलोवाट घंटे पर पांच पैसे से अनधिक ऐसी दर अथवा दरों पर संगणित किया जायगा जो राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी लाइसेंसधारी या परिषद् द्वारा अपने भागीदारों, निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को निःशुल्क संभरित विद्युत् शक्ति, यथास्थिति, लाइसेंसधारी या परिषद्, द्वारा, आवासिक प्रयोजननों के लिए प्रयोग किए जाने वाले भूगृहादि म, उपभुक्त विद्युत् शक्ति समझी जायगी ।

(२) राज्य सरकार , लोक हित में किसी क्षेत्र में विद्युत् शक्ति के सम्भरण के लिए वर्तमान मूल्यों को, किसी संयंत्र की विद्युत् जनन क्षमता को कृषि या औद्योगिक उत्पादन को सामान्यतया अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को, और किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुए, या तो विद्युत् शक्ति के विभिन्न वर्गों के उपभोग के संबंध में विद्युत् शुल्क की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है ।

(३) निम्नलिखित पर कोई विद्युत् शुल्क नहीं लगाया जायगा :—

(क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को बेची गई विद्युत् शक्ति ; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को बेची गयी विद्युत् शक्ति : या

(ग) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में भारत सरकार या रेलवे कंपनी द्वारा जो उस रेलवे को चलाती है उपभुक्त अथवा किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार अथवा किसी ऐसे रेलवे कंपनी को बेची गयी विद्युत् शक्ति ।

विद्युत् शुल्क और उसके ब्याज का भुगतान

४—(१) विद्युत् शुल्क ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि क भीतर, जो नियत की जाय राज्य सरकार को नीचे लिखे अनुसार दिया जायगा : —

(क) जब विद्युत् शक्ति किसी लाइसेंसधारी द्वारा बेची या उपभुक्त की जाय, तो लाइसेंसधारी द्वारा ;

(ख) जब विद्युत् शक्ति राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से बेची जाय अथवा परिषद् द्वारा बेची जाय या उपभुक्त की जाय तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा ; और

(ग) जब विद्युत् शक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ही विद्युत् जनन स्रोत से उपभुक्त की जाय, तो ऐसी विद्युत् शक्ति जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा ।

(२) यदि लाइसेंसधारी, परिषद्, या उपधारा (१) के खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा अथवा उनकी ओर से नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को विद्युत् शुल्क का भुगतान न किया जाय तो यथास्थिति, वह लाइसेंसधारी, परिषद् या व्यक्ति भुगतान न की गयी ऐसी धनराशि पर १२ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, तब तक व्याज का देनदार होगा जब तक कि उसका भुगतान न कर दिया जाय ।

उपभोक्ताओं के विद्युत् शुल्क की प्रतिपूर्ति

५—(१) किसी लाइसेंसधारी , राज्य सरकार, भारत सरकार या परिषद् द्वारा उपभोक्ता को बेची गयी विद्युत् शक्ति पर धारा ३ के अधीन देय विद्युत् शुल्क की धनराशि, यथास्थिति, लाइसेंसधारी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है ।

ऐक्ट संख्या ९, १९१०

(२) उपभोक्ता से विद्युत् शुल्क की धनराशि वसूल करने के उद्देश्य से, यथास्थिति, लाइसेंस या नियुक्त प्राधिकारी वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन ल इसेंसधारी को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है मानों कि उक्त शुल्क ऐसे उपभोक्ता को सम्भरित विद्युत् शक्ति के संबंध में भार अथवा देय धनराशि हो ।

अभिलेख तथा विवरणियाँ

६—(१) प्रत्येक लाइसेंसधारी, नियुक्त प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति जो विद्युत् शुल्क का देनदार हो, अभिलेखों को और ऐसे प्रपत्र में ऐसी रीति से जो नियत किए जाएं, रक्खेगा जिनमें निम्नलिखित दिए होंगे :—

(१) पारेषण या सम्भरण के लिए उसके द्वारा जनित या प्राप्त विद्युत् शक्ति की इकाइयां (यूनिट्स) ;

(२) किसी व्यक्ति को सम्भरित या बेची गयी अथवा उसके द्वारा उपभुक्त विद्युत् शक्ति की इकाइयां ;

(३) उन पर देय विद्युत् शुल्क की धनरशि, धारा ४ के अधीन भुगतान की गयी धनराशि, और धारा ५ के अधीन वसूल की गयी धनराशि ;

(४) धारा ४ के अधीन दिए गए व्याज की धनराशि, यदि कोई हो ; और

(५) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किए जायं ।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति तथा प्राधिकारी ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा अवधि के भीतर और ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो नियत किए जायें ।

निरीक्षण अधिकारी

(३) उपधारा (१) के खंड (१) और (२) के प्रयोजनों के लिए विद्युत् शक्ति की इकाइयां ऐसी रीति से सुनिश्चित की जायेंगी जो नियत की जाय।

७—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा धारा ६ के अधीन रक्खे गए अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्ति कर सकती है।

(२) निरीक्षण अधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे कर्त्तव्यों का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किए जाय।

विद्युत् शुल्क किस प्रकार वसूल किया जायगा

८—(१) यदि धारा ४ के अधीन विद्युत् शुल्क या ब्याज के मदे देय कोई धनराशि, नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को अदा न कर दी गयी हो, तो वह मालगुजारी की बकाया के रूप में निम्नलिखित से वसूल की जा सकेगी,

(क) लाइसेंसधारी द्वारा बेची गयी अथवा उपभुक्त विद्युत् शक्ति की दशा में लाइसेंसधारी से ;

(ख) परिषद् द्वारा बेची गयी अथवा उपभुक्त विद्युत् शक्ति की दशा में—परिषद् से और

(ग) विद्युत् जनन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभुक्त विद्युत् शक्ति की दशा में, उस व्यक्ति से, जो इस अधिनियम के अधीन उक्त शुल्क का देनदार हो।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार किसी लाइसेंसधारी द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में,

(क) उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट सकती है जो राज्य सरकार द्वारा लाइसेंसधारी को देय हो ; या

(ख) परिषद् से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उक्त धनराशि को किसी ऐसे धनराशि में से काट ले जो उसके द्वारा लाइसेंसधारी को देय हो और इस प्रकार काटी हुई धनराशि राज्य सरकार को दे दे।

शास्तियां

९—(१) यदि कोई व्यक्ति—

(क) धारा ६ के अधीन कोई अभिलेख नियत रीति से अथवा नियत प्रपत्र में नहीं रखता है, अथवा कोई विवरणी नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) धारा ७ के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षण अधिकारी को इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है, या

(ग) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गए किसी नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो दोष सिद्धि पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायगा जो दो सौ रुपए से अधिक न होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति धारा ६ में उल्लिखित कोई ऐसा अभिलेख रखता है, या कोई ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जिसके संबंध में उसे यह जानकारी हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी सारवान विवरण में मिथ्या है अथवा सत्य नहीं है, तो दोषसिद्धि पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपए से अधिक न होगा।

१०—(१) यदि तदर्थ नियत किसी प्राधिकारी की राय में, विद्युत् शुल्क के लिये देनदार लाइसेन्सधारी, परिषद् या अन्य व्यक्ति शुल्क देने से छलपूर्वक बचता है अथवा बचने का प्रयास करता है, चाहे वह ऐसा मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियों को प्रस्तुत करके, सम्भरित या उपयुक्त विद्युत शक्ति को छिपाकर अथवा किसी अन्य उपाय से करता हो तो, यथास्थिति लाइसेन्सधारी, परिषद् या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क के अतिरिक्त दन्ड के रूप में शुल्क की धनराशि के चार गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो उक्त प्राधिकारी अवधारित करें।

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्सधारी परिषद् या ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही न की जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर, और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किये जायं, की जायगी।

(३) उपधारा (२) के अधीन अपील कर दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

अपराध का संज्ञान

११—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो नियत किया जाय, परिवाद न किया जाय।

कम्पनियों द्वारा अपराध

१२—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी और उसके साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित उसका प्रभारी हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी न होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरी और ट्रेजरार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौन अनुमति से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट सेक्रेटरी और ट्रेजरार निदेशक, प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिए संरक्षण

१३--इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

१४--(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है--

(क) रीति जिसके अनुसार तथा अवधि जिसके भीतर धारा ४ के अधीन विद्युत् शुल्क या उसके व्याज का भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा;

(ख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन अभिलेख रक्खे जायंगे और विवरण जो उनमें दिये जायेंगे,

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार, अवधि जिसके भीतर और प्राधिकारी जिसे धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत की जायेंगी।

(घ) रीति जिसके अनुसार धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (१) और (२) के प्रयोजनों के लिये विद्युत् शक्ति की इकाइयां सुनिश्चित की जायेंगी;

(ङ) कर्तव्य जिनका पालन और अधिकार जिनका प्रयोग धारा ७ के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी करेंगे ;

(च) प्राधिकारी जो धारा १० की उपधारा (१) के अधीन देय-शास्ति अवधारित करेगा,

(छ) प्राधिकारी, जिसे अवधि जिसके भीतर, और शुल्क जिसके दिये जाने पर, धारा १० की उपधारा (२) के अधीन अपील की जा सकेगी ;

(ज) अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिये परिवाद कर सकते हैं ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक दिन सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

निरसन

१५--उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम १९५२ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १५२

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ के अधीन बिजली के उपभोग पर लगाये जाने वाले विद्युत् शुल्क की अधिकतम दर लिये जाने वाले मूल्य की दर का २५ प्रतिशत है। उन उपभोक्ताओं की तुलना में जिनसे, कम दर पर मूल्य लिया जाता है, यह प्रणाली उन उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है जिन से अधिक दर पर मूल्य लिया जाता है। इसे अनुचित समझा गया है। अतएव यह प्रस्ताव है कि इस प्रणाली को बदल कर एक दूसरी प्रणाली रखी जाय जिसके अनुसार उपभोग की इकाइयों के आधार पर विद्युत् शुल्क लिया जाय। दूसरी बात यह है कि इस समय, उपभोक्ता के अपने ही विद्युत जनन स्रोत से उपभुक्त विद्युत् शक्ति पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अब यह प्रस्ताव है कि ऐसे उपभोग पर भी शुल्क लगाया जाय। तीसरी बात यह है कि वर्तमान प्रणाली को बदला जाय जिसके अनुसार उपभोक्ताओं से वसूल कर लेने पर ही शुल्क विद्युत् सम्भरणकर्त्ता द्वारा सरकार को देय होता है। यह प्रस्ताव है कि अन्य राज्यों की भांति सम्भरणकर्त्ता पर, उसके द्वारा बेची गयी बिजली पर, शुल्क लगाया जाय और उपभोक्ता से उसकी वसूली करने का अधिकार उसे दिया जाय। इससे शुल्क की शीघ्र वसूली करने में सुविधा होगी। इन तथा कुछ अन्य परिवर्तनों को करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६ पुरः स्थापित किया जाता है।

गिरधारी लाल,
सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६ के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण का ज्ञापन पत्र

उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६ के खण्ड ७ (१) में यह व्यवस्था की गई है कि उक्त विधेयक के खण्ड ६ के उपबन्धों के अनुसार राज्य में विद्युत् सम्भरण प्रतिष्ठानों तथा नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा रक्खे गये अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये निरीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाय। इस संबंध में स्थिति यह है कि ऐसे निरीक्षण अधिकारी, वर्तमान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ की धारा ६ के उपबन्धों के अनुसार पहले से ही इस कार्य को कर रहे हैं। उक्त अधिनियम अब इस विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जायगा, किन्तु उक्त कर्मचारिवर्ग के लिये बजट में पहले से ही व्यवस्था है, इसलिये पुनः विधि के बनाये जाने के पश्चात् भी कोई, अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

गिरधारी लाल,
सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ज्ञापन पत्र जिसमें उन विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें स्पष्ट की गयी हैं जो उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६ में अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६ में निम्नलिखित ऐसे उपबन्ध हैं जिनका संबंध विधायी अधिकार प्रतिनिहित करने से हैं :

(१) खण्ड १ (३) इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि अधिनियम उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चत करे। यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि सरकार इस अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिये कोई उचित दिनांक निश्चित कर सके।

(२) खण्ड ३ (१)—इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि बेची या उपभुक्त विद्युत् शक्ति के प्रति किलोवाट घंटे पर ५ पैसे से अनधिक ऐसी दर अथवा दरों पर विद्युत् शुल्क लगाया जायगा जो राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे। यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि जब कभी परिस्थितिवश ऐसा करना आवश्यक हो तब सरकार (विधेयक में निश्चित सीमा के भीतर) विद्युत् शुल्क में घटा बढ़ी कर सके।

(३) खण्ड ३ (२)—इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार कृषि या औद्योगिक उत्पादन को सामान्यतया अथवा किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को और किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुए, या तो विद्युत् शक्ति के विभिन्न वर्गों के उपभोग के संबंध में विद्युत् शुल्क की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है। यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि राज्य सरकार विद्युत् शुल्क लगाने के लिये विभिन्न दरें निश्चित कर सके अथवा विद्युत् शुल्क लगाये जाने से छूट दे सके, यदि वह ऐसा करना इष्टकर समझे।

(४) खण्ड १४—इस खण्ड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उक्त खण्ड में दिये गये विभिन्न विषयों के संबंध में, जिसका संबंध विधेयक के विभिन्न खण्डों से है नियम बनाये। सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की एक प्रतिलिपि राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे। नियम ऐसे परिवर्तनों तथा संशोधनों के अधीन होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों।

प्रस्तावित प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

गिरधारी लाल,

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री।

पी० एस० यू०—पी० ए० पी० २०२ एल० ए०—१९६६—८६२।